वार्षिक रिपोर्ट

2020–2021

bmtpc

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2020-2021

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
कोर-5ए, प्रथम तल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्राक्कथन

मुझे निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकि संवर्द्धन परिषद् (बीएमटीपीसी), जोकि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, की वर्ष 2020–21 की 31वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत गर्व एवं प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है।

वर्ष 1990 में अपनी स्थापना से बीएमटीपीसी क्षेत्र स्तर के अनुप्रयोगों के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री एवं स्थानीय कौशल के आधार पर, आपदा प्रतिरोधी निर्माण प्रथा सहित संसाधन–दक्ष, जलवायु के प्रति उत्तरदायी टिकाऊ निर्माण सामग्री को बढ़ावा देने के प्रयोजन से निरंतर राष्ट्र की सेवा कर रहा है। भवन उद्योग में नवाचार लाने की अपनी यात्रा में, बीएमटीपीसी ने अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को कई बार राष्ट्र की आकांक्षाओं के अनुरूप ढाला है जिससे क्षेत्र में तकनीकी जानकारी स्थानांतरित करने में सफल रहा है। जून, 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियावयन के दौरान, विश्व भर में वैकल्पिक एवं उभरती हुई निर्माण प्रणाली लाने का अभियान, जो न केवल गुणवत्तापरक टिकाऊ आवास की त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करे, अपितु ढांचागत, व्यावहारिक तथा भारतीय मानकों के अनुसार सुरक्षा मानकों की महत्वपूर्ण स्तरों के अनुरूप भी हो, को व्यापक महत्व मिला। किफायती आवास प्रदान करने के इस उद्देश्यपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए, बीएमटीपीसी निरंतर सर्वोत्तम निर्माण प्रणालियों की पहचान रहा है, उनका मूल्यांकन कर रहा है एवं प्रमाणित कर रहा है। इन प्रणालियों को भारतीय भू–जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप प्रदर्शन निर्माण, लाइट हाउस परियोजनाओं और राज्यों को समुचित सहायता प्रदान करते हुए क्षेत्र स्तर के अनुप्रयोगों के लिए सीधे स्थानांतरित किया जा रहा है। परिषद् के इन प्रयासों के लिए सार्वजनिक एवं निजी एजेंसियों तथा राज्य सरकारों से अच्छी प्रतिक्रियायें प्राप्त हुईं और ये नई प्रणालियां अब धीरे–धीरे गति पकड़ रही हैं व निर्माण परियोजनाओं में इनका उपयोग भी किया जा रहा है।

व्यापक जन समर्थन, बेहतर पहुंच और क्षेत्र में उभरती प्रणालियों के बेहतर उपयोग के लिए, बीएमटीपीसी को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन आवास परियोजनाएं आरंभ करने का कार्य सौंपा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – सब के लिए आवास मिशन के अंतर्गत नई प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता फैलाना और राज्यों में तकनीकी जानकारी का प्रचार–प्रसार करना है। इससे पूर्व, बीएमटीपीसी ने उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए नेल्लोर, आंध्र प्रदेश, भुवनेश्वर, ओडिशा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, बिहारशरीफ, बिहार और हैदराबाद, तेलंगाना में प्रदर्शन आवास परियोजनाएं (डीएचपी) पूरी कर ली हैं। भुवनेश्वर, लखनऊ और बिहारशरीफ में संबंधित राज्य सरकारों को पहले ही प्रदर्शन आवास परियोजनाएं (डीएचपी) सौंपी जा चुकी हैं। वर्ष के दौरान, बीएमटीपीसी ने कोविड–2019 महामारी में पंचकुला, हरियाणा और अगरतला, त्रिपुरा में प्रदर्शन आवास परियोजनाओं का निर्माण आरंभ किया है। इसके साथ–साथ अहमदाबाद, गुजरात और चिंबेल, गोवा में डीएचपी के निर्माण के लिए कार्यादेश प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, सीएसएमसी के अनुमोदन से भोपाल, मध्य प्रदेश, गुवहाटी, असम, तिरुपुर, तमिलनाडु और अयोध्या, उत्तर प्रदेश में भी चार प्रदर्शन आवास परियोजनाएं आरंभ की गई हैं। पीएमएवाई–शहरी के सीएसएमसी के विचारार्थ इन चार प्रदर्शन आवास परियोजनाओं (डीएचपी) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी।

निर्माण क्षेत्र में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजपत्र अधिसूचना, (दिनांक 4 दिसंबर, 1999, भारत का राजपत्र 49 में सं. I-16011/5/99 एच -II) के दृष्टिगत बीएमटीपीसी पीएसीएस के अंतर्गत भावी निर्माण प्रणालियों एवं नई सामग्रियों एवं उत्पादों का मूल्यांकन एवं प्रमाणित करने का कार्य कर रहा है। वर्ष के दौरान, बीएमटीपीसी द्वारा उभरती हुई प्रौद्योगिकियों अर्थात कोन्क्रीट रींसफोर्स्ड ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट पैनल्स, पीयूएफ का उपयोग करते हुए फैक्ट्री असेम्बल्ड इंसुलेटेड सैंडविच पैनल और मिनरल–वूल का उपयोग करते हुए फैक्ट्री असेम्बल इंसुलेटेड सैंडविच पैनल्स को कार्य–निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणन योजना के अंतर्गत प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं और अनेक उत्पादों/प्रणालियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। आज की तारीख तक बीएमटीपीसी ने विभिन्न उत्पादों, सामग्रियों एवं प्रौद्योगिकियों को समाहित करते हुए 73 उत्पादों/प्रणालियों के लिए कार्य–निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणपत्र जारी किए हैं। मंत्रालय एवं बीएमटीसी के प्रयासों से सीपीडब्ल्यूडी ने कई उभरती प्रौद्योगिकियों के विनिर्देश एवं दर अनुसूची जारी की है।

बीएमटीपीसी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की मिशन योजनाओं के लिए एक तकनीकी संसाधन संस्थान के रूप में सक्रियता के साथ सहयोग एवं काम कर रहा है और प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत मूल्यांकन, निगरानी, तृतीय पक्ष निरीक्षण और निगरानी (टीपीआईएम) और यूएलबी के संचालन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत प्रौद्योगिकी उप–मिशन का उद्देश्य राज्यों में सतत विकास के लिए नवीन और हरित प्रौद्योगिकियों को मुख्यधारा में लाना है। बीएमटीपीसी टेक्नोलोजी सब–मिशन के सचिवालय की भांति काम कर रहा है और मंत्रालय और राज्यों को आपदा प्रतिरोधी, ऊर्जा दक्ष और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को परिनियोजित करने में सहायता कर रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी उप–मिशन की कई बैठकें आयोजित की गईं। भूकंप क्षेत्र IV और जोन V में पड़ने वाले विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में परियोजनाएं संचालित करने के लिए परिषद को प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत मूल्यांकन और निगरानीकर्ता एजेंसी के रूप में भी नामित किया गया है। परिषद जन अवास के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और अपनाने में विभिन्न राज्य सरकारों एवं अन्य एजेंसियों की भी सहायता कर रही है।

बीएमटीपीसी ने वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती–भारत (जीएचटीसी–इंडिया) के संगठन में सबके लिए आवास मिशन निदेशालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तकनीकी भागीदार के रूप में मिलकर काम किया। टीईसी द्वारा छः व्यापक श्रेणियों में जीएचटीसी इंडिया के अंतर्गत 54 प्रमाणित प्रौद्योगिकियों को चुना गया है। इन प्रमाणित प्रौद्योगिकियों को अब छः स्थानों पर लाइट हाउस परियोजनाओं (एलएचपी) के निष्पादन से प्रदर्शित किया जा रहा है। ये एलएचपी समूचे भारत में नवोन्मेषी और हरित निर्माण प्रथाओं को स्थापित करने के जीवंत प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करेंगे और टिकाऊ निर्माण में निश्चित रूप से सहायता करेंगे। मंत्रालय द्वारा परिषद को एक तकनीकी भागीदार

के रूप में नामित किया गया है और संबंधित राज्य सरकारों के साथ गहन समन्वय में एलएचपी के कार्यान्वयन के लिए नामित किया गया है। बीएमटीपीसी किसी भी प्रश्न के समाधान और एलएचपी के सुचारू संचालन के लिए मंत्रालय के साथ गहन समन्वय में एजेंसियों के साथ नियमित रूप से निगरानी और वार्तालाप कर रहा है। जीएचटीसी–भारत के अंतर्गत किफायती टिकाऊ आवास उत्प्रेरक (आशा) – इंडिया के माध्यम से चिन्हित भविष्य की संभावित प्रौद्योगिकियों को इनक्यूबेट और तेज करने की भी योजना बनाई गई है। परिषद ने किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) योजना और टेक्नोग्राहियों के ऑनलाइन अभियान के तहत तकनीकी सहायता भी प्रदान की।

मंत्रिमंडल के अनुमोदन से आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने बीएमटीपीसी के अंतर्गत एक राष्ट्रीय शहरी आवास निधि (एनयूएचएफ) का सृजन किया है जो ऋणदाता एजेंसियों या वित्तीय संस्थानों से ऋण एकत्रित करता है। एनयूएचएफ के लिए अतिरिक्त बजटीय संस्थानों (ईबीआर) द्वारा जुटाई गई निधियां बीएमटीपीसी को ऋण के रूप में प्राप्त हो रही है जिसको आगे केंद्रीय सहायता के रूप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संवितरित किया जा रहा है साथ ही मिशन के सीएलएसएस वर्टिकल के अंतर्गत केन्द्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनएज) को सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है। कार्यों की निगरानी एवं डेटा विश्लेषण, संकलन तथा प्रसारण व इलेक्ट्रोनिक रूप में आवधिक रिपोर्ट तैयार करने एवं अनुकूल तरीके में स्थल का दौरा/भौतिक सत्यापन करने के लिए बीएमटीपीसी के माध्यम से एक डेटा संसाधन सह निगरानी केंद्र (डीएमआरसी) भी स्थापित किया गया है।

बीएमटीपीसी आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन का एक प्रमुख गढ़ बन चुका है। बीएमटीपीसी इस दिशा में सक्रिय दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है और व्यावसायिकों को शिक्षित करने में सबसे आगे खड़ा है तथा विभिन्न पणधारकों के साथ आम आदमी सहित सामूहिक जागरूकता फैलाने के कार्यों में लगा हुआ है। लोगों में प्राकृतिक खतरों के बारे में जागरूकता और समझ फैलाने, विभिन्न खतरों के संबंध में अतिसंवेदनशीलता वाले क्षेत्रों जैसा कि भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर ई–पाठ्यक्रम, माननीय प्रधान मंत्री द्वारा विमोचित भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र के तीसरे संस्करण में प्रदान किया गया है, की पहचान करने में सहायता करने के उद्देश्य से योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर ई–पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है। बीएमटीपीसी अपने अभियंताओं और वास्तुकारों को पाठ्यक्रम आरंभ करने के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश देने के लिए पणधारकों और विभागों के साथ निरंतर प्रयास कर रहा है।

पूर्व वर्षों की भांति ही विश्व पर्यावास दिवस, 2020 के अवसर पर, परिषद् ने इस वर्ष भी यूएन पर्यावास द्वारा चुने गए विषय ''सबके लिए आवास : बेहतर शहरी भविष्य'' विषय पर तीन पुस्तकें (i) ''निर्माण सारिका'' का विशेषांक (ii) उभरती निर्माण प्रणालियों पर लघु पुस्तिका एवं (iii) कार्य निष्पादन प्रमाणन योजना (पीएसीएस) पर पुस्तिका का प्रकाशन किया। निर्माण क्षेत्र में ज्ञान के आधार को सुदृढ़ बनाने के क्रम में, परिषद् की वेबसाइट का नियमित अंतराल पर, नवीनतम गतिविधियों एवं सूचनाओं के साथ अद्यतन किया जा रहा है। वेबसाइट पर उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में सामान्य पूछताछ के रूप में बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही है। बीएमटीपीसी ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय एवं योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के सहयोग से उभरती निर्माण प्रणालियों के क्षेत्र में व्यावसायिकों की क्षमता का निर्माण करने के लिए नवरीति : नवोन्मेषी निर्माण प्रौद्योगिकियों पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम आरंभ किया है। परिषद नवीन निर्माण सामग्री और आपदा प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी का प्रचार–प्रसार करने के लिए अन्य क्रियाकलाप सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (ट्विटरः @ bmtpcdelhi; फेसबुकः @bmtpc.mhua; यूट्यूबः BMTPC) का उपयोग भी कर रही है।

यह मेरा सौभाग्य है कि बीएमटीपीसी द्वारा आरंभ किए गये और क्रियान्वित किए गये विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अध्यक्ष (माननीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री), प्रबंधन मंडल के सदस्यों, कार्यकारी समिति के अध्यक्ष (सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय) और बीएमटीपीसी की कार्यकारी समिति के सदस्यों तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से परिषद् को बहुमूल्य मार्गदर्शन, समर्थन और प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। बीएमटीपीसी नीति आयोग, शहरी विकास पर स्थायी संसदीय समिति, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिए आवास मिशन निदेशालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, विभिन्न राज्य सरकारों, नगर निगमों और शहरी स्थानीय निकायों, गृह मंत्रालय, उत्तर–पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय, एनडीएमए, एनआईडीएम, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, डीएसटी, सीएसआईआर, आईआईटी, सीईपीटी, आईपीआईआरटीआई, सीबीआरआई, एसईआरसी, आईसीआई, एसपीए, हड़को, बीआईएस, एनएचबी, एनसीएचएफ, एचपीएल, सीजीआईडब्ल्यूएचओ, सीपीडब्ल्यूडी, एनएसआईसी, सीआईडीसी, एवं आरआईसीएस, स्कूल ऑफ बिल्ट इनवार्यनमैंट को उनके द्वारा दिये गये निरंतर सहयोग और आगामी वर्षों में परिषद् के प्रयासों का समर्थन करने में रुचि लेने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता है।

मैं परिषद् के क्रियाकलापों का समय पर कार्यान्वयन करने में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किये गये सहयोग की भी हृदय से सराहना करता हूँ। परिषद् आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से प्राप्त समर्थन और सहयोग के प्रति आभार करती है, जिसने परिषद् को सौंपे गये कार्य (मेनडेट) को पूरा करने और इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में परिषद् की सहायता की।

शैलेश कु॰ अग्रवाल

(डॉ. शैलेश कुमार अग्रवाल)
कार्यकारी निदेशक

विषय-सूची

मिशन और ध्येय 1

प्रस्तावना 2

वर्ष 2020-21 के दौरान मुख्य पहलें और क्रियाकलाप 7

I. **उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए आदर्श प्रदर्शन निर्माण** 7

1. देश के विभिन्न भागों में उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए प्रदर्शन आवास परियोजना 7

II. **प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास (शहरी) मिशन** 15

1. प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के कार्यान्वयन में बीएमटीपीसी की भूमिका 15

III. **राष्ट्रीय शहरी आवास निधि (एनयूएचएफ) का क्रियान्वयन** 20

IV. **आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन** 21

1. भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस पर ई–पाठ्यक्रम 21
2. भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस पर वेबिनार का आयोजन 22
3. आपदा से सुरक्षित ग्रामीण आवास पर वेबिनार का आयोजन 23
4. भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर डेटा साझा करना 23

V. **निर्माण क्षेत्र में सूचना एवं डाटाबेस आधार का सुदृढ़ीकरण** 24

1. "निर्माण सारिका" – बीएमटीपीसी न्यूजलेटर के विशेषांक का प्रकाशन 24
2. उभरती निर्माण प्रणाली पर लघु पुस्तिका का प्रकाशन–तृतीय संस्करण 24
3. कार्य–निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणन योजना (पीएसीएस) पर पुस्तिका का प्रकाशन 25
4. मानकीकरण एवं उत्पाद मूल्यांकन 26
5. परिषद् की वेबसाइट के माध्यम से सूचना का प्रसार 27

VI. **प्रौद्योगिकी की पहचान, स्थानांतरण एवं संवर्धनात्मक गतिविधियां** 28

1. उभरती आवास प्रौद्योगिकियों की पहचान एवं मूल्यांकन 28
2. नवरीति : नवोन्मेषी निर्माण प्रौद्योगिकियों पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम 30
3. योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के ''योजना (आवास)'' के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों पर पाठ्यक्रम 33
4. गृहा वर्चुअल फेस्ट 34
5. विश्व पर्यावास दिवस 2020 समारोह 35

VII. **संगठन** 36

VIII. **स्टाफ संख्या (यथा 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार)**.....38

IX. **लेखा** 39

अनुबंध

I संवर्धनात्मक कार्यक्रमों में सहभागिता 61

II प्रस्तुतिकरण सहित प्रस्तुत/प्रकाशित आलेख 68

III वर्ष के दौरान प्रकाशित प्रकाशन 72

ध्येय

"बीएमटीपीसी, आम आदमी पर विशेष ध्यान देते हुए आपदा रोधी निर्माण सहित सुस्थिर निर्माण सामग्रियों और उचित प्रौद्योगिकियों तथा प्रणालियों के क्षेत्र में सभी के लिए विश्व स्तरीय ज्ञान (नॉलेज) तथा प्रदर्शन (डिमोंस्ट्रेशन) हब बने।"

मिशन

"आवास के सुस्थिर विकास के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों सहित संभावित लागत प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल, आपदा रोधी निर्माण सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों के संवर्द्धन और प्रयोगशालाओं से जमीन तक इनके अंतरण के लिए व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण बनाने की दिशा में कार्य करना"

प्रस्तावना

वर्ष 1990 में स्थापित निर्माण सामग्री एंव प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद् (बीएमटीपीसी) भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत संगठन है। बीएमटीपीसी को बड़े पैमाने पर क्षेत्र स्तरीय अनुप्रयोग हेतु उभरती निर्माण सामग्री एवं निमार्ण प्रौद्योगिक सहित संसाधन–दक्ष, जलवायु उत्तरदायी, आपदा रोधी निर्माण प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के कार्य सौंपे गये हैं। बीएमटीपीसी, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन सहित नवोन्मेषी निर्माण सामग्री एवं निर्माण प्रणाली के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने में मंत्रालय के संसाधन संस्थानों में से एक है।

अपनी स्थापना के बाद से, बीएमटीपीसी क्षेत्र में निर्माण सामग्री और आवास प्रौद्योगिकियों के सफल हस्तांतरण के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों, विदेशी संस्थानों के साथ नेटवर्किंग के माध्यम से बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाता है। परिषद निर्माण उद्योग में नवीन, लागत प्रभावी, पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल वैकल्पिक निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकियों को मुख्यधारा में लाने के लिए सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का भी प्रयास कर रही है।

उभरती हुई निर्माण प्रणालियों के क्षेत्र स्तर के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करने और हितधारकों तक पहुंचने के लिए, परिषद देश के विभिन्न हिस्सों में अन्य संरचनाओं सहित मॉडल प्रदर्शन घरों का निर्माण भी करती है। प्रौद्योगिकी विकास, संवर्धन और प्रसार प्रयासों के संबंध में, परिषद ने बांस आधारित आवास समाधान सहित आवास और भवन निर्माण में उपयोग के लिए विभिन्न तकनीकों को बढ़ावा दिया है।

हाल के वर्षों में परिषद ने न केवल स्थायी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने की दिशा में अपनी पहुंच का विस्तार किया है बल्कि पहचान, मूल्यांकन और प्रसार के माध्यम से किफायती सामूहिक आवास के लिए देश और विदेश से उभरती हुई औद्योगिक आवास प्रणालियों का प्रचार भी किया है। मंत्रालय के साथ परिषद विभिन्न उभरती प्रौद्योगिकियों को पेश करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है, जो दुनिया में कहीं और सफल हैं ताकि आवास निर्माण में संसाधन दक्षता, अर्थव्यवस्था, गुणवत्ता, पर्यावरण संरक्षण, गति और स्थायित्व लाया जा सके।

बीएमटीपीसी आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल है और एनडीएमए, एनआईडीएम और अन्य संस्थानों के साथ निकट संपर्क में काम कर रहा है। 1997 और 2006 में भारत का पहला सुभेद्यता एटलस लाने के अलावा, परिषद ने 2019 में भारत के अपने अतिसंवेदनशीलता मानचित्र का तीसरा संस्करण निकाला, जिसका विमोचन भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था।

भारत की अतिसंवेदनशीलता मानचित्र और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन और निर्माण प्रथाओं के बारे में प्रशिक्षित करने और जागरूकता फैलाने के लिए, परिषद ने आवास और अवसंरचना क्षेत्र में काम करने वाले अभियंताओं, वास्तुकारों और अन्य पणधारकों के लिए डिजाइन किए गए वेबिनार का आयोजन किया। योजना एवं वास्तुकला विद्यालय नई दिल्ली के सहयोग से भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर ई–पाठ्यक्रम भी आरंभ किया गया जिसका शुभारंभ माननीय मंत्री द्वारा किया गया था। इसके अलावा, परिषद नियमित रूप से आपदा प्रतिरोधी निर्माण पर बहुमूल्य दिशानिर्देश/नियमावली प्रकाशित करती है। भूकंप संबंधी तैयारियां और भूकंप प्रतिरोधी निर्माण प्रथाओं और भूकंपीय रेट्रोफिटिंग का प्रचार–प्रसार करने के लिए, परिषद ने लाइफ लाइन भवन सहित कुछ भवनों की रेट्रोफिटिंग की है और व्यावसायिकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये।

मंत्रालय की तकनीकी एजेंसी होने के कारण, बीएमटीपीसी को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत प्रौद्योगिकी उप–मिशन के अधीन विभिन्न क्रियाकलाप संचालित करने का कार्य सौंपा गया है। प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत प्रौद्योगिकी उप–मिशन का उद्देश्य राज्यों में सतत विकास के लिए नवीन और हरित प्रौद्योगिकियों को मुख्यधारा में लाना है। बीएमटीपीसी टेक्नोलोजी सब–मिशन के सचिवालय की भांति काम कर रहा है और मंत्रालय और राज्यों

को आपदा प्रतिरोधी, ऊर्जा दक्ष और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को परिनियोजित करने में सहायता कर रहा है। भूकंप क्षेत्र IV और जोन V में पड़ने वाले विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में परियोजनाएं संचालित करने के लिए परिषद को प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत मूल्यांकन और निगरानीकर्ता एजेंसी के रूप में भी नामित किया गया है। परिषद जन अवास के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और अपनाने में विभिन्न राज्य सरकारों एवं अन्य एजेंसियों की भी सहायता कर रही है। बीएमटीपीसी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती–भारत (जीएचटीसी–इंडिया) में तकनीकी भागीदार भी है।

जीएचटीसी–इंडिया के अंतर्गत चुनी गई प्रमाणित प्रौद्योगिकियों को पूरे भारत में छह स्थानों पर लाइट हाउस परियोजनाओं (एलएचपी) के निष्पादन से प्रदर्शित किया जा रहा है। संबंधित राज्य सरकारों के साथ गहन समन्वय में एलएचपी के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा परिषद को कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया है। परिषद किफायती टिकाऊ आवास उत्प्रेरक (आशा) – इंडिया के माध्यम से चिन्हित भविष्य की संभावित प्रौद्योगिकियों के ऊष्मायन और त्वरण में भी जुड़ी हुई है। परिषद ने टेक्नोग्राही और किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) योजना में मंत्रालय को अपना तकनीकी समर्थन भी दिया। बीएमटीपीसी ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के सहयोग से उभरती निर्माण प्रणाली के क्षेत्र में काम करने वाले व्यावसायिकों (पेशेवरों) के क्षमता निर्माण के उद्देश्य से नवरीति : नवोन्मेषी निर्माण प्रौद्योगिकियों पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ किया है जिसका शुभारंभ माननीय प्रधान मंत्री ने किया था।

मंत्रिमंडल के अनुमोदन से आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने बीएमटीपीसी के अंतर्गत एक राष्ट्रीय शहरी आवास निधि (एनयूएचएफ) का सृजन किया है जो ऋणदाता एजेंसियों या वित्तीय संस्थानों से ऋण एकत्रित करता है। एनयूएचएफ के लिए अतिरिक्त बजटीय संस्थानों (ईबीआर) द्वारा जुटाई गई निधियां बीएमटीपीसी को ऋण के रूप में प्राप्त हो रही है जिसको आगे केंद्रीय सहायता के रूप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संवितरित किया जा रहा है साथ ही मिशन के सीएलएसएस वर्टिकल के अंतर्गत केन्द्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनएज) को सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है। कार्यों की निगरानी एवं डेटा विश्लेषण, संकलन तथा प्रसारण व इलेक्ट्रोनिक रूप में आवधिक रिपोर्ट तैयार करने एवं अनुकूल तरीके में स्थल का दौरा/भौतिक सत्यापन करने एवं जागरूकता फैलाने के अन्य क्रियाकलापों के लिए बीएमटीपीसी द्वारा डेटा संसाधन सह निगरानी केंद्र (डीएमआरसी) भी संचालित किया जा रहा है। डीआरएमसी के सुचारू संचालन के लिए में विशेषज्ञों और सहायक कर्मचारियों के साथ बीएमटीपीसी अधिकारियों की एक समर्पित टीम आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में कार्यरत है।

उद्देश्य

परिषद के व्यापक उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- **भवन निर्माण सामग्री एवं निर्माण प्रौद्योगिकियां:** निर्माण क्षेत्र में प्रमाणित नवोन्मेषी एवं उभरती निर्माण सामग्रियां तथा प्रौद्योगिकियों के विकास, मानकीकरण, यंत्रीकरण तथा बड़े पैमाने पर धरातल पर अनुप्रयोग को बढ़ावा देना।
- **क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास:** व्यावसायिकों, निर्माण एजेंसियों, कारीगरों हेतु क्षमता निर्माण एवं उचित निर्माण पद्धतियों को प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रशिक्षण संसाधन केन्द्र के रूप में काम करना तथा निर्माण प्रौद्योगिकी को प्रयोगशाला से जमीन तक लाने के लिए विपणन करना
- **आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन:** प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण, भेद्यता तथा जोखिम कम करने की प्रौद्योगिकियों एवं कार्य–प्रणालियों को बढ़ावा देना और रेट्रोफिटिंग/भवनों का पुनर्निमाण तथा मानव बस्तियों के लिये आपदा रोधी योजना बनाना।
- **परियोजना प्रबंधन एवं परामर्श:** मूल्यांकन, निगरानी तथा केन्द्र/राज्य की विभिन्न योजनाओं के तहत आवास परियोजनाओं का तृतीय पक्ष का निरीक्षण सहित परियोजना प्रबंधन तथा परामर्श की सेवाएं देना।

प्रमुख कार्य क्षेत्र

अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, बीएमटीपीसी ने अपनी गतिविधियों के निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है:

- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आवास क्षेत्र के लिए उपलब्ध प्रमाणित एवं उभरती आवास प्रौद्योगिकियों की पहचान करना, उसका मूल्यांकन करना एवं उसे बढ़ावा देना।
- निर्माण में गति, किफायत, कुशलता एवं गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना।
- प्रौद्योगिकियों को प्रोन्नत करने, जानकारी जुटाने, आत्मसात करने तथा प्रसार करते हुए प्रौद्योगिकियों के बड़े पैमाने पर अनुप्रयोग हेतु सामर्थ्यकारी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।
- प्रदर्शन संरचना के माध्यम से प्रमाणित, स्थानीय तौर पर उपलब्ध एवं उभरती प्रौद्योगिकियों हेतु पर्यावरण अनुकूल, ऊर्जा दक्ष तथा आपदा रोधी प्रौद्योगिकियों का जमीनी स्तर पर अनुप्रयोग।
- उभरती हुई प्रौद्योगिकी/ प्रणाली सहित प्रमाणित भवन निर्माण सामग्रियों/प्रौद्योगिकियों पर संहिताओं, अनुसूचियों और मानकों का निरुपण।
- लागत प्रभावी एवं नवोन्मेषी भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकियों के लाभ, टिकाऊपन एवं स्वीकार्यता का प्रलेखन।
- क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों के द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिकों एवं निर्माण कामगारों के कौशल को संवर्धन करना
- आपदा रोधी निर्माण प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत डेटा संसाधन–एवं–निगरानी केन्द्र (डीएमआरसी) के संचालन कार्य प्रारंभ करने संहित आवास परियोजनाओं का मूल्यांकन, निगरानी तथा तृतीय पक्ष निरीक्षण करना।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अतिरिक्त बजटीय संसाधन के माध्यम से राष्ट्रीय शहरी आवास निधि (एनयूएचएफ) का क्रियान्वयन
- परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी सेवाएं
- सफलता की कहानियों का दस्तावेजीकरण सहित उपयोगकर्ता पुस्तक, दिशानिर्देश, सार–संग्रह, निर्देशिका, विवरणिका, तकनीकी–व्यवहार्यता रिपोर्ट, वीडियो फिल्म, प्रदर्शन सीडी, इंटरेक्टिव वेबसाइट, ब्लॉग का प्रकाशन।

प्रशासन एवं प्रबंधन

बीएमटीपीसी त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाकर अपने प्रशासनिक एवं तकनीकी दायित्वों का पालन करता है जो निम्नानुसार है:

i. प्रबंधन बोर्ड जिसके अध्यक्ष माननीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री होते हैं
ii. कार्यकारी समिति जिसके अध्यक्ष सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय होते हैं
iii. कार्यकारी निदेशक जो बीएमटीपीसी के प्रमुख होते हैं

परिषद् के प्रबंधन बोर्ड में विभिन्न मंत्रालयों एवं संबंधित संगठनों के 16 सदस्य शामिल हैं। कार्यकारी समिति में आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, आवास एवं शहरी विकास निगम (हडको), केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) एवं तकनीकी विशेषज्ञों से 9 सदस्य शामिल हैं। प्रबंधन बोर्ड एवं कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची नीचे दी गई है:

प्रबंधन मंडल

(31.3.2021 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	सदस्यगण	
1	श्री हरदीप सिंह पुरी माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार.), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष
2	श्री दुर्गा शंकर मिश्र सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	उपाध्यक्ष
3	श्री पराग गुप्ता वरिष्ठ सलाहकार (आरडी एवं एचयूए), नीति आयोग, भारत सरकार	सदस्य
4	श्री कामरान रिजवी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आवास एवं शहरी विकास निगम (हडको)	सदस्य
5	श्री बी.बी. स्वैन सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
6	प्रो. आशुतोष शर्मा सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
7	डॉ. इन्द्रजीत सिंह सचिव, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
8	श्री जी.वी.वी. शर्मा सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार	सदस्य
9	डॉ. शेखर सी. मांडे, महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, भारत सरकार	सदस्य
10	श्री वी.के. जायसवाल, महानिदेशक, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, भारत सरकार	सदस्य
11	प्रो. के. एन. सत्यनारायण निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), तिरूपति	सदस्य
12	प्रो. सुधीर कुमार जैन निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), गांधीनगर	सदस्य
13	श्री शिव दास मीणा अतिरिक्त सचिव (आवास), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य

क्र.सं.	सदस्यगण	
14	श्री श्याम एस. दुबे संयुक्त सचिव एवं एफए, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
15	श्री अमृत अभिजात संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एचएफए) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
16	डॉ. शैलेश कुमार अग्रवाल कार्यकारी निदेशक, निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद	सदस्य–सचिव

कार्यकारी समिति

(31.3.2021 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	सदस्यगण	
1	श्री दुर्गा शंकर मिश्र सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष
2	श्री शिव दास मीणा अतिरिक्त सचिव (आवास), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
3	श्री श्याम एस. दुबे संयुक्त सचिव एवं एफए, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
4	श्री अमृत अभिजात संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एचएफए) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
5	श्री कामरान रिजवी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आवास एवं शहरी विकास निगम (हडको)	सदस्य
6	डॉ. एन. गोपालकृष्णन निदेशक, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की	सदस्य
7	प्रो. प्रदिप्ता बनर्जी प्रमुख, सेंटर फार अर्बन साईंस एंड इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट आफ सिविल इंजीनियरिंग, आईआईटी मुंबई	सदस्य
8	श्री जे.एस.गोपीनाथ निदेशक एवं प्रमुख वास्तुकार, जेएसकेएम आर्किटेक्चर, इंटीरियरस क्यूब, हैदराबाद	सदस्य
9	डॉ. शैलेश कुमार अग्रवाल कार्यकारी निदेशक, निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद	सदस्य–सचिव

वर्ष 2020–21 के दौरान मुख्य पहलें और क्रियाकलाप

I. उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए आदर्श प्रदर्शन भवन

1. देश के विभिन्न भागों में उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए प्रदर्शन आवास परियोजनाएं

बीएमटीपीसी प्रदर्शन निर्माण द्वारा प्रौद्योगिकियों की पहचान, मूल्यांकन, मानकीकरण, प्रमाणन, क्षमता निर्माण एवं जमीनी स्तर के अनुप्रयोग के माध्यम से नई एवं वैकल्पिक भवन निर्माण सामग्रियों एवं प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रौद्योगिकी उप–मिशन के तहत, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने बीएमटीपीसी के माध्यम से प्रदर्शन आवास परियोजनाओं (डीएचपी) के निर्माण की पहल की है।

देश के विभिन्न हिस्सों में संचालित प्रदर्शन आवास परियोजनाओं के निर्माण का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक प्रौद्योगिकियों के स्थान पर दूसरी प्रौद्योगिकियों को लाने में व्यापक प्रसार और नई/वैकल्पिक और टिकाऊ निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकियों को अपनाने की सुविधा प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त यह विश्वास पैदा करने और देश के विभिन्न भू–जलवायु क्षेत्रों के अनुकूल ऐसी सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए सामर्थ्यकारी माहौल बनाने में भी सहायता करता है, इस प्रकार आवास को अधिक किफायती और सुलभ बनाता है। इससे पूर्व, बीएमटीपीसी नेल्लोर, आंध्र प्रदेश, भुवनेश्वर, ओडिशा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, बिहारशरीफ, बिहार और हैदराबाद, तेलंगाना में प्रदर्शन आवास परियोजनाएं (डीएचपी) पूरी कर चुका है। भुवनेश्वर, लखनऊ और बिहारशरीफ में संबंधित राज्य सरकारों को प्रदर्शन आवास परियोजनाएं (डीएचपी) पहले ही सौंपी जा चुकी हैं। नेल्लोर और हैदराबाद में प्रदर्शन आवास परियोजनाएं (डीएचपी) संबंधित राज्य सरकारों को सौंपे जा रहे हैं।

वर्ष के दौरान बीएमटीपीसी ने पंचकुला, हरियाणा और अगरतला, त्रिपुरा में प्रदर्शन आवास परियोजनाएं (डीएचपी) का निर्माण आरंभ किया। इन परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

पंचकूला, हरियाणा स्थित प्रदर्शन आवास परियोजना

परियोजना की मुख्य विशेषताएं:

- परियोजना का उपयोग: कामकाजी महिला छात्रावास
- नोडल एजेंसी: नगर निगम पंचकुला
- स्थान: सेक्टर 27, पंचकुला
- डीएचपी के लिए भूखंड का क्षेत्रफल: 1412.36 वर्ग मीटर
- कुल कर्वड एरिया: 2015.95 वर्ग मीटर
- इकाइयों/कमरों की संख्या : 40 (जी+3)
- इकाई का कार्पेट एरिया : 21.86 वर्ग मीटर
- प्रत्येक इकाई में शौचालय और रसोईघर के साथ एक कमरा
- अन्य प्रावधानों में अतिथि कक्ष, चिकित्सा कक्ष, केयर टेकर कक्ष, डेकेयर सेंटर, साझा कक्ष/भोजन कक्ष और लॉन्ड्री शामिल हैं।

उपयोग की जा रही तकनीक:

नींव

प्लिंथ बीम के साथ अलग आरसीसी कॉलम फुटिंग

दीवार

- लाइट गेज स्टील फ्रेमवर्क सिस्टम (एलजीएसएफएस) दीवारों के दोनों ओर सीमेंट फाइबर बोर्ड के साथ और रॉक वूल का इंफिल

तल के स्लैब/छत

- वेब जॉइस्ट पर टिकी हुई एमएस डेक शीट के साथ लाइट गेज स्टील रूफ ट्रस और जिप्सम बोर्ड की फाल्स सीलिंग के साथ छत पर कंक्रीट स्क्रीड

काष्टकर्म (लकड़ी का काम) और दीवार सज्जा (फिनिशिंग)

चौखट/शटर:

- फ्लश शटर के साथ दाबित (प्रेस्ड) स्टील चौखट

पंचकुला, हरियाणा में दीवारों के दोनों ओर सीमेंट फाइबर बोर्ड और रॉक वूल के भरान के साथ लाइट गेज स्टील फ्रेमवर्क सिस्टम (एलजीएसएफएस) का उपयोग करते हुए प्रदर्शन आवास परियोजना

- शौचालयों में पीवीसी शटर के साथ पीवीसी चौखट

खिड़की की चौखट/शटरः

- चमकदार (ग्लेज्ड) पैनल और वायर मेश शटर के साथ यूपीवीसी चौखट

फर्शः

- कमरे और रसोई में विट्रिफाइड टाइल फर्श
- स्नानागार और डब्ल्यूसी में एंटी–स्किड सिरेमिक टाइलें
- सार्वजनिक क्षेत्रों में विट्रिफाइड फर्श और सीढ़ी पर ग्रेनाइट पत्थर

दीवार सज्जा/फिनिशिंगः

- बाहरी दीवारों पर वेदर प्रूफ एक्रेलिक इमल्शन पेंट
- अंदरुनी दीवारों पर पीओपी के ऊपर ऑयल बाउंड डिस्टेंपर
- शयन कक्ष में लकड़ी के कप बोर्ड और किचन स्लैब के नीचे लकड़ी के कैबिनेट
- बिजली के फिक्स्चर जैसे पंखे, एलईडी लाइट आदि

अवसंरचना घटक

- फुटपाथों में सीसी सड़कें और पेवर ब्लॉक,
- वर्षा जल संचयन
- सौर सड़क प्रकाश (स्ट्रीट लाइट)
- भूनिर्मित मार्ग (लैंडस्केप कोर्ट)
- एनबीसी मानदंडों के अनुसार अग्नि सुरक्षा प्रावधान

अगरतला, त्रिपुरा में प्रदर्शन आवास परियोजना

परियोजना की मुख्य विशेषताएं

- परियोजना का उपयोग : सामाजिक उद्देश्य
- नोडल एजेंसी : शहरी विकास विभाग, त्रिपुरा
- स्थानः नरसिंहगढ़, पश्चिम त्रिपुरा
- डीएचपी के लिए भूखंड का क्षेत्रफल : 2360 वर्ग मीटर
- कुल कर्वड एरियाः 1833.74 वर्ग मीटर
- इकाइयों/कमरों की संख्याः 40 (जी+1)
- इकाई का कार्पेट एरिया : 21.86 वर्ग मीटर
- प्रत्येक इकाई में शौचालय और पेंट्री के साथ एक कमरा
- अन्य प्रावधानों में अतिथि कक्ष, चिकित्सा कक्ष, केयर टेकर रूम, किचन के साथ साझा भोजन कक्ष और एक्टिविटी रूम शामिल हैं।

उपयोग की जा रही तकनीकः

नींव

- प्लिंथ बीम के साथ अलग आरसीसी कॉलम फुटिंग

दीवार

- स्ट्रिक्चरल स्टे इन प्लेस स्टील फॉर्मवर्क (कॉफर)
- स्लैब/छत कास्ट इन सीटू आरसीसी स्लैब से

काष्टकर्म (लकड़ी का काम) और दीवार सज्जा (फिनिशिंग)

चौखट/शटरः

- फ्लश शटर के साथ दाबित (प्रेस्ड) स्टील चौखट
- शौचालयों में पीवीसी शटर के साथ पीवीसी चौखट

खिड़की की चौखट/शटरः

- चमकदार (ग्लेज्ड) पैनल और वायर मेश शटर के साथ यूपीवीसी चौखट

फर्शः

- कमरे और रसोई में विट्रिफाइड टाइल फर्श
- स्नानागार और डब्ल्यूसी में एंटी–स्किड सिरेमिक टाइलें
- कॉमन एरिया और सीढ़ी में कोटा पत्थर का फर्श

दीवार सज्जा/फिनिशिंगः

- बाहरी दीवारों पर वेदर प्रूफ एक्रेलिक इमल्शन पेंट
- अंदरुनी दीवारों पर पीओपी के ऊपर ऑयल बाउंड डिस्टेंपर
- शयन कक्ष में लकड़ी के कप बोर्ड और किचन स्लैब के नीचे लकड़ी के कैबिनेट
- बिजली के फिक्स्चर जैसे पंखे, एलईडी लाइट आदि

अवसंरचना घटक

- फुटपाथों में सीसी सड़कें और पेवर टाइलें
- वर्षा जल संचयन के लिए प्रावधान
- सौर सड़क प्रकाश (स्ट्रीट लाइट)
- भूनिर्मित मार्ग (लैंडस्केप कोर्ट)
- एनबीसी मानदंडों के अनुसार अग्नि सुरक्षा प्रावधान

अगरतला, त्रिपुरा में स्ट्रक्चरल स्टे इन प्लेस स्टील फॉर्मवर्क (कॉफोर) का उपयोग करते हुए प्रदर्शन आवास परियोजना

पंचकुला, हरियाणा में डीएचपी का निर्माण कार्य प्रगति पर है और शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है। अगरतला, त्रिपुरा में डीएचपी में, सभी संरचनात्मक कार्य पूरे कर लिए गए हैं और सज्जा (फिनिशिंग) कार्य प्रगति पर है।

वर्ष के दौरान अहमदाबाद, गुजरात और चिंबेल, गोवा में डीएचपी के निर्माण कार्य का कार्यादेश सीपीपीपी पर बोली प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रदान किया गया और इसके उपरांत संविदा करार पर हस्ताक्षर किए गए। इन परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

अहमदाबाद, गुजरात में प्रदर्शन आवास

1	परियोजना परियोजना का स्थान	हाथीजन, अहमदाबाद, गुजरात
2	परियोजना का उपयोग	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों को दिया जाएगा।
3	राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूखंड का कुल क्षेत्रफल	20000.00 वर्गमीटर
4	डीएचपी के लिए उपयोग किये जाने वाले भूखंड का क्षेत्रफल	2372.00 वर्गमीटर
5	कुल निर्मित क्षेत्र	2056.8 वर्गमीटर (22131.17 वर्गमीटर)
6	मंजिलों / इकाइयों की संख्या	40 (G+3)
7	प्रत्येक इकाई का कार्पेट एरिया	35.78 वर्गमीटर
8	डीएचपी में सम्मिलित घटक	ब्लॉक ए – 16 आवास इकाई – प्रत्येक 50.25 वर्गमीटर ब्लॉक बी एवं सी – 24 आवास इकाई – प्रत्येक 52.20 वर्गमीटर {औसत क्षेत्रफल प्रति इकाई – 51.42 वर्गमीटर (553.28 वर्गफीट) जिसमें बैठक कक्ष, शयन कक्ष, रसोईघर, स्नानागार, शौचालय, लॉबी, बरामदा और धुलाई की जगह सम्मिलित है}
9	अवसंरचना घटक	सड़कें और फुटपाथ, चार दीवारी और गेट, सीवरेज, बाहरी जल आपूर्ति, जल निकासी, पानी की भूमिगत टंकी, वर्षा जल संचयन, बाहरी विद्युतीकरण, सौर स्ट्रीट लाइट, अग्निशमन कार्य, भूनिर्माण, आदि।
10	उपयोग की जाने वाली तकनीक	एकीकृत हाइबर्ड साधन (सोल्यूशन)–एक (एचआईएस–एक)

गोवा में प्रदर्शन आवास परियोजना

1	स्थान	चिंबेल, गोवा
2	परियोजना का उपयोग	वृद्धाश्रम
3	राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूखंड का कुल क्षेत्रफल	29275 वर्गमीटर
4	डीएचपी के लिए उपयोग किये जाने वाले भूखंड का क्षेत्रफल	2000 वर्गमीटर
5	कुल निर्मित क्षेत्र	1954.2 वर्गमीटर या 21027.20 वर्गफीट
6	मंजिलों / इकाइयों की संख्या	G+1
7	डीएचपी में सम्मिलित घटक	कमरे (एकल) – 5, कमरे (दो व्यक्तियों के लिए साझा) 2, कमरा (तीन व्यक्तियों के लिए साक्ष) 1, कमरे (चार व्यक्तियों के लिए साझा) 4, कमरा (छः व्यक्तियों के लिए साझा) 1, कमरा (सात व्यक्तियों के लिए साझा) 1, कमरा (दस व्यक्तियों के लिए साझा) 1 अन्य प्रावधान गतिविधि कक्ष (1), पूजा कक्ष (1), रसोई के साथ भोजन कक्ष (1), वाचनालय कक्ष (1), चिकित्सक कक्ष (2), फिजियो थेरेपी कक्ष (1), आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा कक्ष (1), नर्सों के लिए कमरा (1), केयरटेकर कक्ष (1), आरएम (1), कार्यालय (1), किराने की दुकान (1), (लिफ्ट रूम (1) एवं महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग–अलग शौचालय, रैंप

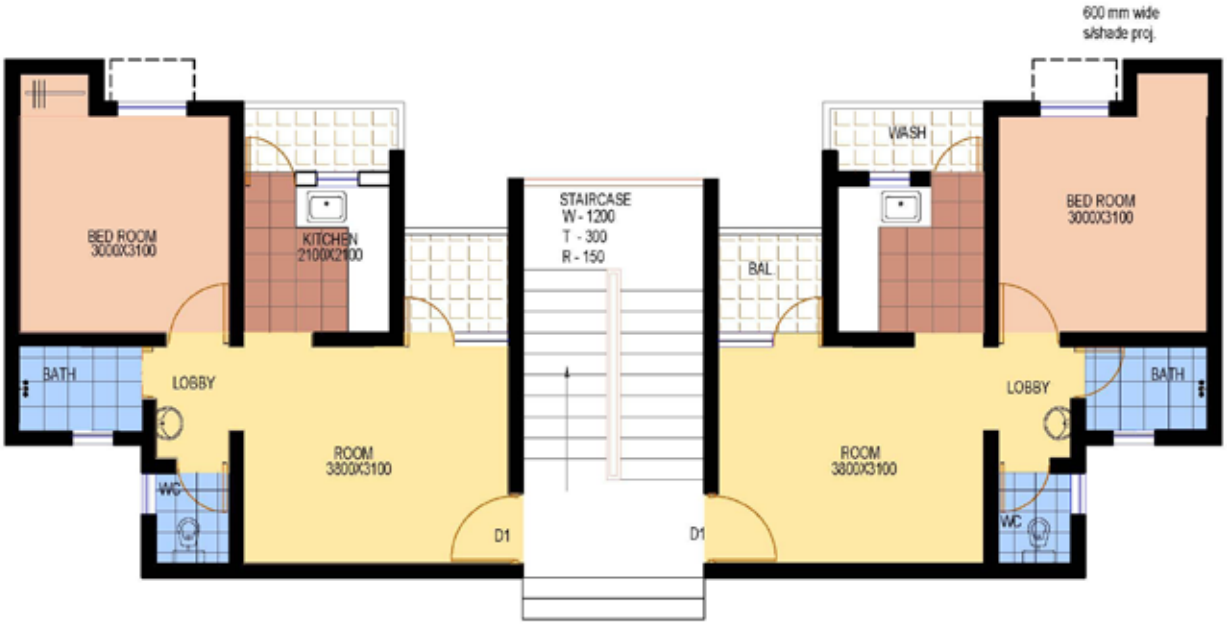

TYPICAL UNIT PLAN

अहमदाबाद, गुजरात में एकीकृत हाइब्रिड सॉल्यूशन-वन (एचआईएस-वन) का उपयोग करते हुए प्रदर्शन आवास परियोजना की लेआउट योजना और विशिष्ट इकाई योजना

चिम्बल, गोवा में दीवार के दोनों ओर प्रीकास्ट कंक्रीट पैनल और इन्फिल के रूप में हल्के वजन वाले कंक्रीट के साथ लाइट गेज स्टील फ्रेमयुक्त संरचना का उपयोग करते हुए प्रदर्शन आवास परियोजना की लेआउट योजना

8	अवसंरचना घटक	सड़कें और फुटपाथ, बाहरी जल आपूर्ति सीवरेज, जल निकास, सेप्टिक टैंक, पानी की भूमिगत टंकी, बोरवेल, वर्षा जल संचयन, बाहरी विद्युतीकरण, सौर स्ट्रीट लाइट, अग्निशमन प्रावधान, भूनिर्माण, गेट के साथ चारदीवारी आदि।
9	उपयोग की जाने वाली तकनीक	दीवार के दोनों ओर प्रीकास्ट कंक्रीट पैनलों के साथ लाइट गेज स्टील फ्रेमयुक्त संरचना और भरान (इनफिल) में हल्के वजनी कंक्रीट

उपरोक्त दोनों डीएचपी के लिए वास्तुशिल्प चित्र तैयार कर संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को उनके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है। कोविड–19 महामारी के कारण, दोनों डीएचपी पर निर्माण कार्य शीघ्र ही आरंभ होने की संभावना है।

सीएसएमसी के अनुमोदन से, भोपाल, मध्य प्रदेश, गुवहाटी, असम, तिरुपुर, तमिलनाडु और अयोध्या, उत्तर प्रदेश में भी चार प्रदर्शन आवास परियोजनाएं आरंभ की गई हैं। पीएमएवाई–शहरी के सीएसएमसी के विचारार्थ इन चार प्रदर्शन आवास परियोजनाओं (डीएचपी) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसके अलावा, संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ–साथ इच्छुक राज्यों में प्रदर्शन आवास परियोजनाओं के निर्माण के लिए स्थलों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए क्षेत्र का दौरा किया गया। भोपाल, मध्य प्रदेश में डीएचपी के लिए निविदाएं एनआईसी के सीपीपी पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित की गई हैं और तकनीकी बोलियां खोली गई हैं। प्राप्त बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन के उपरांत वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी।

गुवहाटी, असम, तिरुपुर, तमिलनाडु और अयोध्या, उत्तर प्रदेश में में डीएचपी के लिए निविदा की तैयारी चल रही है और इसे बोली आमंत्रित करने के लिए एनआईसी के सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

इसके अलावा, शेष राज्यों से भी प्रदर्शन आवास परियोजनाओं के माध्यम से नवीन प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने और अपनी निर्माण परियोजनाओं में उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का अनुरोध किया जा रहा है।

प्रदर्शन आवास परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रचार के लिए तकनीकी समूह

एसएलएनए के प्रतिनिधि, स्थानीय एलआईटी / एनआईटी / अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञ, शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) और बीएमटीपीसी के इंजीनियर सदस्य को मिलाकर एक तकनीकी समूह का गठन किया गया है जो प्रदर्शन आवास परियोजनाओं (डीएचपी) की प्रगति की निगरानी करेगा और राज्य सरकार के भीतर व्यापक स्वीकार्यता के लिए डीएचपी में उपयोग की जाने वाली उभरती प्रौद्योगिकियों का प्रचार–प्रसार करेगा।

II. प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन

1. प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के कार्यान्वयन में बीएमटीपीसी की भूमिका

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ''प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – सबके लिए आवास'' मिशन को क्रियान्वित करने का कार्य कर रही है। भूकंप क्षेत्र IV और जोन V में पड़ने वाले विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में परियोजनाओं के लिए परिषद को मूल्यांकन और निगरानी एजेंसी के रूप में नामित किया गया है इसके अलावा परिषद राज्य स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों की टीपीआईएम समीक्षा और क्षमता निर्माण का कार्य भी करती है। वर्ष के दौरान, परिषद ने मंत्रालय के निर्देश के अनुसार निम्नलिखित क्रियाकलाप किये:

प्रधानमंत्री आवास योजना के बीएलसी वर्टिकल के तहत परियोजनाओं की डीपीआर डेस्क समीक्षा के साथ स्थलीय समीक्षा

क. सिलचर शहर, असम के लिए पीएमएवाई(यू)–एचएफए के लाभार्थीनीत निर्माण वर्टिकल के तहत 1298 नई आवास इकाईयों के निर्माण से संबंधित डेस्क समीक्षा रिपोर्ट 31 जुलाई, 2020 को मंत्रालय को भेजी गई।

ख. थौबल नगर परिषद (चरण–II), मणिपुर के लिए पीएमएवाई–एचएफए (यू) के लाभार्थीनीत निर्माण वर्टिकल के तहत 1520 नई आवास इकाईयों के निर्माण के लिए डेस्क और स्थलीय समीक्षा रिपोर्ट, 30 जुलाई, 2020 (डेस्क समीक्षा रिपोर्ट) और 28 सितंबर, 2020 (स्थलीय समीक्षा रिपोर्ट) को मंत्रालय को भेजी गई।

ग. कोलासिब टाउन, मिजोरम के लिए पीएमएवाई–एचएफए (यू) के लाभार्थीनीत निर्माण वर्टिकल के तहत 871 नई आवास इकाईयों के निर्माण के लिए डेस्क और साइट समीक्षा रिपोर्ट, 6 अगस्त, 2020 को मंत्रालय को भेजी गई।

घ. अगरतला टाउन, त्रिपुरा के लिए पीएमएवाई–एचएफए (यू) के लाभार्थीनीत निर्माण वर्टिकल के तहत 3669 नई आवास इकाईयों के निर्माण के लिए डेस्क और स्थलीय समीक्षा रिपोर्ट, 30 जुलाई, 2020 (डेस्क समीक्षा रिपोर्ट) और 28 सितंबर, 2020 (स्थलीय समीक्षा रिपोर्ट) को मंत्रालय को भेजी गई।

ङ. बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में लाभार्थीनीत निर्माण के तहत 30 वर्धित आवास इकाइयों के निर्माण के लिए डेस्क और स्थलीय समीक्षा रिपोर्ट 6 अगस्त, 2020 को मंत्रालय को भेजी गई।

च. पोंटा साहिब, हिमाचल प्रदेश में लाभार्थीनीत निर्माण के तहत 64 नई आवास इकाइयों के निर्माण के लिए डेस्क और स्थलीय समीक्षा रिपोर्ट 6 अगस्त, 2020 को मंत्रालय को भेजी गई।

छ. बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में लाभार्थीनीत निर्माण के तहत 77 वर्धित आवास इकाइयों के निर्माण के लिए डेस्क और स्थलीय समीक्षा रिपोर्ट 10 फरवरी, 2021 को मंत्रालय को भेजी गई।

ज. रुड़की शहर, उत्तरांखड में लाभार्थीनीत निर्माण के तहत 37 वर्धित आवास इकाइयों के निर्माण के लिए डेस्क और स्थलीय समीक्षा रिपोर्ट 31 मार्च, 2021 को मंत्रालय को भेजी गई।

झ. जागीरोड शहर, असम के लिए पीएमएवाई–एचएफए (यू) के लाभार्थीनीत निर्माण वर्टिकल के तहत 863 नये आवासों के निर्माण से संबंधित डेस्क एवं स्थलीय समीक्षा रिपोर्ट 31 मार्च, 2021 को मंत्रालय को भेजी गई।

ञ. करीमगंज शहर, असम के लिए पीएमएवाई–एचएफए (यू) के लाभार्थीनीत निर्माण वर्टिकल के तहत 3330 नये आवासों के निर्माण से संबंधित डेस्क एवं स्थलीय समीक्षा रिपोर्ट 31 मार्च, 2021 को मंत्रालय को भेजी गई।

ट. नम्बोल नगर परिषद (चरण-II), मणिपुर के लिए पीएमएवाई–एचएफए (यू) के लाभार्थीनीत निर्माण वर्टिकल के तहत 2325 नये आवासों के निर्माण से संबंधित डेस्क एवं स्थलीय समीक्षा रिपोर्ट 31 मार्च, 2021 को मंत्रालय को भेजी गई।

ठ. मोकोकचुंग टाउन (चरण–II), नागालैंड में लाभार्थी के नेतृत्व वाले निर्माण के तहत 95 एन्हांसमेंट डीयू के निर्माण के लिए डेस्क और साइट जांच रिपोर्ट, 31 मार्च, 2021 को मंत्रालय को अग्रेषित की गई। मोकोकचुंग शहर (चरण–II), नागालैंड में लाभार्थीनीत निर्माण के तहत 95 वर्धित आवास इकाइयों के निर्माण के लिए डेस्क और स्थलीय समीक्षा रिपोर्ट 31 मार्च, 2021 को मंत्रालय को भेजी गई।

ड. वोखा शहर (चरण-II), नागालैंड के लिए पीएमएवाई–एचएफए (यू) के लाभार्थीनीत निर्माण वर्टिकल के तहत 1307 नये आवासों के निर्माण से संबंधित डेस्क एवं स्थलीय समीक्षा रिपोर्ट 31 मार्च, 2021 को मंत्रालय को भेजी गई।

प्रौद्योगिकी उप-मिशन

''देश की भू–जलवायुवीय एवं जोखिम परिस्थितियों के अनुसार त्वरित और किफायती आवास निर्माण हेतु टिकाऊ प्रौद्योगिकीय साधन'' उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ ''सबके लिए आवास (शहरी) मिशन'' के अंतर्गत प्रौद्योगिकी उप–मिशन की स्थापना की गई है। प्रौद्योगिकी उप–मिशन आवासों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निर्माण हेतु आधुनिक, नवोन्मेषी एवं हरित प्रौद्योगिकियां अपनाने में सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह मिशन, आईआईटी/ एनआईटी/ एसपीए की साझेदारी से प्रौद्योगिकी विभिन्न राज्यों/ शहरों में आपदा रोधी एवं पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में भी मदद करता है। बीएमटीपीसी तकनीकी उप मिशन के सचिवालय की भांति काम कर रहा है।

प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत प्रौद्योगिकी उप–मिशन की चौथी बैठक – शहरी (सभी मिशन के लिए आवास) 10 नवंबर 2020 को तत्कालीन संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक (एचएफए), आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार, श्री अमृत अभिजात की अध्यक्षता में निर्माण भवन, नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। अध्यक्ष ने तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से प्रौद्योगिकी उप–मिशन के एजेंडे को आगे बढ़ाने और नवीन प्रौद्योगिकियों के अवशोषण और ऊष्मायन के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर जोर दिया। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी की परिकल्पना की गई है। यह सुझाव दिया गया था कि प्रौद्योगिकी उप–मिशन को इन नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर भी सुझाव देना चाहिए जो आपदा प्रतिरोधी और टिकाऊ भी हैं। तत्कालीन संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक (एचएफए), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रौद्योगिकी उप–मिशन (टीएसएम) की 5वीं बैठक और 6वीं बैठक क्रमशः 3 फरवरी, 2021 और 25 फरवरी, 2021 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

3 फरवरी, 2021 को नई दिल्ली में संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (सबके लिए आवास), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी के तहत प्रौद्योगिकी उप-मिशन (टीएसएम) की 5वीं बैठक

25 फरवरी, 2021 को नई दिल्ली में संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (सबके लिए आवास), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी के तहत प्रौद्योगिकी उप-मिशन (टीएसएम) की 6वीं बैठक

सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्माण में नई व उभरती प्रौद्योगिकियों का अंगीकरण

राज्य सरकारों के द्वारा वैकल्पिक एवं उभरती प्रौद्योगिकियां अपनाने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने सीपीडब्लूडी, बीआईएस तथा राज्य शासनों के विभागों को अभिप्रेरित किया कि अधिसूचनाएं, परिपत्रों तथा एसओआरएस, विनिर्दिष्टों आदि को जारी करें जो कि राज्य सरकारों को आवास परियोजनाओं में इन नई निर्माण प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए अधिकृत करें।

इस दिशा में सीपीडब्ल्यूडी ने सभी 54 प्रौद्योगिकियों को अनुमोदित कर लिया है, जिन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज–इंडिया (जीएचटीसी–इंडिया) के तहत चुना गया था। इन प्रौद्योगिकियों को स्थान और लागत पर ध्यान दिये बिना भविष्य की परियोजनाओं में अपनाया जाना है। देखें ओएम सं. 17/एसई (टीएएस)/बीएमटीपीसी/2020/381 दिनांक 23.09.2020।

वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती-भारत (जीएचटीसी-इंडिया) के तहत चुनी गई उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए लाइट हाउस परियोजनाएं

मंत्रालय द्वारा परिषद को वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती – भारत (जीएचटीसी–इंडिया) के तकनीकी भागीदार के रूप में नामित किया गया है और संबंधित राज्य सरकारों के साथ गहन समन्वय करते हुए हल्की आवास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भी नामित किया गया है। जीएचटीसी–इंडिया के तहत भविष्य की संभावित टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के साथ–साथ नवोन्मेषी और वैकल्पिक निर्माण प्रौद्योगिकियां प्रमाणित की गई थी। छः व्यापक श्रेणियों में 54 प्रमाणित प्रौद्योगिकियों को चुना गया था। इन प्रमाणित प्रौद्योगिकियों को छः व्यापक श्रेणियों में से प्रत्येक से अलग–अलग तकनीकों का उपयोग करते हुए, छः स्थानों, इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला और लखनऊ में छः लाइट हाउस परियोजनाओं (एलएचपी) का निष्पादन करते हुए प्रदर्शित किया जा रहा है। इन छः लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला 1 जनवरी, 2021 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा रखी गई थी।

जीएचटीसी-इंडिया के तहत चुने गए छह व्यापक श्रेणियों में से प्रत्येक से अलग-अलग तकनीकों का उपयोग करते हुए चेन्नई, इंदौर, राजकोट, लखनऊ, अगरतला और रांची नामक छह स्थानों पर लाइट हाउस परियोजनाएं (एलएचपी)

बीएमटीपीसी किसी भी प्रश्न के समाधान और एलएचपी के सुचारू संचालन के लिए मंत्रालय के साथ गहन समन्वय करते हुए एजेंसियों के साथ नियमित रूप से निगरानी और वार्तालाप कर रहा है। ये एलएचपी समूचे भारत में नवोन्मेषी और हरित निर्माण प्रथाओं को स्थापित करने के लिए जीवंत प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करेंगे और इन प्रणालियों को भविष्य की निर्माण प्रणालियों के रूप में स्थापित करने में भी सहायता करेंगे।

छः विशिष्ट प्रौद्योगिकियों पर लघु फिल्मों की तैयारी

लाइट हाउस परियोजनाओं (एलएचपी) के शिलान्यास समारोह के दौरान छः लाइट हाउस परियोजनाओं (एलएचपी) में उपयोग की जा रही प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए, परिषद ने (i) प्री–इंजीनियर्ड स्टील स्ट्रक्चरल सिस्टम (इंदौर, मध्य प्रदेश), (ii) लाइट गेज स्टील स्ट्रक्चरल सिस्टम (अगरतला, त्रिपुरा), (iii) मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम – टनल फॉर्म (राजकोट, गुजरात), (iv) प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम (चेन्नई, तमिलनाडु), (v) प्री–इंजीनियर्ड स्टील स्ट्रक्चरल सिस्टम के साथ स्टे इन प्लेस फॉर्मवर्क सिस्टम (लखनऊ, उत्तर प्रदेश) और (vi) प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन – 3डी वॉल्यूमेट्रिक (रांची, झारखंड) के साथ प्रीफैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम पर लघु फिल्में तैयार करने में तकनीकी सहायता प्रदान की।

जीएचटीसी-इंडिया के तहत चुने गए 54 उभरती निर्माण प्रणालियों के नवोन्मेषी उभरती प्रौद्योगिकियों पर सार-संग्रह की तैयारी

बीएमटीपीसी ने एचएफए निदेशालय के समग्र मार्गदर्शन में नवोन्मेषी उभरती प्रौद्योगिकियों पर सार–संग्रह तैयार किया है जिसमें वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती–भारत (जीएचटीसी–इंडिया) के तहत चुनी गई 54 उभरती निर्माण प्रणालियां शामिल हैं। 1 जनवरी, 2021 को शिलान्यास समारोह के दौरान माननीय प्रधान मंत्री द्वारा इस सार–संग्रह का विमोचन किया गया। परिषद ने इस सार–संग्रह पर एक लघु फिल्म तैयार करने में एचएफए निदेशालय की भी सहायता की, जिसे समारोह के दौरान प्रदर्शित भी किया गया था।

जीएचटीसी-इंडिया के तहत किफायती टिकाऊ आवास उत्प्रेरक (आशा-इंडिया) के लिए उत्प्रेरक कार्यशाला पर लघु फिल्म की तैयारी

परिषद ने जीएचटीसी–इंडिया के तहत किफायती टिकाऊ आवास उत्प्रेरक (आशा–इंडिया) के लिए उत्प्रेरक कार्यशाला पर एक लघु फिल्म तैयार करने में एचएफए निदेशालय की सहायता की। 1 जनवरी, 2021 को शिलान्यास समारोह के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने उत्प्रेरण सहयता वर्ग के तहत पोस्ट प्रोटोटाइप टेक्नोलॉजीज के विजेताओं की सहायता की यथा सालटेक डिजाइन लैब्स, अहमदाबाद, ग्रीन फॉर्म्स, फरीदाबाद, गोहेम्प एग्रोवेंचर्स, कंडवाल गांव, उत्तराखंड, गौडा–टॉर्गसन हुमेंगी बिल्डिंग सिस्टम इंडिया, गुरुग्राम और प्रशाक टेक्नो एंटरप्राइजेज, पुणे।

किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी)

परिषद ने किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) योजना के तहत तकनीकी सेवाएं प्रदान की हैं। परियोजनाओं के मूल्यांकन और निगरानी, निधि जारी करना, समर्पित वेबसाइट के विकास और रखरखाव, प्रलेखन और रिकॉर्ड के रखरखाव, दिशानिर्देशों की छपाई और अन्य आईईसी सामग्री के संबंध में एआरएचसी के प्रभावी और कुशल संचालन के लिए बीएमटीपीसी में उपयुक्त ढांचा तैयार किया जाएगा।

टेक्नोग्राही के लिए ऑनलाइन नामांकन अभियान

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने सभी पणधारकों के लिए लाइट हाउस परियोजनाओं का दौरा करने के लिए स्वयं को पंजीकृत करने, नवीनतम नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों के उपयोग को सीखने, अपनी स्थानीय जरूरतों और संदर्भों के अनुसार नवोन्मेष और अनुकूलन करने के लिए एक ऑनलाइन नामांकन अभियान आरंभ किया है, चूंकि नई निर्माण प्रौद्योगिकियों के टेक्नोग्राहियों को ''मेक इन इंडिया'' के रूप में अपनाया जाना है। टेक्नोग्राही नवोनमेषी और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के परिवर्तनकारी एजेंट हैं। वे आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को पूरा करने के लिए नए शहरी भारत के लिए शहरी परिदृश्य को बदलने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे। एलएचपी में नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों के उपयोग के विभिन्न चरणों के साथ–साथ स्थलेत्तर कार्यशालाओं/वेबिनार, वेबकास्टिंग, तकनीकी जानकारी/मॉड्यूल आदि पर सलाह देते हुए टेक्नोग्राहियों को ऑनसाइट गतिविधियों के माध्यम से नवोन्मेषी निर्माण प्रौद्योगिकियों से अवगत कराया जाएगा। बीएमटीपीसी टेक्नोग्राही कार्यक्रम का कार्यान्वयन में तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है।

डेटा संसाधन सह निगरानी केन्द्र (डीआरएमसी)

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत कार्यों की निगरानी एवं डेटा विश्लेषण, संकलन तथा प्रसारण व इलेक्ट्रोनिक रूप में आवधिक रिपोर्ट तैयार करने एवं अनुकूल तरीके में स्थल का दौरा/भौतिक सत्यापन करने के लिए बीएमटीपीसी के माध्यम से एक डेटा संसाधन सह निगरानी केंद्र (डीएमआरसी) स्थापित किया है एवं दैनिक आधार पर डेटा संकलन, विश्लेषण, एवं विभिन्न आवास एवं अवसरंचना रिपोर्ट तैयार करने, निर्माण की प्रगति इत्यादि को सुगम बनाने के उद्देश्य से निर्माण भवन में मिशन निदेशालय के तहत निगरानी प्रकोष्ठ भी स्थापित किया गया है।

किफायती टिकाऊ आवास उत्प्रेरक (आशा-इंडिया)

जीएचटीसी–इंडिया के तहत, किफायती टिकाऊ आवास उत्प्रेरक (आशा–इंडिया) के माध्यम से चिन्हित संभावित भावी प्रौद्योगिकियों को ऊष्मायन और त्वरण की भी योजना बनाई गई है। 18 जनवरी, 2021 को आशा–इंडिया उत्प्रेरक विजेताओं के लिए विश्व संसाधान संस्थान (डब्ल्यूआरआई) के साथ बीएमटीपीसी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक का आयोजन किया गया। उनके उत्पाद/प्रौद्योगिकी की स्वीकृति, प्रौद्योगिकी में और सुधार, मंत्रालय/बीएमटीपीसी/डब्ल्यूआरआई से अपेक्षाएं, यदि कोई हों, पर सभी संभावित समर्थनों के आश्वासन के साथ विस्तार से चर्चा की गई।

III. राष्ट्रीय शहरी आवास निधि (एनयूएचएफ) का क्रियान्वयन

मंत्रिमंडल के अनुमोदन से बीएमटीपीसी में एक राष्ट्रीय शहरी आवास निधि (एनयूएचएफ) का सृजन किया है जो ऋणदाता एजेंसियों या वित्तीय संस्थानों से ऋण एकत्रित कर रहा है। एनयूएचएफ के लिए अतिरिक्त बजटीय संस्थानों (ईबीआर) द्वारा जुटाई गई निधियां बीएमटीपीसी को ऋण के रूप में प्राप्त हो रही है जिसको आगे केंद्रीय सहायता के रूप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संवितरित किया जा रहा है साथ ही नियंत्रक मंत्रालय के आदेशानुसार मिशन के सीएलएसएस वर्टिकल के अंतर्गत केन्द्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनएज) को सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान एनएसएसएफ से ईबीआर के रूप में 10,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं और इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी संस्वीकृति पत्रों के अनुसार वितरित किया गया है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान, ईबीआर पर ब्याज के भुगतान के लिए 4147.84 करोड़ रुपये (लगभग) प्राप्त हुए हैं और इसे हडको और एनएसएसएफ को संवितरित कर दिया गया है।

उपरोक्त के अलावा मार्च 2018 से मार्च 2021 तक एनएसएसएफ और हडको से ईबीआर के रूप मे 33,000 करोड़ रुपये एवं क्रमशः 20,000 करोड़ रुपये (कुल 53,000 करोड़ रुपये) प्राप्त हुए हैं और इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी संस्वीकृति पत्रों के अनुसार वितरित कर दिया गया है।

IV. आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन

1. भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस पर ई-पाठ्यक्रम

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, परिषद ने भारत की अतिसंवेदनशीलता मानचित्र के तीसरे संस्करण का डिजिटल संस्करण प्रकाशित किया है, जिसका 2 मार्च, 2019 को वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती–भारत (जीएचटीसी–इंडिया), के अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विमोचन किया गया था। भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र के तीसरा संस्करण पूरे देश के लिए मौजूदा खतरे के परिदृश्य का संकलन है और भूकंप, आंधी और बाढ़ के संबंध में अतिसंवेदनशील क्षेत्रों की जिले–वार पहचान के लिए डिजीटलीकृत राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश–वार खतरा मानचित्र प्रस्तुत करता है।

इसके उपरांत, बीएमटीपीसी ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के मार्गदर्शन में योजना एवं वास्तुकला विद्यालय (एसपीए), नई दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर ई–पाठ्यक्रम विकसित किया। पाठ्यक्रम का शुभारंभ माननीय मंत्री जी द्वारा किया गया। यह ई–पाठ्यक्रम योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली और भवन निर्माण एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद् (बीएमटीपीसी), नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से पेश किया जा रहा है। भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर ई–पाठ्यक्रम का पंजीकरण एसपीए की वेबसाइट www.spa.ac.in और ecourse.bmtpc.org. के माध्यम से किया जाता है। यह एक बुनियादी ई–लर्निंग कोर्स है जो प्राकृतिक खतरों के बारे में जागरूकता और समझ प्रदान करता है, विभिन्न खतरों (भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन, बाढ़, आदि) के संबंध में अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता करता है और मौजूदा आवास स्टॉक के नुकसान के जोखिम के जिलेवार स्तर को विनिर्दिष्ट करता है। यह ई–पाठ्यक्रम वास्तुकला, सिविल इंजीनियरिंग, शहरी और क्षेत्रीय योजना, आवास एवं अवसंरचना योजना, निर्माण अभियांत्रिकी एवं प्रबंधन और निर्माण एवं निर्माण सामग्रियों के शोध के क्षेत्र में प्रभावी और कुशल आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के लिए एक उपकरण होगा। दिनांक 31.03.2021 तक 770 व्यक्तियों ने इस ई–पाठ्यक्रम में पंजीकरण कराया और प्रतिभागियों द्वारा पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें ई–प्रमाण पत्र दिए जाते हैं।

भारत के सुभेद्यता एटलस पर ई-पाठ्यक्रम की वेबसाइट
https://ecourse.bmtpc.org

बीएमटीपीसी विभिन्न पणधारकों, शैक्षणिक संस्थानों और विभागों के साथ इस पाठ्यक्रम को करने के लिए उनके इंजीनियरों और वास्तुविदों को आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। साथ ही, निविदा दस्तावेजों में भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र को शामिल करने के लिए एक खंड तैयार किया गया है जिसे आपदा प्रतिरोधी निर्माण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भविष्य की परियोजनाओं में शामिल किया जा सकता है।

2. भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस पर वेबिनार का आयोजन

भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र का तीसरा संस्करण पूरे देश के लिए मौजूदा खतरे के परिदृश्य का संकलन है और और भूकंप, आंधी और बाढ़ के संबंध में अतिसंवेदनशील क्षेत्रों की जिले–वार पहचान के लिए डिजीटलीकृत राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश–वार खतरा मानचित्र प्रस्तुत करता है। इस संस्करण में आंधी–तूफान, चक्रवात एवं भू–स्खलन के लिए अतिरिक्त डिजिटलीकृत मानचित्र शामिल किये गये हैं। यह मानचित्र जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, दीवार निर्माण एवं छत निर्माण पर आधारित मकानों की जिले–वार संवेदनशीलता जोखिम तालिका भी प्रस्तुत करता है। यह मानचित्र न केवल लोगों के लिए उपयोगी साधन है बल्कि शहरी प्रबंधकों, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन से जुड़े राज्य एवं राष्ट्रीय प्राधिकरणों के लिए भी अत्यंत लाभदायक है।

भारत का अतिसंवेदनशीलता मानचित्र विभिन्न पणधारकों की व्यापक पहुंच के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात http://mohua.gov.in एवं https://ghtc-india.gov.in/ पर लिंक के साथ बीएमटीपीसी की वेबसाइट http://www.bmtpc.org पर भी उपलब्ध है।

भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र एवं आपदा प्रतिरोधी डिजाइन और निर्माण प्रथाओं के बारे में प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से परिषद ने 9 नवंबर, 2020 को उत्तरी क्षेत्र के एसएलएनए के लिए, 19 नवंबर, 2020 को उत्तर–पूर्वी क्षेत्र से एसएलएनए के लिए और 2 दिसंबर, 2020 को एनएमआईटी बैंगलोर के लिए भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर ई–पाठ्यक्रम पर वेबिनार का आयोजन किया। एनडीएमए ने भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र की बहु–जोखिम प्रतिरोधी विशेषताओं पर पैनल चर्चा भी आयोजित की।

9 नवंबर, 2020, 19 नवंबर, 2020 और 2 दिसंबर, 2020 को आयोजित भारत के संवेदनशीलता मानचित्र पर ई–पाठ्यक्रम पर वेबिनार की झलक

3. आपदा से सुरक्षित ग्रामीण आवास पर वेबिनार का आयोजन

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने बीएमटीपीसी के सहयोग से 26 फरवरी, 2021 को डेढ़ घंटे की अवधि के लिए ''आपदा से सुरक्षित ग्रामीण आवास'' नामक वेबिनार सत्र का आयोजन किया। इस वेबिनार का विषय पीएम 10 सूत्रीय एजेंडा के संख्या 5, 8 और 9 के अनुपालन में था जो डीआरआर प्रभावों के लिए दक्षता बढ़ाने, स्थानीय क्षमता निर्माण और पिछले अनुभवों से सबक सीखने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं।

वर्षों से, ग्रामीण बस्तियाँ, विशेष रूप से विकासशील देशों में, जैव–भौतिक और सामाजिक असुरक्षा दोनों के कारण प्राकृतिक खतरों के प्रति अनुपातहीन रूप से असुरक्षित हैं। जब आपदा आती है तो सबसे अधिक तबाही हमारे देश के मुख्य रूप से निर्माण की खराब गुणवत्ता, अकुशल राजमिस्त्री द्वारा निष्पादित गैर–इंजीनियर निर्माण और विशेष रूप से नगरपालिका सीमाओं के बाहर नियामक ढांचे की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा से निपटने के लिए लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए कठोर क्षमता निर्माण पहल के साथ सामुदायिक जागरूकता और तथा जोखिम के प्रति संवेदनशील बनाये जाने की आवश्यकता है।

इस वेबिनार का मुख्य उद्देश्य (1) आपदाओं से सुरक्षित रहने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे निर्माण प्रथाओं का पालन करने की आवश्यकता पर चर्चा करना, (2) भारत में ग्रामीण निर्माण में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करना, (3) ग्रामीण समुदायों के बीच इसे लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ अच्छे पारंपरिक निर्माण प्रथाओं और तरीकों पर चर्चा करना, (4) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आगजनी के खतरों को उन्मूलन करने उपायों पर चर्चा करना, और (5) लचीले निर्माण के लिए हमारे प्रतिभागियों में जागरूकता लाना था। इस वेबिनार में 80 से अधिक प्रतिभागियों ने सहभागिता की।

4. भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर डेटा साझा करना

परिषद ने भूकंप, आंधी–तूफान/चक्रवात, बाढ़ आदि के संबंध में विभिन्न आधार मानचित्रों को डिजिटलीकृत करके आर्कजीआईएस प्लेटफॉर्म पर भारत का अतिसंवेदनशीलता मानचित्र तैयार किया है। परिषद ने भूस्खलन के अलावा डाटासेट से भूस्खलन की घटनाओं के नक्शे और आंधी–तूफान की घटना के नक्शे बनाए गए थे। इन नक्शों में अब संबंधित खतरों और उससे संबद्ध जानकारी के लिए कई परतें शामिल हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) ने बीएमटीपीसी से भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र के तीसरे संस्करण में दिये गये खतरे की परतों की जीआईएस आकार की फाइलों को साझा करने का अनुरोध किया है।

आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन से निपटने वाली प्रमुख सरकारी एजेंसी होने के कारण निम्नलिखित फाइलें साझा की गईं:

1. भूकंप के खतरे के नक्शे – जीआईएस फाइलें
2. तूफान/चक्रवात के खतरे के नक्शे – जीआईएस फाइलें
3. बाढ़ के खतरे के नक्शे – जीआईएस फाइलें
4. भूस्खलन घटना मानचित्र – डेटाबेस फाइल
5. आंधी–तूफान घटना मानचित्र – डेटाबेस फाइल
6. अतिसंवेदनशीलता जोखिम तालिकाएँ – एक्सेल फाइल

भारत में आपदा संभावित क्षेत्रों से संबंधित आंकड़ों को साझा करने से इन संगठनों को प्राकृतिक आपदा मानचित्रण करने और आकलन करने में काफी सहायता मिली।

V. निर्माण क्षेत्र में सूचना और डाटाबेस आधार का सुदृढ़ीकरण

1. निर्माण सारिका – बीएमटीपीसी न्यूज़लेटर के विशेषांक का प्रकाशन

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने विगत वर्षों की भांति विश्व पर्यावास 2020 दिवस हर्षोल्लास से मनाया। इस अवसर पर बीएमटीपीसी ने संयुक्त राष्ट्र के द्वारा चुने गये ''सबके लिए आवास : बेहतर शहरी भविष्य'' विषय पर अपने सूचना दर्शिका ''निर्माण सारिका'' का विशेषांक निकाला। इस विशेषांक में विश्व पर्यावास दिवस के विषय से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इसके साथ ही साथ परिषद् के क्रियाकलापों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवासन एवं शहरी कार्य ने 05 अक्तूबर, 2020 को आयोजित विश्व पर्यावास दिवस, 2020 के समारोह के अवसर पर, निर्माण सारिका" का विमोचन किया।

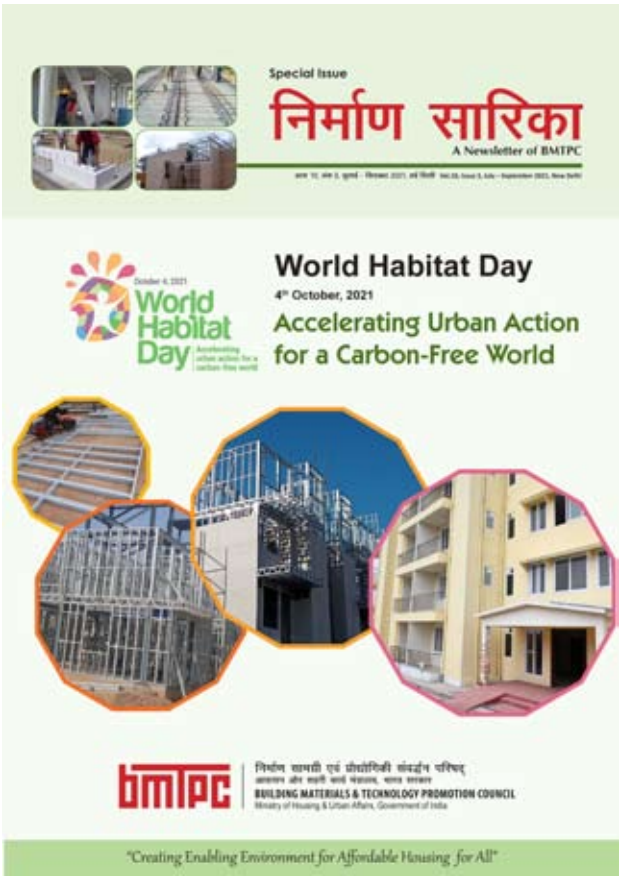

2. उभरती निर्माण प्रणाली पर लघु पुस्तिका का प्रकाशन – तृतीय संस्करण

बीएमटीपीसी निरंतर वैकल्पिक लागत प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल, ऊर्जा दक्ष और आपदा प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दे रहा है। बीएमटीपीसी ने भारतीय भू–जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त उभरती और वैकल्पिक लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों का अध्ययन/चयन करने की पहल की और देश के विभिन्न हिस्सों में सरकार की विभिन्न आवास योजनाओं के तहत आवास परियोजनाओं में राज्य सरकारों को इन प्रौद्योगिकियों को क्रियान्वित करने की वकालत की।

नई उभरती प्रौद्योगिकियों को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से बीएमटीपीसी ने आम आदमी सहित पेशेवरों को संवेदनशील बनाने की दृष्टि से उभरती निर्माण प्रणालियों पर लघु पुस्तिका का तीसरा संस्करण प्रकाशित किया। इस संशोधित लघु पुस्तिका में 36 उभरती प्रौद्योगिकियों के बारे में सामान्य जानकारी सचित्र रूप में प्रस्तुत की गई है।

5 अक्टूबर, 2020 को नई दिल्ली में आयोजित विश्व पर्यावास दिवस समारोह के दौरान आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप एस. पुरी द्वारा उभरते निर्माण प्रणालियों पर इस लघु पुस्तिका का विमोचन किया गया।

3. कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणन योजना (पीएसीएस) पर पुस्तिका का प्रकाशन

तेजी से बदलते बाजार परिदृश्य और तकनीकी विकास के साथ, भवन निर्माण बाजार में बड़ी संख्या में निरंतर नई निर्माण सामग्री, उत्पाद, घटक और संघटक उभर रहे हैं। वास्तुकला/अभियंता निर्माण एजेंसियों, भवन निर्माताओं और अन्य ग्राहकों को अक्सर नई निर्माण सामग्री, उत्पादों, घटकों और प्रणालियों की गुणवत्ता, स्थायित्व, सेवाक्षमता और प्रदर्शन से जुड़े अनेक प्रकार के प्रश्नों का सामना करना पड़ता है।

हालांकि भारत में निर्माण सामग्री और निर्माण प्राद्योगिकियों पर राष्ट्रीय मानकों की स्थिति कई विकासशील और यहां तक कि कुछ विकसित देशों से कहीं बेहतर है, लेकिन मानकीकरण की प्रक्रिया में समय लगता है और मानकों को तैयार करने से पहले सामग्री के क्षेत्र के कार्य–निष्पादन के समर्थन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, ऐसे मानक सामान्य गुणवत्ताओं और गुणों को आत्मसात करते हैं जो प्रत्येक उभरती हुई निर्माण सामग्री/ प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने के लिए व्यापक रूप से पर्याप्त नहीं हो सकते हैं अतः बड़ी संख्या में निर्माण उत्पादों, घटकों और सघंटकों को श्रेष्ठता के कई दावों के साथ विपणन किया जा रहा है जिन्हें या तो प्रासंगिक मानकों की अनुपलब्धता या परीक्षण और मूल्यांकन विधियों की कमी के कारण प्रमाणित नहीं किया जा सकता है/या उत्पादों की मालिकाना प्रकृति उनके चरित्र, डिजाइन इत्यादि के बारे में ज्यादा पता नहीं लगाया जा सकता है। औद्योगिकृत राष्ट्रों में बड़ी संख्या में अपने जाने वाली प्रथा के अनुसार, ऐसी स्थिति में वास्तुकारों, अभियंताओं, भवन निर्माताओं और निर्माण सामग्री, उत्पादों और निर्माण प्रणालियों के अन्य उपयोगकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कार्य–निष्पादन मूल्यांकन/मूल्यांकन प्रमाणन सेवाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पड़ती है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि के साथ, तत्कालीन शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (अब आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय), भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना के तहत बीएमटीपीसी को उन नई निर्माण सामग्री, घटक, उत्पाद, तत्व, निर्माण प्रणाली और कोडांतरण को अपेक्षित उपयोग पर फिटनेस के बारे में स्वतंत्र राय देने के संबंध में कार्य–निष्पादन मूल्यांकन प्रमाण पत्र (पीएसी) जारी करने के लिए अधिकृत किया है, जिन्हे अभी तक भारतीय मानक द्वारा शामिल नहीं किया गया है। इस योजना में उत्पाद के प्रदर्शन को प्रमाणित करने के लिए तीसरे पक्षकार के प्रमाणीकरण का प्रावधान है और इस प्रक्रिया में, यह बाद की तारीख में भारतीय मानक तैयार करने के लिए आवश्यक पर्याप्त डेटा उपलब्ध कराती है। बीएमटीपीसी ने अब तक विभिन्न नई सामग्रियों और निर्माण प्रणालियों के लिए 73 कार्य–निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणपत्र (पीएसी) जारी किए हैं।

पीएसीएस को नई गति देने के लिए, बीएमटीपीसी ने पीएसीएस पर व्याख्यात्मक पुस्तिका का अद्यतित संस्करण प्रकाशित किया जिसमें पीएसीएस के सभी पहलुओं का विस्तार से वर्णन किया गया है और योजना के बारे में संभावित आवेदकों के लाभार्थ विभिन्न संदेहों को दूर करता है।

5 अक्टूबर, 2020 को नई दिल्ली में आयोजित विश्व पर्यावास दिवस समारोह के दौरान आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप एस. पुरी द्वारा इस व्याख्यात्मक पुस्तिका का विमोचन किया गया।

4. मानकीकरण एवं उत्पाद मूल्यांकन

कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणीकरण योजना (पीएसीएस)

बीएमटीपीसी द्वारा चलाई जा रही कार्य–निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणीकरण योजना (भारत का गजट सं. 49 दिनांक 4 दिसंबर, 1999 में गजट अधिसूचना सं. I-16011/5/99 H-II) किसी उत्पाद के विनिर्माताओं या संस्थापकों के लिए एक तृतीय पक्षीय स्वैच्छिक योजना है। इस योजना में मूल्यांकन की उचित प्रक्रिया पश्चात निर्माण सामग्री, उत्पाद, संघटक, तत्व एवं प्रणाली आदि का मूल्यांकन सम्मिलित है।

चूंकि यह योजना उत्पादों/प्रणालियों के लिये चलाई जा रही है जहां कोई प्रासंगिक भारतीय मानकीकरण उपलब्ध नहीं है अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि सबसे पहले कार्य–निष्पादन मूल्यांकन के लिये अपेक्षित विनिर्देश पर काम किया जाए। उन मदों के लिए जहां भारतीय संहिताएं उपलब्ध नहीं हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का भी संदर्भ लिया जा रहा है। कुछ मामलों में, विनिर्माताओं द्वारा संस्तुत विनिर्देशों को गुणवत्ता एवं कार्य–निष्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के आधार पर संशोधित किया जाना है।

विभिन्न राज्य, उनके आवास बोर्ड एवं अन्य विभाग भी अपने राज्यों में जन आवास के निर्माण हेतु उभरती प्रौद्योगिकियों एवं सामग्रियों को बढ़ावा दे रहे हैं एवं उनका उपयोग कर रहे हैं। इस तरह पीएसीएस, जन आवास में उभरती प्रौद्योगिकियों की शुरूआत के एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है।

पीएसीएस का अनुमोदन

कार्य–निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणीकरण (पीएसी) के अनुमोदन के प्रयोजनार्थ गठित तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीएसी) ने 16 जनवरी, 2021 को आयोजित अपनी 17वीं बैठक में निम्नलिखित नए उत्पादों/प्रणालियों के लिए पीएसीएस जारी करने का अनुमोदन किया है:

1. डालमिया मैजिक प्रीमियम स्किम कोट
2. कंक्रीट प्रबलित आटोक्लेव वातित कंक्रीट पैनल
3. पीयूएफ का उपयोग करके फैक्ट्री में तैयार इंसुलेटेड सैंडविच पैनल
4. फैक्टरी ने मिनरल–वूल का उपयोग करके फैक्ट्री में तैयार इंसुलेटेड सैंडविच पैनल

पीएसीएस के नवीकरण का अनुमोदन

तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीएसी) ने 16 जनवरी, 2021 को आयोजित अपनी 17वीं बैठक में निम्नलिखित उत्पादों/प्रणालियों के लिए पीएसीएस का नवीकरण करने का अनुमोदन किया:

1. स्टे–इन–प्लेस पीवीसी वाल फॉर्म्स
2. संरचनागत स्टे इन प्लेस फार्मवर्क प्रणाली
3. क्विकबिल्ड पैनल
4. प्रीकॉस्ट निर्माण प्रौद्योगिकी
5. बांस की लकड़ी के उत्पाद

कोविड–19 महामारी की स्थिति को देखते हुए भौतिक स्वरूप में निरीक्षण करने के स्थान पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से निरीक्षण किया जा रहा है।

पीएसीएस के निगर्मन हेतु प्रक्रियाधीन आवेदन

पीएसीएस जारी करने से संबंधित आगे की प्रक्रिया हेतु निर्माताओं से निम्नलिखित नए उत्पादों/प्रणालियों के लिए विस्तृत आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं:

1. कोनेक प्रीकास्ट कंपाउंड वॉल
2. यूपीवीसी दरवाजे एवं खिड़कियां
3. रैपिकॉन वॉल पैनल एवं पूर्वनिर्मित स्टील संरचना

निर्माताओं से निम्नलिखित नए उत्पादों/प्रणालियों के लिए प्रारंभिक आवेदन (पीए) प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर आवेदनों को संसाधित करने के लिए अन्य दस्तावेजों के साथ जानकारी प्रस्तुत करने के लिए विस्तृत आवेदन पत्र (डीएएफ) जारी किए जा रहे हैं:

1. सॉलिड पैनल पीवीसी दरवाजे एवं चौखट – मैसर्स राजश्री प्लास्टीवुड प्राइवेट लिमिटेड
2. ग्रास फ्लोर बंबो फ्लोरिंग टाइलें – मैसर्स ग्रास प्लाई
3. सैंडविच पैनल, प्रीफैब और पीईबी संरचनाएं – मैसर्स ईपैक पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड
4. इंसुलेट (छत की टाइल) – मैसर्स आशापुरा टाइल्स एंड माइनर

5. मॉड्यूलर बिल्डिंग/पीईबी/एलजीएस बिल्डिंग – मैसर्स स्मार्ड
6. फेरॉन पैनल – मैसर्स डॉ. अरुण नरहरि पुरंदरे
7. लाइट गेज स्टील फ्रेमयुक्त संरचनाएं – मैसर्स बहल बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
8. मोडुकास्ट प्रीकास्ट कंक्रीट बिल्डिंग – मैसर्स मोडुकास्ट प्राइवेट लिमिटेड
9. वसपर कम्पोजिट हनीकॉम्ब कंस्ट्रक्शन पैनल्स प्राइवेट लिमिटेड

उपरोक्त आवेदन की प्रक्रिया फर्मों द्वारा प्रस्तुत डेटा, उनकी वेबसाइट में उपलब्ध सूचना, कार्यस्थल में विनिर्माण संयत्रों का निरीक्षण एवं कार्य–निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणपत्र (पीएसी) से पूर्व उत्पाद/प्रणालियों के नमूने की जांच के आधार पर चल रही है। परिषद अब तक विभिन्न उत्पादों और प्रणालियों पर 73 पीएसीएस जारी कर चुकी है।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की अनुभागीय (सेक्शनल) समितियों के लिए तकनीकी सहायता

पीएसीएस के अलावा परिषद्, सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित विभिन्न विषयों – यथा सीमेंट एवं कंक्रीट, फ्लोरिंग, वाल फर्निशिंग तथा रूफिंग सामग्री; भूकंप इंजीनियरिंग, आवासीय प्रीफैब्रिकेटेड निर्माण; पहाड़ी क्षेत्र विकास तथा राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता इत्यादि पर भारतीय मानकों का सूत्रीकरण करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की विभिन्न अनुभागीय समितियों को तकनीकी सहायता (इनपुट) उपलब्ध करा रही है।

5. परिषद् की वेबसाइट के माध्यम से सूचना का प्रसार

परिषद् की वेबसाइट (www.bmtpc.org) को विश्व स्तर पर पेशेवरों और अन्य लोगों के द्वारा देखा जा रहा है। इसका उपयोग नवोन्मेषी भवन सामग्रियों और निर्माण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में एक संदर्भ संसाधन के तौर पर किया जा रहा है। परिषद् की वेबसाइट सबके लिये किफायती आवास के सामर्थ्यकारी वातावरण तैयार करने के इसके अधिदेश के अनुरूप किफायती भवन सामग्रियों और निर्माण पर एक कोष के तौर पर कार्य करती है। परिषद् की वेबसाइट (ीपदकपण्इउजचबण्वतह) को राजभाषा निदेशालय के निदेशों के अनुसार हिंदी में भी विकसित किया गया है।

वेबसाइट पर उत्पाद एवं सेवाओं के बारे में सामान्य पूछताछ के तौर पर अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। परिषद् की वेबसाइट का किराया एवं क्रय अपेक्षाओं, निविदा सूचनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सूचना का अधिकार अधिनियम तथा समय–समय पर यथा अपेक्षित अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त नवीनतम तकनीकी सूचना से नियमित तौर पर अद्यनीकृत किया जाता है।

परिषद नवीन निर्माण सामग्री और आपदा प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी का प्रचार–प्रसार करने के लिए अन्य क्रियाकलाप सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (ट्विटरः @bmtpcdelhi; फेसबुकः /bmtpc.mhua; यूट्यूबः BMTPC) का उपयोग भी कर रही है।

यूट्यूब चैनल ''बीएमटीपीसी'' दर्शकों के बीच मुख्य रूप से इंजीनियरों, वास्तुकारों और अन्य पणधारकों के बीच दिन–ब–दिन लोकप्रिय होता जा रहा है। इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध विभिन्न वीडियो के 1,40,000 से अधिक बार देखा गया। अधिकांश लोगों द्वारा देखे जा रहे कुछ वीडियो इस प्रकार हैं (1) लाइट गेज स्टील स्ट्रक्चर सिस्टम (53,525 बार), (2) ईपीएस आधारित पैनल सिस्टम (48,018 बार), (3) मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन (7,219 बार), (4) स्टे इन प्लेस फॉर्मवर्क सिस्टम (4,250 बार) आदि। बीएमटीपीसी यूट्यूब चैनल को अब तक 1830 सब्सक्राइबर मिल चुके हैं।

VI. प्रौद्योगिकी की पहचान, स्थानांतरण एवं संवर्धनात्मक गतिविधियां

1. उभरती आवास प्रौद्योगिकियों की पहचान एवं मूल्यांकन

परिषद् नियमित आधार पर भारतीय भू–जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल यथोचित प्रौद्योगिकियों की पहचान, मूल्यांकन एवं संवर्द्धन पर विश्व भर में अपनाई गई उचित निर्माण प्रथाओं का अध्ययन कर रहा है। इस प्रक्रिया में, वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को चिन्हित किया गया जिनमें देश में जन आवास के लिए इस्तेमाल किए जाने की संभावना दिखाई देती है:

कों_क्रीट प्रबलित आटोक्लेव वातित कंक्रीट (एएसी) पैनल (पीएसी संख्या 1056–पी/2021)

कों_क्रीट प्रबलित एएसी दीवार और फर्श/छत पैनल नवोन्मेषी ऑटोक्लेव्ड वातित कंक्रीट (एएसी) उत्पाद हैं, जिनमें प्रकाश, उच्च तापीय दक्षता, ध्वनिकी प्रदर्शन, ऊर्जा दक्षता और हल्के वजन जैसे गुण सम्मिलित हैं।

ये उड़न राख (फ्लाई ऐश), सीमेंट और अन्य तत्वों के मिश्रण से निर्मित स्टीम उपचारित सीमेंटयुक्त सामग्री हैं जो सामग्री को विशिष्ट सेलुलर कम वजनी आंतरिक संरचना प्रदान करते हैं। इसकी निर्माण प्रक्रिया में स्लरी टैंकों में संग्रहीत फ्लाई ऐश घोल, साइलो में संग्रहीत बाइंडर (चूना, सीमेंट और एनहाइड्राइट) और पानी में बिखरे हुए एल्यूमीनियम पाउडर को मिलाना शामिल है।

कों_क्रीट प्रबलित ऑटोक्लेव्ड वातित कंक्रीट (एएसी) पैनल

इसके उपरांत सभी घटकों को सटीक रूप से तौला जाता है और पूर्व–निर्धारित क्रम में मिक्सर में छोड़ा जाता है। इसके पकने की विधि और तापमान नियंत्रण प्रणाली लगातार इस प्रक्रिया की निगरानी करती है। फिर मिश्रण को सांचों में डाला जाता है और इसके तुरंत बाद, डिजाइन की आवश्यकता के अनुसार प्रबलित फ्रेम असेंबली डाली जाती है। उत्पाद/टुकड़े को 2–3 घंटे के लिए पहले प्रशोधित किया जाता है जिसके बाद इसे आवश्यक आयामों के अनुसार उच्च परिशुद्धता काटने वाली मशीनों द्वारा काटा जाता है।

इन प्रबलित एएसी पैनलों का उपयोग बाहरी, आंतरिक, विभाजन दीवारों और फर्श/छत आदि जैसे अनुप्रयोगों के साथ सभी प्रकार के आधुनिक निर्माण के लिए किया जा सकता है। भवन प्रक्रिया की व्यापक अपेक्षाओं की उपयुक्तता के साथ, एएसी पैनल अनुप्रयोग क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में बहुमंजिला आवासीय निर्माण, लघु मॉड्यूलर आवासीय निर्माण, वाणिज्यिक निर्माण, औद्योगिक गोदाम, शेड आदि सहित पारंपरिक निर्माण सामग्री में भी फायदेमंद हैं।

पॉलीयूरेथेन फोम (पीयूएफ) का उपयोग करके फैक्ट्री में तैयार इंसुलेटेड सैंडविच पैनल (पीएसी नंबर 1058–पी/2021)

ये पैनल फैक्ट्री में तैयार किए गए इंसुलेटेड सैंडविच पैनल होते हैं जिनमें धातु की चादरों की दो परतों के बीच एक इंसुलेटिंग परत ''सैंडविच'' जुड़ी होती है। इनका निर्माण कठोर पॉलीयूरेथेन फोम (पीयूएफ) का उपयोग करके किया जाता है, जो पूर्व–लेपित स्टील शीट के बीच बंधे होते हैं ताकि प्रोफाइल वाले पैनल तैयार किए जा सकें। स्टील शीट या तो पीपीजीआई या पीपीजीएल हो सकती है, जिसकी अधिकतम मोटाई 0.8 मिमी तक होती है। एक इन्सुलेशन कोर बेहतर संरचनात्मक स्थिरता के लिए इन्सुलेशन और मजबूत जोड़ प्रदान करता है और पैनलों के लिए बेहतर भार वहन क्षमता और व्यापक सुविधा प्रदान करता है।

इन पैनलों में उच्च शक्ति–वजन अनुपात होता है और भवन की संरचना पर संरचनात्मक स्थिरता सुनिश्चित

फैक्ट्री में तैयार इंसुलेटेड सैंडविच पैनल पीयूएफ उपयोग

करता है। इन पैनलों का उपयोग आवासीय और वाणिज्यिक भवनों, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्रों, इस्पात संरचनाओं, प्रबंधन ब्लॉकों, साइट कार्यालयों आदि जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए दीवार और छत के घटकों के रूप में किया जाता है। ये पैनल मोनोवाल पैनल, ग्लैमेट पैनल और सुपर दीवार पैनल जैसे ब्रांडों में उपलब्ध हैं।

इन पैनलों का उपयोग करके निर्मित संरचनाओं में वास्तुशिल्प तत्वों/सुविधाओं जैसे कि कोविंग, कैंटिलीवर, मेजेनाइन फर्श आदि के साथ एमईपी (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग) सेवाएं शामिल की जा सकती हैं। संरचनाओं का डिजाइन और इंजीनियरिंग भारतीय मानकों में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों का पालन करते हुए किया जाता है।

ये पैनल मानक चौड़ाई 1000 मिमी और ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार लंबाई के साथ 30 मिमी से 120 मिमी की मोटाई में उपलब्ध होते हैं। पैनलों का फिक्सिंग तंत्र सटीक इंटरलॉकिंग, आयामी सटीकता सुनिश्चित करता है और हवा के अंतराल और थर्मल ब्रिजिंग के जोखिम को भी समाप्त करता है। सभी जोड़ ब्यूटाइल टेप, सीलेंट और फ्लैशिंग से ढके होते हैं। इसमें विभिन्न फेसिंग विकल्प उपलब्ध होते है जैसे कि प्री–पेंटेड गैल्वेनाइज्ड स्टील/एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील और क्राफ्ट पेपर और आंतरिक परत के लिए छिद्रित धातु शीट।

मिनरल वूल का उपयोग करते हुए फैक्ट्री में तैयार इंसुलेटेड सैंडविच पैनल्स (पीएसी सं. 1057-पी/2021)

ये पैनल फैक्ट्री में तैयार किए गए इंसुलेटेड सैंडविच पैनल होते हैं जिनमें धातु की चादरों की दो परतों के बीच एक इंसुलेटिंग परत ''सैंडविच'' जुड़ी होती है। इनका निर्माण प्री–कोटेड स्टील शीट के बीच बंधे खनिज ऊन का उपयोग करके किया जाता है ताकि प्रोफाइल वाले पैनल तैयार किए जा सकें। स्टील शीट या तो पीपीजीआई या पीपीजीएल हो सकती है, और अधिकतम मोटाई 0.8 मिमी हो सकती है। एक इन्सुलेशन कोर बेहतर संरचनात्मक स्थिरता के लिए इन्सुलेशन और मजबूत बंधन प्रदान करता है और पैनलों के लिए बेहतर भार वहन क्षमता और व्यापक सुविधा प्रदान करता है।

इस प्रणाली में सभी प्रकार की वास्तु विशेषताएं जैसे कोविंग, बॉक्स, कैंटिलीवर, प्रोजेक्शन, इनफिल वॉल, मेजेनाइन फ्लोर आदि शामिल हो सकते हैं। इस प्रणाली में सभी प्रकार की सेवाएं जैसे इलेक्ट्रिकल, गैस और प्लंबिंग आदि शामिल की जा सकती हैं। संरचनाओं के डिजाइन और इंजीनियरिंग को प्रासंगिक भारतीय मानकों में निर्धारित मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन करके निष्पादित किया जाता है।

इन पैनलों में उच्च क्षमतायुक्त–वजन अनुपात होता है जो भवन की संरचना पर संरचनात्मक स्थिरता सुनिश्चित करता है। पैनलों का उपयोग आवासीय और वाणिज्यिक भवनों, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्रों, इस्पात संरचनाओं,

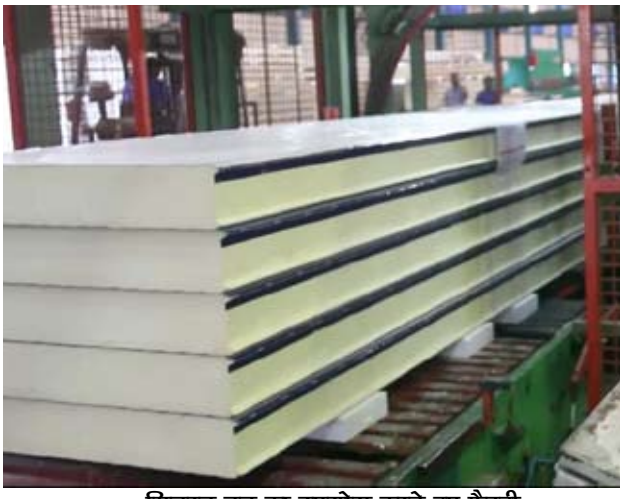

मिनरल वूल का उपयोग करते हुए फैक्ट्री में तैयार इंसुलेटेड सैंडविच पैनल्स

प्रबंधन ब्लॉक और साइट कार्यालयों, पोर्टा केबिन आदि जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए दीवार और छत दोनों घटकों के रूप में किया जाता है। ये पैनल हिपरटेक वॉल और एचपीरटेक छत जैसे ब्रांडों में उपलब्ध हैं।

ये पैनल 50 मिमी से 120 मिमी की मोटाई में उपलब्ध हैं, मानक चौड़ाई 1000 मिमी और ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार लंबाई के साथ। पैनलों का फिक्सिंग तंत्र सटीक इंटरलॉकिंग, आयामी सटीकता सुनिश्चित करता है और हवा के अंतराल और थर्मल ब्रिजिंग के जोखिम को भी समाप्त करता है। सभी जोड़ ब्यूटाइल टेप, सीलेंट और फ्लैशिंग से ढके होते हैं। यह विभिन्न फेसिंग विकल्पों के साथ आता है जैसे कि प्री–पेंटेड गैल्वेनाइज्ड स्टील/एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील और क्राफ्ट पेपर और आंतरिक परत के लिए छिद्रित धातु शीट।

2. नवरीति : नवोन्मेषी निर्माण प्रौद्योगिकियों पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम

आवास और भवन निर्माण के लिए नई और उभरती हुई निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकियों के बारे में निर्माण पेशेवरों के बीच क्षमता निर्माण के उद्देश्य से, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने बीएमटीपीसी और योजना एवं वास्तुवकला विद्यालय (एसपीए), नई दिल्ली के सहयोग से उभरती आवास प्रौद्योगिकियों पर नवरीति (भारतीय आवास हेतु नई, सस्ती, विधिमान्य, अनुसंधान नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियां) नामक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ किया है। बीएमटीपीसी द्वारा योजना एवं वास्तुवकला विद्यालय (एसपीए), नई दिल्ली के सहयोग से ''निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष 2019–20'' के हिस्से के रूप में यह प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है।

इस पाठ्यक्रम का शुभारंभ छह लाइट हाउस परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह के दौरान 1 जनवरी, 2021 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। नवरीतिः नवोन्मेषी निर्माण प्रौद्योगिकी पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के रूप में पठन सामग्री का विमोचन भी माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था। परिषद ने प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पर एक लघु फिल्म तैयार करने में एचएफए निदेशालय की भी सहायता की, जिसे समारोह के दौरान प्रदर्शित किया गया था।

इस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य (क) आवास के लिए विश्व भर में उपयोग की जा रही नवीनतम सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों से पेशेवरों को अवगत कराना, (ख) संपत्तियों, विनिर्देशों, प्रदर्शन के संदर्भ में सामग्री और प्रौद्योगिकियों की अत्याधुनिकता के बारे में जागरूकता प्रदान करना, डिजाइन और निर्माण के तरीके ताकि पेशेवर इन्हें अपने दैनिक अभ्यास में सफलतापूर्वक नियोजित कर सकें और (ग) निष्पादित परियोजनाओं के लिए निवेश उपलब्ध कराना जहां ऐसी सामग्री और प्रौद्योगिकियां क्रियान्वित की गई हैं।

नवरीति के पहले बैच का उद्घाटन 11.02.2021 को सचिव (आवासन एवं शहरी कार्य) द्वारा किया गया औरर 12 से 18 फरवरी, 2021 तक चला, जिसमें 125 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का दूसरा बैच 19 से 26 मार्च, 2021 तक आयोजित किया गया, जिसमें 116 इंजीनियरों, वास्तुकारों और अन्य पणधारकों ने सहभागिता की। नवरीति पाठ्यक्रम के तीसरे बैच की घोषणा हो गई है और ऑनलाइन कक्षाएं 30 अप्रैल, 2021 से आरंभ होंगी। मौजूदा वैश्विक महामारी परिदृश्य को देखते हुए यह पाठ्यक्रम ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर संचालित किया जा रहा है।

यह अपनी तरह का पहला ऐसा पाठ्यक्रम है और इस पाठ्यक्रम में वैकल्पिक और नवोन्मेषी सामग्री और निर्माण प्रौद्योगिकियों को सम्मिलित किया गया है। इस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु इस प्रकार हैः

प्रथम दिन

- उभरती निर्माण प्रणालियाँ – भूमिका, अवसर, चुनौतियाँ
- पीएसीएस/ बीएमटीपीसी/ सीपीडब्ल्यूडी/ जीएचटीसी–इंडिया/ आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सवंर्धित उभरती निर्माण प्रौद्योगिकियां

दूसरा दिन

- फॉर्मवर्क सिस्टम – भूमिका, अवधारणाएं और इसकी विशेषताएं, डिजाइन दर्शनशास्त्र
- फॉर्मवर्क सिस्टम – निर्माण पद्धति, कार्यान्वयन और मामले का अध्ययन

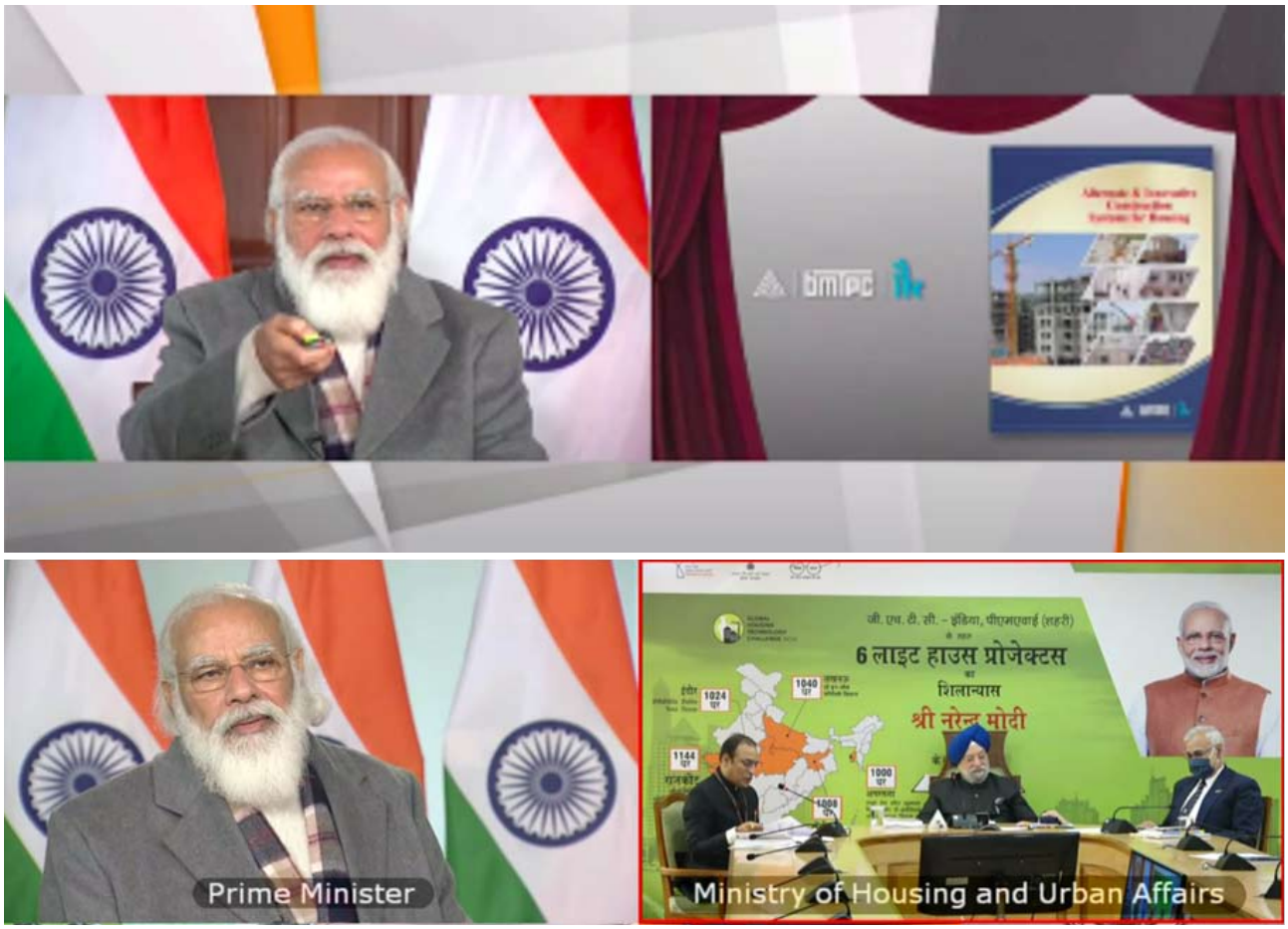

माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी, 1.1.2021 को छह लाइट हाउस परियोजनाओं (एलएचपी) के शिलान्यास समारोह के दौरान नवरीति पाठ्यक्रम का शुभारंभ करते हुए

श्री दुर्गा शंकर मिश्र, सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय 11.02.2021 को नवरीति के पहले बैच का उद्घाटन करते हुए

नवरीतिः नवोन्मेषी निर्माण प्रौद्योगिकी पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 12 से 18 फरवरी, 2021 तक पहले बैच का आयोजन

नवरीतिः नवोन्मेषी निर्माण प्रौद्योगिकी पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 19 से 26 मार्च, 2021 तक दूसरे बैच का आयोजन

तीसरा दिन
- स्टे–इन–प्लेस फॉर्मवर्क सिस्टम – भूमिका, अवधारणाएं और इसकी विशेषताएं
- स्टे–इन–प्लेस फॉर्मवर्क सिस्टम – निर्माण पद्धति, कार्यान्वयन और मामले का अध्ययन

चौथा दिन
- प्रीकास्ट सैंडविच पैनल सिस्टम – भूमिका, अवधारणा, निर्माण पद्धति, कार्यान्वयन और मामले का अध्ययन
- जीएफआरजी पैनल सिस्टम – भूमिका, अवधारणाएं, निर्माण पद्धति, कार्यान्वयन और मामले का अध्ययन

पांचवा दिन
- स्टील संरचनात्मक प्रणाली (स्ट्रक्चरल सिस्टम) – भूमिका, अवधारणाएं और इसकी विशेषताएं
- स्टील संरचनात्मक प्रणाली (स्ट्रक्चरल सिस्टम) – निर्माण पद्धति, कार्यान्वयन और मामले का अध्ययन

छठा दिन
- लाइट गेज स्टील फ्रेम सिस्टम – भूमिका, अवधारणाएं और इसकी विशेषताएं
- लाइट गेज स्टील फ्रेम सिस्टम – निर्माण पद्धति, कार्यान्वयन और मामले का अध्ययन

सातवां दिन
- प्रीकास्ट कंक्रीट निर्माण प्रणाली – भूमिका, अवधारणाएं और इसकी विशेषताएं
- प्रीकास्ट कंक्रीट बिल्डिंग – निर्माण पद्धति, कार्यान्वयन और मामले का अध्ययन

आठवां दिन
- 3डी प्रीकास्ट वॉल्यूमेट्रिक सिस्टम – परिचय, अवधारणाएं और इसकी विशेषताएं
- 3डी प्रीकास्ट वॉल्यूमेट्रिक सिस्टम – निर्माण पद्धति, कार्यान्वयन और मामले का अध्ययन

इस पाठ्यक्रम के विशेषज्ञों में एसपीए, बीएमटीपीसी, आईआईटी, सीबीआरआई और उद्योग के विशेषज्ञ शामिल हैं।

पाठ्यक्रम के अंत में, बहुविकल्पीय प्रश्नों (एमसीक्यू) पर आधारित एक ऑनलाइन परीक्षा होती है। पाठ्यक्रम के सफल समापन पर, आवेदक को एसपीए, नई दिल्ली और बीएमटीपीसी द्वारा एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

3. योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के ''योजना (आवास)'' के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सामग्री और प्रौद्योगिकी पर पाठ्यक्रम

योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली द्वारा परिषद को उनके दूसरे सेमेस्टर के दौरान ''योजना–निष्णात (आवास)'' के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सामग्री और प्रौद्योगिकी पर पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

स्नातकोत्तर छात्रों के दूसरे सेमेस्टर के लिए सामग्री और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम में भवन निर्माण सामग्री पारंपरिक और पारंपरिक, कम लागत वाली सामग्री, आवास विकास के लिए प्रौद्योगिकी का महत्व, पारंपरिक प्रौद्योगिकियां और आधुनिक प्रौद्योगिकियां, उपयुक्त प्रौद्योगिकी, भारत और तीसरी दुनिया में आवास विकास के संदर्भ में आवास हेतु प्रौद्योगिकी, प्रणाली निर्माण की अवधारणा, विभिन्न खुली और बंद प्रणालियाँ, भवन की विभिन्न प्रणालियों का चुनाव, बुद्धिमतापूर्ण भवन की अवधारणा, भारत में निर्माण उद्योग के संगठन–आवास निर्माण उद्योग का महत्व, इसकी विशेषताएं और इसमें शामिल विभिन्न कारकों की भूमिका, आवास निर्माण उद्योग–निर्माण सामग्री निर्माताओं, विक्रेताओं और छोटे ठेकेदारों में छोटे पैमाने के उद्यम, आवास निर्माण में संसाधनों और जनशक्ति का महत्व, आवास निर्माण में प्रदान करने की आवश्यकता, नृमिति केंद्रों की अवधारणा, लागत कम करने वाली तकनीकें, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियां, आवास परियोजनाओं में प्रौद्योगिकी की भूमिका निर्माण–लागत समय और अन्य निहितार्थ, गृह निर्माण के लिए उभरते तकनीकी दृष्टिकोण, बुनियादी ढांचे और आवास क्षेत्र की योजना, ''हरित'' आवास नई और वैकल्पिक तकनीकों को बढ़ावा देने में बीएमटीपीसी और अन्य संगठनों की भूमिका शामिल हैं।

इसलिए, एसपीए, नई दिल्ली के अनुरोध के अनुसार, कार्यकारी निदेशक, बीएमटीपीसी ने अपने दूसरे सेमेस्टर

के दौरान ''योजना (आवास)'' के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सामग्री और प्रौद्योगिकी पर पाठ्यक्रम आरंभ किया। सेमेस्टर के दौरान निम्नलिखित व्याख्यान दिए गए:

व्याख्यान 1 से 3	टिकाऊ निर्माण सामग्री और निर्माण प्रौद्योगिकियां
व्याख्यान 4	कृषि, खनिज और औद्योगिक कचरे से निर्माण सामग्री और उत्पाद
व्याख्यान 5	निर्माण एवं तोड़–फोड़ से उत्पन्न (सी एंड डी) कचरा प्रबंधन
व्याख्यान 6	भवनों में ऊर्जा
व्याख्यान 7	हरित भवन – किफायती आवास गृह
व्याख्यान 8 से 11	आपदा प्रतिरोधी डिजाइन और निर्माण प्रथाएं
व्याख्यान 12–13	जन आवास के लिए उभरती निर्माण प्रणाली
व्याख्यान 14	बुद्धिमत्तापूर्ण भवन

4. गृहा वर्चुअल फेस्ट

थ एकीकृत हरित पर्यावास मूल्यांकन परिषद (गृहा), ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) (टेरी) ने 21 से 25 जुलाई, 2020 तक ''गृहा वर्चुआल फेस्ट'' का आयोजन किया, जहां गृहा उत्पाद कैटलॉग में पंजीकृत उत्पाद निर्माताओं को विभिन्न पणधारकों को उनके संबंधित उत्पादों (लाभ, विनिर्देशन और उत्पाद की स्थिरता सुविधाएं) के बारे में जानकारी का प्रचार–प्रसार करने का अवसर प्रदान किया गया। गृहा उत्पाद कैटलॉग एक ऑनलाइन कैटलॉग है जिसे हरित भवन डिजाइनरों, वास्तुकारों, इंजीनियरों, बिल्डरों और ग्राहकों को भरोसेमंद ग्रीन बिल्डिंग उत्पादों पर ऐसी सभी आवश्यक जानकारी के साथ विकसित किया गया है, जिनका उपयोग भवनों को गृहा के अनुरूप बनाने के लिए किया जा सकता है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार और ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) ने गृहा (एकीकृत हरित पर्यावास मूल्यांकन) विकसित किया है, जिसे वर्ष 2007 में ''भारत में हरित भवन राष्ट्रीय मूल्यांकनन प्रणाली'' के रूप में अनुमोदित किया गया है।

बीएमटीपीसी ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शनी स्थल में बीएमटीपीसी की विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन करते हुए ''गृहा वर्चुअल फेस्ट'' में सहभागिता की।

इस गृहा वर्चुअल फेस्ट ने नवीन तकनीकों और समाधानों पर विचार–विमर्श करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया, जो पूरे समुदाय के लाभ के लिए स्थायी समाधान विकसित करने के लिए मजबूत तंत्र बनाने में मदद करेगा। इस समारोह में 21–25 जुलाई, 2020 तक आयोजित गृहा की वर्चुअल प्रदर्शनी और 21–22 जुलाई, 2020 तक आयोजित एक ऑनलाइन बैठक/वेबिनार शामिल है, जो भवन प्रौद्योगिकी के विकास में नई तकनीकों और नई अवधारणाओं का पता

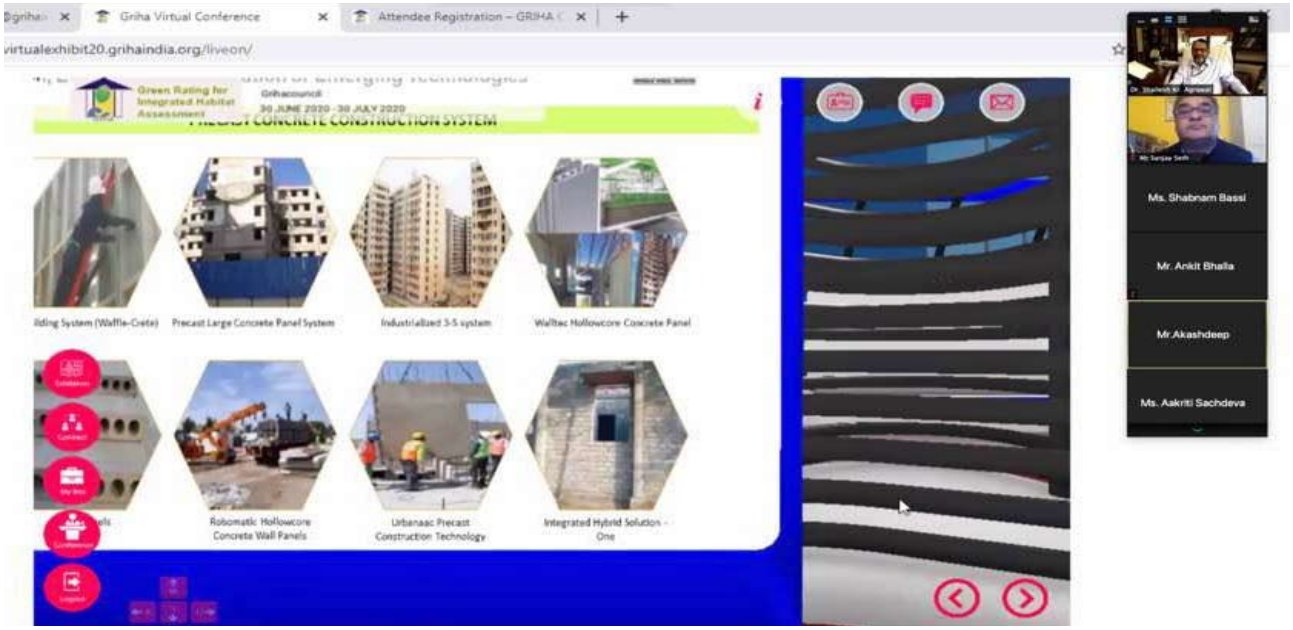

लगाने और सुरक्षा, स्थायित्व, उसमें रहने वालों के रहने योग्य और स्थिरता पर केन्द्रित थी। ग्राहकों के साथ उत्पाद निर्माताओं के सीधे संपर्क पर जोर दिया गया। गृहा वर्चुअल फेस्ट ने एक ऐसा तकनीकी मंच प्रदान किया जहां प्रतिभागियों ने कई उत्पादों को प्रदर्शित किया और दर्शकों के साथ परस्पर वार्तालाप भी किया।

5. विश्व पर्यावास दिवस 2020 समारोह

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 5 अक्टूबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व पर्यावास दिवस 2020 मनाया। परिषद ने विश्व पर्यावास दिवस 2020 समारोह में सहभागिता की और इस अवसर पर परिषद ने तीन पुस्तकें यानि (i) ''सबके लिए आवासः बेहतर शहरी भविष्य'' विषय पर ''निर्माण सारिका'' का विशेषांक, (ii) उभरती निर्माण प्रणालियों पर लघु पुस्तिका, और (iii) कार्य–निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणन योजना (पीएसीएस पर पुस्तिका निकाली। श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की गरिमामई उपस्थिति में श्री हरदीप एस. सिंह, माननीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा नई दिल्ली में 5 अक्टूबर, 2020 को इन पुस्तकों का विमोचन किया गया।

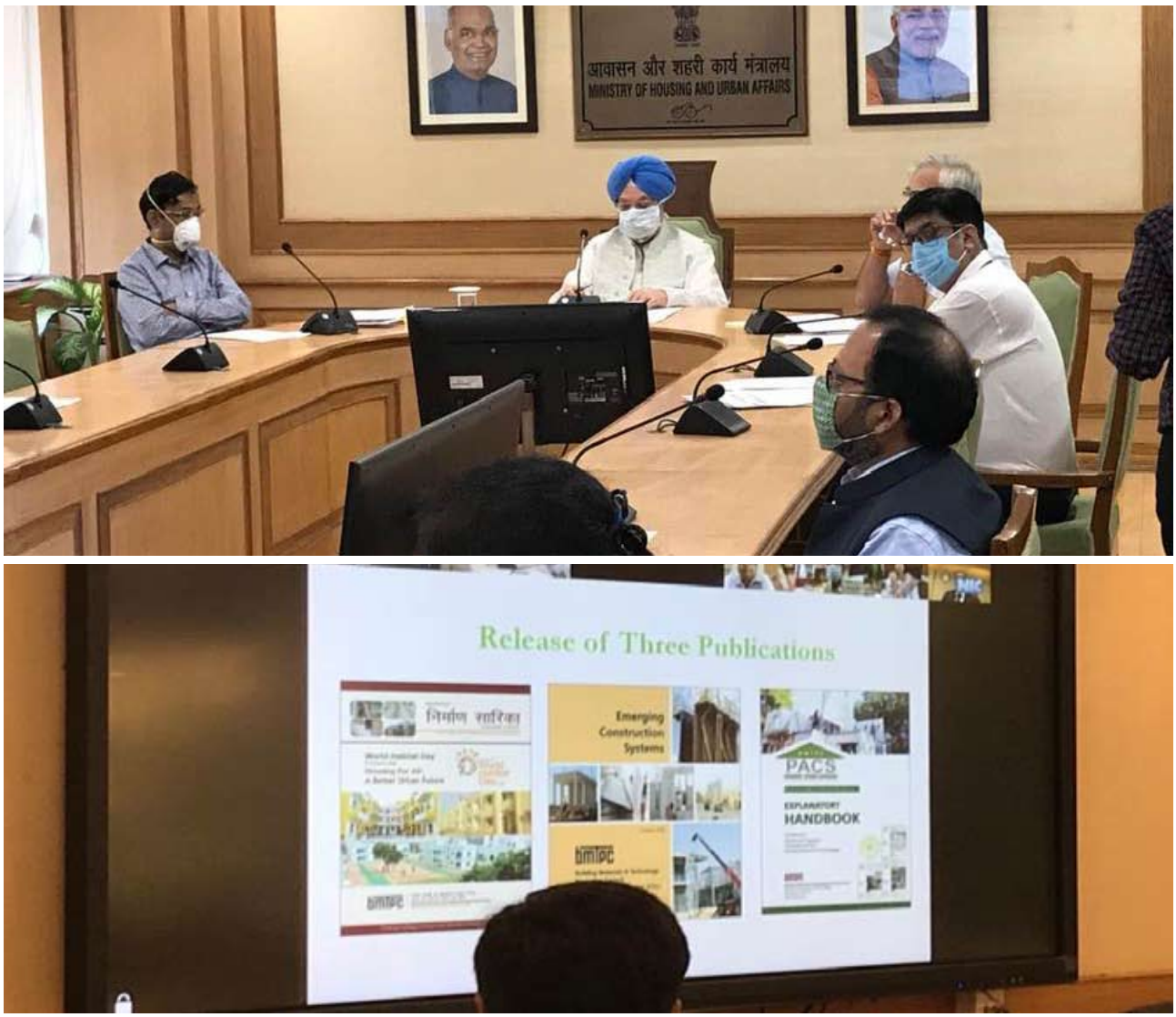

श्री हरदीप एस. पुरी, माननीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) 5 अक्टूबर, 2020 को नई दिल्ली में विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर बीएमटीपीसी द्वारा प्रकाशित तीन पुस्तकों का विमोचन करते हुए

VII. संगठन

बीएमटीपीसी का संगठनात्मक ढांचे को अगले पृष्ठ पर दर्शाया गया है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, बीएमटीपीसी में कर्मचारियों की संख्या 34 थी जिसमें 15 अधिकारी और 19 सहायक कर्मचारी शामिल थे। इसके अलावा, हर परियोजना की जरुरत के आधार पर उपयुक्त तकनीकी/पेशेवर/ सहायक जनशक्ति की अनुबंध के आधार पर सेवाएं प्राप्त की जाती हैं।

परिषद् ने पारदर्शिता, जवाबदेही और कर्मचारियों के अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निम्नलिखित प्रशासनिक एवं वित्तीय उपायों का अनुपालन किया है:

- एमओए, उप विधियों और परिषद के अन्य नियमों और विनियमों का क्रियान्वयन।।
- परिषद की सुचारू और सामंजस्यपूर्ण कामकालज के लिए आंतरिक समिति:
  - निवेश समिति
  - विज्ञापन समिति
  - निर्माण समिति
  - मुद्रण कमेटी
  - जीईएम समिति
  - स्थानीय खरीद समिति
  - स्टोर खरीद समिति
  - परिवहन समिति
  - संविदात्मक भुगतान समिति
- नागरिकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए केंद्रीकृत जन शिकायत सुधार एवं निगरानी प्रणाली के माध्यम से जन शिकायतों की ऑनलाइन प्रबंधन की शुरूआत की गई है।
- संगठन के सूचारू कामकाज एवं स्टाफ सदस्यों की शिकायतों के समाधान का पता लगाने के लिए एक अधिकारी को शिकायत निदेशक और एक अधिकारी को कल्याण अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ
- आरटीआई अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन
- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए समिति।

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद

संस्थागत संरचना

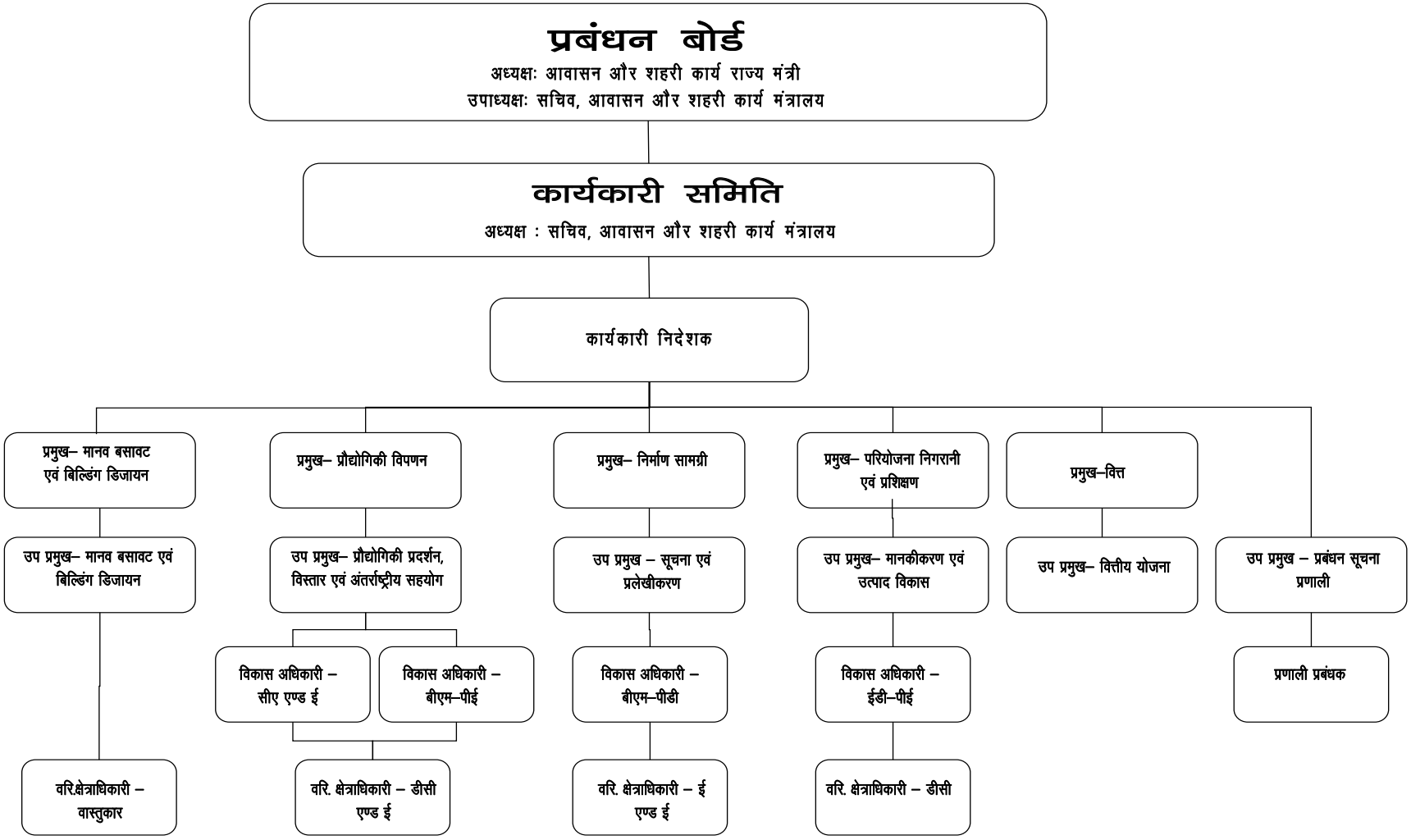

स्टाफ/कर्मचारियों की संख्या
(31.3.2021 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	नाम व पदनाम	कार्यग्रहण की तारीख
1.	डॉ. शैलेश कुमार अग्रवाल कार्यकारी निदेशक	17.01.08
2.	एम. रमेश कुमार प्रमुख–मानव बसावट एवं बिल्डिंग डिजाईन	01.04.93
3.	एस.के. गुप्ता उप प्रमुख–प्रौद्योगिकी, प्रदर्शन, विस्तार एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	26.10.93
4.	अरविंद कुमार उप प्रमुख–प्रबंधन सूचना तंत्र	15.04.99
5.	चंडी नाथ झा उप प्रमुख–मानकीकरण एवं उत्पाद विकास	09.09.99
6.	पंकज गुप्ता उप प्रमुख–सूचना एवं प्रलेखन	14.10.99
7.	दलीप कुमार वरिष्ठ क्षेत्राधिकारी–प्रदर्शन निर्माण एवं प्रदर्शनी	04.03.91
8.	आलोक भटनागर वरिष्ठ क्षेत्राधिकारी– प्रदर्शनी एवं विस्तारण	05.10.98
9.	आकाश माथुर वरिष्ठ क्षेत्राधिकारी–वास्तुकार	01.01.02
10.	अनीता कुमार वरिष्ठ प्रोग्रामर	03.10.96
11.	एम. रामा कृष्णा रेड्डी संपर्क अधिकारी	29.10.03
12.	पंकज गुप्ता कार्मिक अधिकारी	01.03.94
13.	प्रवीण सूरी तंत्र विश्लेषक	01.09.94
14.	एस.एस. राणा पुस्तकालय अधिकारी	01.04.98
15.	डी. प्रभाकर क्षेत्राधिकारी	29.01.04

सेवानिवृत्त

	एस. बालाश्रीनिवासन प्रिमुख–वित्त (30.6.2020 को सेवानिवृत्त)	08.04.92

त्यागपत्र

	डी. पी. सिंह विकास अधिकारी–अभियांत्रिकी अभिकल्पना एवं उत्पाद मूल्यांकन (11.6.2020 को सेवा से त्यागपत्र)	05.10.98

लेखा

- परिषद् को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान वेतन हेतु 5.50 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। अन्य स्रोत जैसे शुल्क, परामर्शी सेवा, प्रशिक्षण, जीएचटीसी, डीएचपी, एलएचपी, एनएचबी, डीआरएमसी, प्रकाशन, ब्याज इत्यादि से 162.49 करोड़ रुपए प्राप्त हुए।

- इसके अतिरिक्त, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय लघु बचत निधि कोष से 10,000 करोड़ रुपये उधार लिए गये एवं उक्त को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की संस्वीकृति आदेश के अनुसार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को संवितरित कर दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एनयूएचएफ खाते में उपलब्ध शेष राशि पर 11.86 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में जमा किया था एवं आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा उक्त एनएचयूएफ बैंक खाते में तथा ईबीआर ऋण पर ब्याज के भुगतान के रूप में टीएसए खाते में 41,47,84,19,000 रुपये जमा की गई थी। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की संस्वीकृति आदेश के अनुसार 41,47,84,19,000 रुपये की राशि एनएसएसफ/हडको को ब्याज भुगतान के रूप में संवितरित की दी गई है।

- प्राप्ति एवं भुगतान लेखा विवरणी के अनुसार इस वर्ष के दौरान परिषद् ने 1,41,87,78,91,716 रुपये की कुल राशि खर्च की है। परिषद के व्यय का सारांश नीचे दिया गया है :–

मुख्य मदें	राशि (रूपये में)
• भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन आवास परियोजनाओं का निर्माण, उभरती सामग्री एवं निर्माण प्रौद्योगिकियों की पहचान/मूल्यांकन/आकलन/विकास/अनुप्रयोग सहित तकनीकी क्रियाकलापों पर व्यय	6,24,24,527
• विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं का आयोजन एवं सहभागिता, सबके लिए आवास (सहायता देना, दस्तावेजीकरण, जागरूकता एवं क्षमता निर्माण) पर प्रौद्योगिकी उप–मिशन, प्रसार के माध्यम से उभरती प्रौद्योगिकियों को मुख्य धारा में लाना, राज्य सरकारों के बीच ज्ञान स्थानांतरण	24,70,177
• डीआरएमसी, जीएचटीसी, एलएचपी एवं अन्य संबंधित क्रियाकलापों पर व्यय	24,80,13,214
• कार्यालय उपकरण, कंप्यूटर पेरिफेरल आदि सहित वेतन, स्थापना एवं प्रशासन खर्चों पर व्यय	679,56,998
• ईबीआर ऋण/प्रतिभूति जमा रिफंड पर ब्याज का भुगतान	41,49,70,47,840
• राष्ट्रीय शहरी आवास निधि (एनयूएचएफ) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (पीएमएवाई–यू) – सबके लिए आवास के तहत केंद्रीय सहायता, अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) के माध्यम से जुटाई गई राशि एवं आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के संस्वीकृति आदेश के अनुसार राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को संवितरित, हड़को से उधार ली गई राशि	99,99,99,78,960
योग	1,41,87,78,91,716

लेखाओं की लेखा–परीक्षा मैसर्स एम. एस. सेखोन एंड कं., सनदी लेखाकार द्वारा की गई है। वर्ष 2020–21 का तुलन–पत्र तथा लेखा विवरण रिपोर्ट में दर्शाया गया है।

एम.एस. सेखोन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
170, मधुवन, दिल्ली–110092

स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण
निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्
नई दिल्ली

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

अभिमत

हमनें सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद् (''सोसायटी'') की संलग्न वित्तीय विवरणी की लेखा परीक्षा की है जिसमें यथा 31 मार्च, 2021 को तुलन–पत्र एवं समाप्त वर्ष का आय व व्यय लेखा शामिल है तथा महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियों का सारांश सहित समाप्त वर्ष की आय–व्यय लेखा, प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे का विवरण व वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं।

हमारे अभिमत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं लेखांकन हेतु हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार ये वित्तीय विवरण ऐसे तरीके में अपेक्षित सूचना प्रदान करते हैं जो आवश्यक थे एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार सही एवं उचित विचार प्रदान करते हैं।

क. तुलन पत्र के मामले में, परिषद् (सोसायटी) के कार्य 31 मार्च 2021 के यथानुकूल है।
ख. आय एवं व्यय लेखों के विवरण के मामले में वर्ष की समाप्ति पर, उस तिथि को घाटा यथावत है और
ग. प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के मामले में वर्ष की समाप्ति पर, उस तिथि पर प्राप्तियां एवं भुगतान यथावत हैं।

अभिमत का आधार

हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारा उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक का उत्तरायित्व खंड मे वर्णित है। हम उन नैतिक अपेक्षाओं के अनुसरण में स्वतंत्र संस्था हैं जो वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक है एवं हमने इन अपेक्षाओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक उत्तरदायित्व पूरे किए हैं। हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा के साक्ष्य जो हमने प्राप्त किये हैं हमारे अभिमत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं यथोचित हैं।

वित्तीय विवरणियों हेतु प्रबंधन एवं अभिशासन के उन व्यक्तियों के दायित्व जिन्हें प्रभार दिया गया है

प्रबंधन उपरोक्त लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरण की तैयारी एवं उचित प्रस्तुतिकरण तथा ऐसे आंतरिक नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है जो प्रबंधन वित्तीय विवरण तैयार करने में आवश्यक मानता है कि ये वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत बयानी चाहे धोखाधड़ी हो या त्रुटि के कारण से मुक्त हैं।

इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए प्रबंधन संस्था को चालू संस्थान के तौर पर जारी रखने, विगोपन करने यथा लागू, चालू संस्थान से संबंधित विषय एवं लेखांकन के आधार पर चालू संस्थान का उपयोग करने में संस्था योग्यता का

दूरभाष एवं फैक्सः 91-11-42445194, 42445294,42445394 **ई-मेल** : sekhonms@rediffmail.com

आकलने करने लिए उत्तरदायी है जब तक कि प्रबंधन संस्था को परिसमाप्त अथवा प्रचालन बंद न करना चाहता हो अथवा वास्तविक विकल्प न होने के कारण ऐसा करना पड़ा हो।

अभिशासन के वे व्यक्ति जिन्हें प्रभार दिया गया है भी संस्था के वित्तीय सूचना प्रक्रिया का पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी हैं।

मामले का प्रभाव

हम वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 7 पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिसमें परिषद् (सोसाइटी) के प्रचालन एवं वित्तीय स्थिति पर कोविड़ 19 के प्रभाव का उल्लेख किया गया है।

हमारे अभिमत में उपरोक्त मामले के संदर्भ में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा-परीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य वित्तीय विवरणों के बारे में पूर्ण रूप से युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करना है चाहे वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयानी से मुक्त हो एवं लेखापरीक्षा रिर्पो जारी करना है जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। युक्तियुक्त आश्वासन उच्च स्तर आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एस के अनुसार की गई लेखा परीक्षा हमेशा भौतिक गलत बयानी को पकड़े जब यह घटित हो। गलत बयानी धोखाधड़ी एवं त्रुटि से भी हो सकती है एवं इसे तब महत्वपूर्ण माना जाता है यदि यह अलग–अलग अथवा एक साथ की गई हो, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित होने की अपेक्षा हो।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के हिस्से के तौर पर हमने पेशेवर निर्णय का प्रयोग किया है एवं पूरी लेखा परीक्षा में पेशेवर संशय को बनाये रखा। हमने निम्नलिखित भी किया:

- वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत बयानी की पहचान करना व उसका आकलन करना चाहे वह धोखाधडी के कारण हो या त्रुटि के कारण तथा उन जोखिमों के प्रत्युत्तरकारी लेखापरीक्षा का निष्पादन करना एवं लेखा परीक्षा के साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे अभिमत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त व समुचित हो। धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयानी न पकड़ पाने के जोखिम त्रुटि से होने वाले जोखिम से बड़े हैं चूंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, गबन, जनबूझ कर गलती करना, गलत प्रस्तुतिकरण अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रिया की अभिकल्पना करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की जानकारी लेना जो परिस्थितियों में यथोचित हों लेकिन संस्था के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता पर हमारा अभिमत व्यक्त करने के प्रयोजनार्थ न हो। प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों व संबंधित विगोपनों की औचित्यतता का मूल्यांकन करना।

प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों व संबंधित विगोपनों की औचित्यतता का मूल्यांकन करना।

लेखांकन के आधार पर चालू संस्था का उपयोग एवं प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर प्रबंधन की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना चाहे उसमें घटना अथवा स्थितियों से संबंकधित भौतिक अनिश्चिता मौजूद हो जो चालू संस्था के तौर पर जारी रखने में संस्था की योग्यता पर महत्वपूर्ण संशय डाल सकते हों। यदि हमारा निष्कर्ष है कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित विगापनों के प्रति लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इसकी ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसी विगोपन अपर्याप्त हैं तो अपने अभिमत में संशोधन करना आवश्यक है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि को प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि भावी घटनाएं व स्थितियां संस्था को चालू संस्था के तौर पर जारी रखने में बंद होने का कारण भी हो सकती हैं।

हम अन्य विषयों में से उन व्यक्तियों के बारे में जिन्हें अभिशासन में प्रभार दिया गया है, आंतरिक लेखापरीक्षा में कोई महत्वपूर्ण विसंगति जो हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान चिन्हित की हैं सहित लेखापरीक्षा का सुनियोजित कार्यक्षेत्र व समय एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष की सूचना देते हैं।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

हम रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि:

क. हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए जो लेखा–परीक्षा के उद्देश्य हेतु हमारी जानकारी और विश्वास के लिए आवश्यक थे।

ख. हमारी अभिमत में परिषद् (सोसाइटी) द्वारा समुचित लेखा बहियां रखी गई है जो हमारी जांच में लेखा बहियों में पाया गया।

ग. इस रिपोर्ट में दिया गया परिषद् (सोसाइटी) का तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा के विवरण, प्राप्ति एवं भुगतान, लेखा बहियों के करारानुसार हैं।

कृते एम.एस. सेखोन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन सं. 003671 एन

ह0
राजीव टंडन
(साझीदार)
सदस्यता सं. 087343
यूडीआईएनः 21087343एएएएएफएक्स3667

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 24.11.2021

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

यथा 31 मार्च, 2021 को तुलन–पत्र

राशि (₹)

	अनुसूची	2020-21	2019-20
मूल / पूंजीगत निधि एवं देयताएं			
मूल / पूंजीगत निधि	1	1,000,000	1,000,000
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	2	185,496,689	182,668,645
दीर्घावधि देयता	3	530,000,000,000	430,000,000,000
अभिनिर्धारित निधि	4	2,322,070,943	1,039,854,842
चालू देयताएं एवं प्रावधान	5	6,522,228,971	4,952,088,357
योग		**539,030,796,603**	**436,175,611,844**
आस्तियां			
संपत्ति, संयत्र एवं उपस्कर	6	23,896,140	25,896,218
गैर चालू आस्तियां	7	530,000,000,000	430,000,000,000
चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम इत्यादि	8	9,006,900,463	6,149,715,626
योग		**539,030,796,603**	**436,175,611,844**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं लेखाओं पर टिप्पणियां	17		

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम.एस. शेखोन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 003671N

ह0
राजीव टंडन (साझीदार)
सदस्यता सं. 87343

कृते निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद

ह0
पंकज गुप्ता
वित्त अधिकारी

ह0
शरद कुमार गुप्ता
प्रमुख–वित्त (प्रभारी)

ह0
डॉ. शैलेश कुमार अग्रवाल
कार्यकारी निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24.11.2021

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा

राशि (₹)

	अनुसूची	2020-21	2019-20
आय			
अनुदान/सब्सिडी	9	55,000,000	50,000,000
शुल्क/अभिदान	10	11,873,239	11,604,050
प्रकाशन एवं पीएसी शुल्क इत्यादि से आय	11	1,115,885	1,445,014
अर्जित आय	12	8,798,376	10,258,406
योग (क)		**76,787,500**	**73,307,470**
व्यय			
वेतन, स्थापन एवं प्रशासन पर व्यय	13	66,198,498	70,432,593
प्रसार/सेमिनार/कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सबके लिए आवास इत्यादि पर व्यय	14	2,470,177	4,217,557
प्रदर्शन आवास परियोजना सहित वैज्ञानिक एवं तकनीक (एस एंड टी) पर व्यय	15	1,284,786	2,122,055
मूल्याह्रास	6	2,942,862	3,205,762
योग (ख)		**72,896,323**	**79,977,967**
वर्ष में आधिक्य/(घाटा) (क–ख)		3,891,177	(6,670,497)
पूर्व अवधि की मदें		1,063,133	-
आधिक्य/(घाटा) की शेष राशि तुलन पत्र में ले जाई गई		**2,828,044**	**(6,670,497)**

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम.एस. शेखोन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 003671N

ह0
राजीव टंडन (साझीदार)
सदस्यता सं. 87343

कृते निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद

ह0
पंकज गुप्ता
वित्त अधिकारी

ह0
शरद कुमार गुप्ता
प्रमुख–वित्त (प्रभारी)

ह0
डॉ. शैलेश कुमार अग्रवाल
कार्यकारी निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24.11.2021

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

राशि (₹)

	2020-21		2019-20	
प्राप्तियां				
1 **प्रारंभिक शेष**				
हस्तगत शेष नकदी		-		-
बैंक में शेष				
अनुसूचित बैंकों में:				
- केनरा बैंक में जमा	132,936,634		39,600,000	
- भारतीय स्टेट बैंक –एलपी खाते में जमा	144,590,000			
- बचत खातों में जमा:				
- केनरा बैंक	75,220,837		631,081	
- भारतीय स्टेट बैंक	18,738,438		4,967,756	
- भारतीय स्टेट बैंक (एनयूएचएफ)	96,518,683		88,620,245	
- भारतीय स्टेट बैंक एलएचपी अगरतला	139,998,064		-	
- भारतीय स्टेट बैंक एलएचपी चेन्नई	161,278,065		-	
- भारतीय स्टेट बैंक एलएचपी इंदौर	143,442,256		-	
- भारतीय स्टेट बैंक एलएचपी लखनऊ	1,008,063		-	
- भारतीय स्टेट बैंक एलएचपी राजकोट	228,798,065		-	
- भारतीय स्टेट बैंक एलएचपी रांची	141,118,065	1,283,647,170	-	133,819,082
2 केंद्र सरकार (आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय) से अनुदान सहायता		55,000,000		50,000,000
3 शुल्क/डीआरएमसी/जीएचटीसी/डीएचपी परियोजना/टीपीक्यूए/प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमिनार से प्राप्तियां एवं अन्य प्राप्तियां		49,481,993		118,326,588
4 ऋण एवं अग्रिम राशि (निवल)		3,463,088		816,095
5 प्रतिभूति जमा इत्यादि		7,814,901		33,886,532
6 राष्ट्रीय लघु बचत निधि के लिए ईबीआर		100,000,000,000		150,000,000,000
7 आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को देय एनयूएचएफ एवं एलएचपी पर प्राप्त ब्याज		130,184,234		157,898,438
8 त्रिपुरा/गुजरात/हरियाणा/गोवा/भोपाल में प्रदर्शन आवास परियोजना हेतु मंत्रालय से प्राप्तियां		135,156,496		63,227,350
9 लाइट हाउस परियोजना हेतु प्राप्तियां		1,417,973,046		960,160,000
10 ईबीआर ऋण पर ब्याज के भुगतान हेतु प्राप्तिया		41,478,419,000		30,690,425,000
11 बिहार शरीफ/लखनऊ/ओडिशा में प्रदर्शन आवास परियोजना हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक से प्राप्तियां		-		23,241,000
12 प्रकाशन, पीएसी इत्यादि की बिक्री से प्राप्तियां		1,115,885		1,445,014
13 अर्जित ब्याज		9,910,236		6,160,778
योग		**144,572,166,049**		**182,239,405,877**
भुगतान				
1 अचल आस्तियों की खरीद	942,784		680,888	
2 वेतन, स्थापन एवं प्रशासन पर व्यय	67,014,214		70,793,568	
3 प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार,/डीआरएमसी/कार्यशाला इत्यादि पर व्यय	2,470,177		2,618,021	
4 प्रदर्शन आवास परियोजना सहित वैज्ञानिक एवं तकनीकी (एस एंड टी) गतिविधियों पर व्यय	1,284,786	71,711,961	5,583,930	79,676,407
5 प्रतिभूति जमा इत्यादि		18,628,840		17,329,877
6 एनयूएचएफ पर हडको एवं एनएसएसफ को प्रदत्त ब्याज		41,478,419,000		30,840,425,000
7 अभिनिर्धारित निधियां				
- राष्ट्रीय शहरी आवास निधि	99,999,978,960		150,000,000,000	
- लाइट हाउस परियोजनाएं	219,280,731		-	
- अहमदाबाद, गुजरात में प्रदर्शन आवास परियोजना	592,773		-	
- वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती	13,721,045		4,147,548	
- गोवा में प्रदर्शन आवास परियोजना	542,210		-	
- अगरतला में प्रदर्शन आवास परियोजना	23,355,767		99,120	
- पंचकुला, हरियाणा में प्रदर्शन आवास परियोजना	36,648,991		576,120	
- डेटा संसाधन निगरानी प्रकोष्ठ	15,011,438	100,309,131,915	13,504,635	150,018,327,423

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

राशि (₹)

	2020-21		2019-20	
8 **बैंक में अंतिम शेष**				
- केनरा बैंक में जमा	219,630,069		132,936,634	
- भारतीय स्टेट बैंक –एलएचपी खाते में जमा	2,164,810,068		144,590,000	
- बचत/चालू खातों में जमाः				
- केनरा बैंक	81,440,596		75,220,837	
- भारतीय स्टेट बैंक	7,431,549		18,738,438	
- भारतीय स्टेट बैंक एलएचपी अगरतला	1,007,416		139,998,064	
- भारतीय स्टेट बैंक एलएचपी चेन्नई	1,000,322		161,278,065	
- भारतीय स्टेट बैंक एलएचपी इंदौर	830,226		143,442,256	
- भारतीय स्टेट बैंक एलएचपी लखनऊ	1,007,413		1,008,063	
- भारतीय स्टेट बैंक एलएचपी राजकोट	1,006,316		228,798,065	
- भारतीय स्टेट बैंक एलएचपी रांची	1,007,416		141,118,065	
- भारतीय स्टेट बैंक (एनयूएचएफ)	215,102,942	2,694,274,333	96,518,683	1,283,647,170
योग		**144,572,166,049**		**182,239,405,877**

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम.एस. शेखोन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 003671N

ह0
राजीव टंडन (साझीदार)
सदस्यता सं. 87343

कृते निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद

ह0
पंकज गुप्ता
वित्त अधिकारी

ह0
शरद कुमार गुप्ता
प्रमुख–वित्त (प्रभारी)

ह0
डॉ. शैलेश कुमार अग्रवाल
कार्यकारी निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24.11.2021

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन–पत्र की अनुसूचियों को क्रमबद्ध करने वाला भाग

राशि (₹)

अनुसूची–1–मूल / पूंजीगत निधि	2020-21	2019-20
वर्ष के आरंभ में शेष	1,000,000	1,000,000
योग	**1,000,000**	**1,000,000**

अनुसूची 2 – आरक्षित निधि एवं अधिशेष	2020-21		2019-20	
1. आरक्षित पूंजी निधि				
प्रारंभिक शेष	91,015,224		90,334,336	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	942,784	91,958,008	680,888	91,015,224
2. व्यय की तुलना में आय का आधिक्य				
प्रारंभिक शेष	91,653,421		99,004,806	
घटाएं – आय एवं व्यय खाते से अंतरित राशि	2,828,044		6,670,497	
	94,481,465		92,334,309	
घटाएं – आरक्षित पूंजी निधि में अंतरित राशि	942,784	93,538,681	680,888	91,653,421
योग		**185,496,689**		**182,668,645**

अनुसूची 3 – दीर्घावधि की देयता	2020-21	2019-20
राष्ट्रीय शहरी आवास निधि		
1. पीएमएवाई (शहरी) मिशन के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता के तौर पर संवितरण करने के लिए राष्ट्रीय लघु बचत निधि से ऋण	330,000,000,000	230,000,000,000
2. पीएमएवाई (शहरी) मिशन के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता के तौर पर संवितरण करने के लिए हड़को से ऋण	200,000,000,000	200,000,000,000
योग	**530,000,000,000**	**430,000,000,000**

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन–पत्र की अनुसूचियों को क्रमबद्ध करने वाला भाग

राशि (₹)

अनुसूची 4 – अभिनिर्धारित निधियां	2020-21		2019-20	
1 डटा संसाधन सह निगरानी केन्द्र				
वर्ष के दौरान प्राप्त	15,059,000		4,445,000	
जोड़ें: वर्ष के दौरान वसूलीयोग्य राशि	-		9,059,635	
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय	15,011,438	47,562	13,504,635	-
2 राष्ट्रीय शहरी आवास निधि				
वर्ष के दौरान प्राप्त	100,000,000,000		150,000,000,000	
घटाएं: वर्ष के दौरान संवितरण (अनुसूची 16)	99,999,978,960	21,040	150,000,000,000	-
3 टीपीक्यूए हेतु पाप्त				
वर्ष के दौरान प्राप्त	9,966,906		-	
जोड़ें: वर्ष के दौरान वसूलीयोग्य राशि	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	9,966,906	-	-
4 भोपाल, मध्य प्रदेश में प्रदर्शन आवास परियोजना				
वर्ष के दौरान प्राप्त	33,569,000			
घटाएं: प्रभावित वेतन एवं प्रशासन व्यय	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	33,569,000	-	-
5 अगरतला, त्रिपुरा में प्रदर्शन आवास परियोजना				
प्रारंभिक शेष	21,465,942		-	
वर्ष के दौरान प्राप्त	50,804,477		25,231,123	
घटाएं: प्रभावित वेतन एवं प्रशासन व्यय	3,970,481		3,666,061	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	23,355,767	44,944,171	99,120	21,465,942
6 पंचकुला, हरियाणा में प्रदर्शन आवास परियोजना				
प्रारंभिक शेष	16,744,288		-	
वर्ष के दौरान प्राप्त	40,804,623		20,264,877	
घटाएं: प्रभावित वेतन एवं प्रशासन व्यय	6,230,328		2,944,469	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	36,648,991	14,669,592	576,120	16,744,288
7 चिम्बल, गोवा में प्रदर्शन आवास परियोजना				
प्रारंभिक शेष	18,163,812		-	
वर्ष के दौरान प्राप्त	13,664,340		21,251,660	
घटाएं: प्रभावित वेतन एवं प्रशासन व्यय	92,176		3,087,848	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	542,210	31,193,766	-	18,163,812
8 अहमदाबाद, गुजरात में प्रदर्शन आवास परियोजना				
प्रारंभिक शेष	6,178,068		-	
वर्ष के दौरान प्राप्त	19,290,660		7,228,340	
घटाएं: प्रभावित वेतन एवं प्रशासन व्यय	100,771		1,050,272	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	592,773	24,775,184	-	6,178,068
9 वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती				
प्रारंभिक शेष	17,142,732		-	
वर्ष के दौरान प्राप्त	-		21,900,000	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	13,111,325	4,031,407	4,757,268	17,142,732
10 अगरतला, त्रिपुरा में लाइट हाउस परियोजना				
प्रारंभिक शेष	140,000,000		-	
वर्ष के दौरान प्राप्त (केन्द्र से)	120,000,000		140,000,000	
वर्ष के दौरान प्राप्त (राज्य से)	185,000,000		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	16,250,000	428,750,000	-	140,000,000
11 चेन्नई, तमिलनाडु में लाइट हाउस परियोजना				
प्रारंभिक शेष	161,280,000		-	
वर्ष के दौरान प्राप्त (केन्द्र से)	92,160,000		161,280,000	
वर्ष के दौरान प्राप्त (राज्य से)	142,518,646		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	127,896,660	268,061,986	-	161,280,000

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन–पत्र की अनुसूचियों को क्रमबद्ध करने वाला भाग

राशि (₹)

अनुसूची 4 – अभिनिर्धारित निधियां	2020-21		2019-20	
12 इंदौर, मध्य प्रदेश में लाइट हाउस परियोजना				
प्रारंभिक शेष	143,360,000		-	
वर्ष के दौरान प्राप्त (केन्द्र से)	81,920,000		143,360,000	
वर्ष के दौरान प्राप्त (राज्य से)	90,960,000		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	51,428,571	264,811,429	-	143,360,000
13 लखनऊ, उत्तर प्रदेश में लाइट हाउस परियोजना				
प्रारंभिक शेष	145,600,000		-	
वर्ष के दौरान प्राप्त (केन्द्र से)	83,200,000		145,600,000	
वर्ष के दौरान प्राप्त (राज्य से)	294,800,000		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	13,090,000	510,510,000	-	145,600,000
14 राजकोट, गुजरात में लाइट हाउस परियोजना				
प्रारंभिक शेष	228,800,000		-	
वर्ष के दौरान प्राप्त (केन्द्र से)	91,520,000		228,800,000	
वर्ष के दौरान प्राप्त (राज्य से)	155,254,400		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	10,615,500	464,958,900	-	228,800,000
15 रांची, झारखंड में लाइट हाउस परियोजना				
प्रारंभिक शेष	141,120,000		-	
वर्ष के दौरान प्राप्त (केन्द्र से)	80,640,000		141,120,000	
वर्ष के दौरान प्राप्त (राज्य से)	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	221,760,000	-	141,120,000
योग		**2,322,070,943**		**1,039,854,842**

अनुसूची 5 – चालू देयताएं एवं प्रावधान	2020-21	2019-20
चालू देयताएं	539,263	901,566
- बकाया देयताएं		
- प्रतिभूति जमा	11,540,992	22,354,931
- एसबीआई (एलएचपी) में जमा ब्याज लेखा में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को प्रतिदेय राशि	37,044,491	-
- राष्ट्रीय शहरी आवास निधि पर प्रोद्भूत ब्याज लेकिन एनएसएसफ को देय नहीं	3,754,356,164	2,256,040,281
- राष्ट्रीय शहरी आवास निधि पर प्रोद्भूत ब्याज लेकिन हडको को देय नहीं	2,503,666,159	2,576,272,896
- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को प्रतिदेय राशि (एनयूएचएफ पर बैंक द्वारा दिया गया ब्याज)	215,081,902	96,518,683
योग	**6,522,228,971**	**4,952,088,357**

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन–पत्र की अनुसूचियों को क्रमबद्ध करने वाला भाग

राशि (₹)

अनुसूची 6 – संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण							2020-21	2019-20
	सकल ब्लॉक			मूल्यह्रास			निवल ब्लॉक	निवल ब्लॉक
	01.4.2020 को लागत	परिवर्धन	कुल	01.04.2020 तक	चालू वर्ष	31.03.2021 तक	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार
कार्यालय भवन भूमि सहित	34,319,817	-	34,319,817	11,619,827	2,269,999	13,889,826	20,429,991	22,699,990
फर्नीचर एवं फिक्चर	3,778,015	15,400	3,793,415	3,083,238	70,248	3,153,486	639,929	694,777
कार्यालय के उपकरण	20,181,271	337,474	20,518,745	18,673,086	251,538	18,924,624	1,594,121	1,508,185
कम्प्यूटर/पेरिफेरल	19,154,376	589,910	19,744,286	18,817,957	252,550	19,070,507	673,779	336,419
एयर कंडीशनर	1,035,166	-	1,035,166	858,918	26,437	885,355	149,811	176,248
पखें एवं कूलर	81,224	-	81,224	65,459	2,365	67,824	13,400	15,765
टीवी व वीसीआर	380,450	-	380,450	350,848	4,440	355,288	25,162	29,602
प्रदर्शन पट्ट, पैनल, डिस्प्ले मॉडल	12,084,905	-	12,084,905	11,649,673	65,285	11,714,958	369,947	435,232
	91,015,224	**942,784**	**91,958,008**	**65,119,006**	**2,942,862**	**68,061,868**	**23,896,140**	**25,896,218**
पिछला वर्ष (2019-20)	**90,334,336**	**680,888**	**91,015,224**	**61,913,244**	**3,205,762**	**65,119,006**	**25,896,218**	**28,421,092**

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन–पत्र की अनुसूचियों को क्रमबद्ध करने वाला भाग

राशि (₹)

अनुसूची 7 – गैर चालू आस्तियां	2020-21	2019-20
1. पीएमएवाई (शहरी) मिशन के तहत राष्ट्रीय शहरी आवास निधि हेतु एनएसएसफ से लिए गये ऋण की चुकौती हेतु आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय से प्राप्य राशि	330,000,000,000	230,000,000,000
2. पीएमएवाई (शहरी) मिशन के तहत राष्ट्रीय शहरी आवास निधि हेतु हडको से लिए गये ऋण की चुकौती हेतु आवास एवं शहरी मामले मंत्रालस से प्राप्य राशि	200,000,000,000	200,000,000,000
योग	**530,000,000,000**	**430,000,000,000**

अनुसूची 8 – चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम राशि इत्यादि	2020-21		2019-20	
क. चालू आस्तियां:				
1. बैंक में शेष				
- केनरा बैंक में जमा	219,630,069		132,936,634	
- एसबीआई (एलएचपी) में जमा	2,164,810,068		144,590,000	
- बचत खातों में:				
- केनरा बैंक	81,440,596		75,220,836	
- भारतीय स्टेट बैंक	7,431,549		18,738,438	
- भारतीय स्टेट बैंक (एनयूएचएफ)	215,102,942		96,518,683	
- भारतीय स्टेट बैंक एलएचपी अगरतला	1,007,416		139,998,065	
- भारतीय स्टेट बैंक एलएचपी चेन्नई	1,000,322		161,278,065	
- भारतीय स्टेट बैंक एलएचपी इंदौर	830,226		143,442,256	
- भारतीय स्टेट बैंक एलएचपी लखनऊ	1,007,413		1,008,063	
- भारतीय स्टेट बैंक एलएचपी राजकोट	1,006,316		228,798,065	
- भारतीय स्टेट बैंक एलएचपी रांची	1,007,416	2,694,274,333	141,118,065	1,283,647,170
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य आस्तियां:				
1. कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशि	477,382	477,382	749,700	749,700
2. .एनयूएचएफ के तहत आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय से प्राप्य राशि एवं पीएमएवाई (शहरी) के तहत ईबीआर से केंद्रीय सहायता	6,258,022,323	6,258,022,323	4,832,313,177	4,832,313,177
3. नगद अथवा इसी रूप में प्राप्य अग्रिम एवं अन्य राशि अथवा जिनकी कीमत प्राप्त की जानी है				
क. प्राप्य राशि एवं अन्य अग्रिम राशि	7,688,959		3,348,687	
ख. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्य राशि	9,059,635		9,059,635	
ग. एनएचबी से प्राप्य राशि	-		7,932,468	
घ. प्रतिभूति जमा (कार्य स्थल)	420,000		420,000	
ङ. स्रोत पर कर कटौती एवं प्राप्य जीएसटी	7,476,544	24,645,138	7,075,118	27,835,908
4. केनरा बैंक में जमा सावधि जमाओं पर प्रोद्भूत ब्याज		4,057,811		5,169,671
5. भारतीय स्टेट बैंक (एलएचपी निधि) में जमा सावधि जमाओं पर प्रोद्भूत ब्याज		25,423,476		-
योग (क + ख)		**9,006,900,463**		**6,149,715,626**

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु आय व व्यय लेखा की अनुसूचियों को क्रमबद्ध करने वाला भाग

राशि (₹)

अनुसूची 9– अनुदान/सब्सिडी (अशोध्य अनुदान एवं प्राप्त सब्सिडी)	2020-21	2019-20
1 केंद्र सरकार (आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार)	55,000,000	50,000,000
योग	**55,000,000**	**50,000,000**

अनुसूची 10– शुल्क/अंशदान	2020-21	2019-20
1 प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमिनार प्राप्तियां/प्रदर्शन आवास परियोजना/नवरीति शुल्क/वीएआई/परामर्शी शुल्क	1,479,483	855,400
2 प्रभाजित वेतन एवं प्रशसन व्यय (डीएचपी)	10,393,756	10,748,650
योग	**11,873,239**	**11,604,050**

अनुसूची 11– पीएसी शुल्क, प्रकाशन इत्यादि से आय	2020-21	2019-20
1 पुस्तकों की बिक्री, पीएसी से प्राप्तियां	1,115,885	1,445,014
योग	**1,115,885**	**1,445,014**

अनुसूची 12– अर्जित ब्याज	2020-21	2019-20
1 अनुसूचित बैंकों में सावधि जमाओं पर	7,855,486	8,550,759
2 अनुसूचित बैंकों में बचत खातों पर	932,111	1,282,756
3 कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशि पर	9,689	403,063
4 आयकर रिफंड पर	1,090	21,828
योग	**8,798,376**	**10,258,406**

अनुसूची 13– वेतन, स्थापन एवं प्रशासन पर व्यय	2020-21	2019-20
1 वेतन एवं भत्ते	53,462,858	60,659,988
2 छुटटी किराया रियायत	495,832	561,677
3 चिकित्सा भत्ता	3,483,328	230,768
4 मानदेय	-	172,500
5 प्रशासन व्यय	8,756,480	8,807,660
योग	**66,198,498**	**70,432,593**

अनुसूची 14– प्रसार/सेमिनार/कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, एचएफए इत्यादि पर व्यय	2020-21	2019-20
1 प्रदर्शनी एवं प्रचार	50,000	527,870
2 सेमिनार एवं सम्मेलन व्यय	422,074	512,382
3 मुद्रण, प्रकाशन एवं विज्ञापन	388,405	346,660
4 पुस्तक एवं समाचार पत्र	-	72,947
5 नवरीति ई–पाठ्यक्रम व्यय	327,000	-
6 सबके लिए आवास के तहत दस्तावेजीकरण, संवेदीकरण, क्षमता निर्माण, आपदा न्यूनीकरण	1,282,698	1,158,162
7 भारत में अतिसंवेदनशीलता मानचित्र की तैयारी	-	1,599,536
योग	**2,470,177**	**4,217,557**

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु आय व व्यय लेखा की अनुसूचियों को क्रमबद्ध करने वाला भाग

राशि (₹)

अनुसूची 15– प्रदर्शन आवास परियोजना सहित वैज्ञानिक एवं तकनीकी (एसएंडटी) गतिविधि पर व्यय		2020-21	2019-20
क	**भवन सामग्री एवं निर्माण प्रौद्योगिकी**		
1	लखनऊ में प्रदर्शन आवास परियोजना का निर्माण	77,400	1,219,113
2	नेल्लौर में प्रदर्शन आवास परियोजना का निर्माण	96,000	72,000
3	बिहार शरीफ में प्रदर्शन आवास परियोजना का निर्माण	334,998	327,560
4	कार्य–निष्पादन मूल्यांकन प्रमाण योजना	736,079	32,613
5	भुवनेश्वर में प्रदर्शन आवास परियोजना का निर्माण	-	158,295
6	हैदराबाद में प्रदर्शन आवास परियोजना का निर्माण	-	117,048
7	पीएमएवाई (शहरी) के तहत जन आवास में नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग के प्रति संवेदीकरण कार्यक्रम	-	45,426
	उप–योग (क)	**1,244,477**	**1,972,055**
ख	**क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास**		
1	निर्माण सामग्री एवं टिकाऊ निर्माण में उभरती प्रवृत्तियों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	-	50,000
2	टिकाऊ निर्माण में उड़न राख एवं निर्माण एवं तोड़–फोड़ से उत्पन्न उत्पादों के उपयोग पर कार्यशाला	-	100,000
	उप–योग (ख)	**-**	**150,000**
ग	**आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन**		
1	भारत के भूकंप जोखिम प्रक्षेत्रीय मानचित्र के लिए मोबाइल ऐप डिजाइन, विकास एवं कार्यान्वयन	40,309	-
	उप–योग (ग)	**40,309**	**-**
	योग (क +ख +ग)	**1,284,786**	**2,122,055**

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु आय व व्यय लेखा की अनुसूचियों को क्रमबद्ध करने वाला भाग

राशि (₹)

	अनुसूची 16– एनयूएचएफ–पीएमएवाई (शहरी) के तहत ईबीआर से केंद्रीय सहायता	2020-21	2019-20
1	बिहार सरकार को 46 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	51,480,000	1,064,640,000
2	बिहार सरकार को 17 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	11,820,000	295,560,000
3	बिहार सरकार को 10 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	33,240,000	89,880,000
4	बिहार सरकार को 12 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	351,120,000	270,120,000
5	बिहार सरकार को 18 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	148,140,000	229,440,000
6	बिहार सरकार को 19 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	192,900,000	-
7	बिहार सरकार को 20 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	97,260,000	226,320,000
8	बिहार सरकार को 22 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	426,060,000	104,700,000
9	बिहार सरकार को 2 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	3,344,000	-
10	बिहार सरकार को 1 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	58,860,000	-
11	बिहार सरकार को 3 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	228,780,000	-
12	बिहार सरकार को 7 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	294,960,000	-
13	बिहार सरकार को 24 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	366,780,000	516,180,000
14	बिहार सरकार को 31 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	156,780,000
15	बिहार सरकार को 54 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	162,780,000	656,880,000
16	हडको सीएलएसएस योजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	1,500,000,000	-
17	हडको को सीएलएसएस योजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	400,000,000	2,250,000,000
18	झारखंड सरकार को 36 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	34,320,000	413,760,000
19	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को सीएलएसएस–ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	30,000,000,000	60,000,000,000
20	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को सीएलएसएस–ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए को प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	14,500,000,000	-
21	तमिलनाडु सरकार को 50 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	46,020,000
22	तमिलनाडु सरकार को 130 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	234,480,000
23	त्रिपुरा सरकार को 20 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	522,273,000
24	उत्तर प्रदेश सरकार को 46 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	319,080,000	-
25	उत्तर प्रदेश सरकार को 264 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	3,980,220,000	-
26	उत्तर प्रदेश सरकार को 296 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	4,536,780,000	-

राशि (₹)

	अनुसूची 16– एनयूएचएफ–पीएमएवाई (शहरी) के तहत ईबीआर से केंद्रीय सहायता	2020-21	2019-20
27	उत्तर प्रदेश सरकार को 47 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	212,040,000	-
28	उत्तर प्रदेश सरकार को 154 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	2,280,120,000	-
29	उत्तर प्रदेश सरकार को 13 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	86,460,000	-
30	उत्तर प्रदेश सरकार को 121 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	1,624,200,000	-
31	उत्तर प्रदेश सरकार को 19 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	60,240,000	-
32	उत्तर प्रदेश सरकार को 133 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	1,752,300,000	-
33	उत्तर प्रदेश सरकार को 29 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	140,280,000	-
34	उत्तर प्रदेश सरकार को 113 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	1,400,298,860	-
35	उत्तर प्रदेश सरकार को 438 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	4,523,100,000
36	उत्तर प्रदेश सरकार को 1 एएचपी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	27,240,100	-
37	उत्तर प्रदेश सरकार को 2 एएचपी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	34,962,800
38	उत्तर प्रदेश सरकार को 4 एएचपी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	134,700,000
39	पश्चिम बंगाल सरकार को 32 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	1,083,120,000	-
40	पश्चिम बंगाल सरकार को 34 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	226,440,000	-
41	पश्चिम बंगाल सरकार को 86 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	2,587,560,000
42	पश्चिम बंगाल सरकार को 91 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	1,430,220,000
43	पश्चिम बंगाल सरकार को 15 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	476,100,000
44	आंध्र प्रदेश सरकार को 37 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	866,220,000
45	आंध्र प्रदेश सरकार को 49 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	2,479,980,000
46	आंध्र प्रदेश सरकार को 55 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	2,149,620,000
47	बिहार सरकार को 57 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	165,301,700
48	छत्तीसगढ़ सरकार को 131 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	491,580,000
49	छत्तीसगढ़ सरकार को 221 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	724,260,000
50	छत्तीसगढ़ सरकार को 467 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	646,100,000	2,064,700,000
51	छत्तीसगढ़ सरकार को 50 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	254,220,000
52	छत्तीसगढ़ सरकार को 51 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	119,700,000
53	छत्तीसगढ़ सरकार को 55 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	269,340,000
54	छत्तीसगढ़ सरकार को 59 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	358,320,000
55	छत्तीसगढ़ सरकार को 61 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	275,760,000
56	छत्तीसगढ़ सरकार को 67 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	105,060,000
57	छत्तीसगढ़ सरकार को 72 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	455,040,000

राशि (₹)

	अनुसूची 16– एनयूएचएफ–पीएमएवाई (शहरी) के तहत ईबीआर से केंद्रीय सहायता	2020-21	2019-20
58	छत्तीसगढ़ सरकार को 79 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	210,840,000
59	छत्तीसगढ़ सरकार को 87 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	182,520,000
60	गुजरात सरकार को 122 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	454,500,000
61	गुजरात सरकार को 97 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	383,700,000
62	हरियाणा सरकार को 8 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	40,020,000
63	हरियाणा सरकार को 89 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	247,260,000
64	हरियाणा सरकार को 5 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	51,360,000
65	हिमाचल प्रदेश सरकार को 15 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	71,197,200
66	हिमाचल प्रदेश सरकार को 30 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	67,380,000
67	झारखंड सरकार को 33 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	3,840,000	-
68	झारखंड सरकार को 38 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	1,141,020,000	813,060,000
69	झारखंड सरकार को 24 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	13,200,000	77,640,000
70	झारखंड सरकार को 17 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	58,200,000	311,400,000
71	झारखंड सरकार को 16 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	322,320,000	46,800,000
72	झारखंड सरकार को 1 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	4,920,000
73	कर्नाटक सरकार को 273 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	878,340,000
74	कर्नाटक सरकार को 130 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	60,360,000
75	कर्नाटक सरकार को 56 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	248,340,000
76	कर्नाटक सरकार को 259 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	879,540,000
77	केरल सरकार को 72 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	804,900,000
78	केरल सरकार को 19 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता t	-	190,440,000
79	मध्य प्रदेश सरकार को 67 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	1,540,680,000	-
80	मध्य प्रदेश सरकार को 18 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	258,120,000	-
81	मध्य प्रदेश सरकार को 34 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	538,020,000	-
82	मध्य प्रदेश सरकार को 31 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	445,800,000	-
83	मध्य प्रदेश सरकार को 27 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	314,160,000	-
84	मध्य प्रदेश सरकार को 64 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	1,266,720,000
85	मध्य प्रदेश सरकार को 42 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	817,560,000
86	मध्य प्रदेश सरकार को 127 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	1,341,000,000
87	महाराष्ट्र सरकार को 01 एएचपी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	385,200,000
88	महाराष्ट्र सरकार को 4 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	23,415,500

राशि (₹)

अनुसूची 16– एनयूएचएफ–पीएमएवाई (शहरी) के तहत ईबीआर से केंद्रीय सहायता	2020-21	2019-20
89 ओडिशा सरकार को 109 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	720,240,000	-
90 ओडिशा सरकार को 82 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	549,960,000	-
91 पश्चिम बंगाल सरकार को 57 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	197,880,000	-
92 ओडिशा सरकार को 12 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	88,140,000
93 ओडिशा सरकार को 124 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	214,860,000
94 ओडिशा सरकार को 126 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	333,240,000
95 ओडिशा सरकार को 29 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	246,540,000
96 ओडिशा सरकार को 36 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	483,900,000
97 ओडिशा सरकार को 38 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	194,580,000
98 ओडिशा सरकार को 49 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	101,460,000
99 ओडिशा सरकार को 66 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	316,500,000
100 ओडिशा सरकार को 69 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	103,320,000
101 पुडुचेरी सरकार को 2 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	28,700,000
102 पुडुचेरी सरकार को 4 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	160,020,000
103 पुडुचेरी सरकार को 3 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	34,560,000
104 पुडुचेरी सरकार को 6 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	106,620,000
105 राजस्थान सरकार को 25 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	116,920,000
106 राजस्थान सरकार को 41 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	171,436,800
107 भारतीय स्टेट बैंक को सीएलएलएस के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	14,000,000,000	-
108 भारतीय स्टेट बैंक को सीएलएलएस के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	5,000,000,000	18,000,000,000
109 तमिलनाडु सरकार को 147 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	526,197,940	-
110 तमिलनाडु सरकार को 301 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	2,747,820,000	-
111 तमिलनाडु सरकार को 387 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	874,070,000	-
112 तमिलनाडु सरकार को 18 एएचपी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	336,901,000	-
113 तमिलनाडु सरकार को 67 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	525,120,000	-
114 तमिलनाडु सरकार को 34 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	282,900,000	-
115 तमिलनाडु सरकार को 138 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	852,720,000	-
116 तमिलनाडु सरकार को 164 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	145,800,000	-
117 तमिलनाडु सरकार को 45 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	192,000,000
118 तमिलनाडु सरकार को 180 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	901,440,000

राशि (₹)

अनुसूची 16– एनयूएचएफ–पीएमएवाई (शहरी) के तहत ईबीआर से केंद्रीय सहायता	2020-21	2019-20
119 तमिलनाडु सरकार को 14 एएचपी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	146,580,000
120 तमिलनाडु सरकार को 28 एएचपी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	371,460,000
121 तमिलनाडु सरकार को 3 एएचपी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	25,200,000
122 तमिलनाडु सरकार को 22 एएचपी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	521,040,000	-
123 तमिलनाडु सरकार को 26 एएचपी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	206,460,000	-
124 तमिलनाडु सरकार को 23 एएचपी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	271,500,000
125 तमिलनाडु सरकार को 58 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	43,920,000
126 तमिलनाडु सरकार को 57 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	971,040,000
127 तमिलनाडु सरकार को 49 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	1,520,220,000
128 तमिलनाडु सरकार को 123 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	86,460,000
129 तमिलनाडु सरकार को 69 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	1,935,660,000
130 तमिलनाडु सरकार को 188 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	2,235,840,000
131 तमिलनाडु सरकार को 40 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	643,020,000
132 उत्तर प्रदेश सरकार को 142 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	3,974,820,000
133 उत्तर प्रदेश सरकार को 157 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	3,300,960,000
134 उत्तर प्रदेश सरकार को 179 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	191,460,000
135 उत्तर प्रदेश सरकार को 19 एएचपी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	130,913,000
136 उत्तर प्रदेश सरकार को 304 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	6,966,360,000
137 उत्तर प्रदेश सरकार को 413 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	7,401,180,000
138 उत्तर प्रदेश सरकार को 45 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	1,087,980,000
139 पंजाब सरकार को 151 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	640,747,060	-
योग	**99,999,978,960**	**150,000,000,000**

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

अनुसूची 17– महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं लेखाओं पर टिप्पणियां

सिंहावलोकन

वर्ष 1990 में स्थापित निर्माण सामग्री एंव प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद् (बीएमटीपीसी) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार का अनुदान सहायता प्राप्त एक स्वायत संगठन है। बीएमटीपीसी को बड़े पैमाने पर क्षेत्र अनुप्रयोग हेतु आपदा रोधी निर्माण प्रथा सहित किफायती पर्यावरणनुकूल, ऊर्जा दक्ष एवं उभरती निर्माण सामग्री एवं निमार्ण प्रौद्योगिक प्रोत्साहित तथा हस्तांतरित करने के कार्य सौंपे गये हैं।

1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क) लेखांकन प्रणालीः लेखा भारत में लागू सिद्धातों एवं अधिसूचित लेखांकन मानकों के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का अनुपालन करते हुए तैयार किए गये हैं।

ख) संपत्ति, संयत्र एवं उपकरणः आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार प्रदत्त अर्जन में से संचित मूल्यह्रास घटाकर आई की लागत को अचल आस्तियां दर्शाया गया है। सभी अचल आस्तियां को सामान्य वित्तीय नियम, 1963 एवं अब तक संशोधित नियमों व विनियमों के अनुसार मानी गई हैं।

ग) मूल्यह्रासः मूल्यह्रास को कम हुई दरों पर एवं आयकर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट रीति में प्रदान किया गया है।

घ) सरकारी अनुदानः
- **(i)** वर्ष के दौरान प्राप्त सरकारी अनुदान की गणना आईसीएआई द्वारा जारी 'सरकारी अनुदान हेतु लेखांकन' पर लेखांकन मानक 12 के अनुसार की गई है।
- **(ii)** विशेष प्रयोजन के लिए प्राप्त अभिनिर्धारित निधि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जिसके लिए निधि प्राप्त हुई है एवं ऐसी निधियों के अव्ययित शेष को पूर्णतया प्रयुक्त होने अथवा वापस किए जाने तक अग्रेनीत किया गया है।

ङ) सेवानिवृत्ति हितलाभ–
- **(i)** परिषद् अपने स्वयं के भविष्य निधि न्यास में अंशदान करता है जिसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा मान्यता दी गयी है एवं वर्ष के दौरान भविष्य निधि न्यास अदा किए गये अंशदान को राजस्व में प्रभारित किया गया है।
- **(ii)** परिषद ने सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को उपदान और छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से समूह उपदान नकद संचय पॉलिसी और समूह अवकाश नकदीकरण पॉलिसी ली है तथा भारतीय जीवन बीमा निगम को किये गये भुगतान को भुगतान वर्ष में आय में प्रभारित किया गया है।

च) सामान्यः विशेषतौर पर उल्लखित न की गई लेखांकन नीतियां आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप अन्यथा हैं।

2 **फुटकर देयताएं**: परिषद् पर किए गये दावों को कर्ज–शून्य के तौर पर अभिस्वीकृत नहीं किया गया है।

3 प्रबंधन के अभिमत में चालू आस्तियों, ऋणों एवं कारोबार के सामान्य तरीके में दिये गये अग्रिम राशियों की वसूली पर राशि तुलन–पत्र में दर्शाई गई राशि से कम नहीं होगी। इसके अतिरिक्त लेखाओं में सभी ज्ञात देयताओं के प्रावधान किए गये हैं।

4 परिषद आयकर अधिनियम की धारा 12एए के तहत पंजीकृत है और इसकी आय पर आयकर से छूट प्राप्त है। इस प्रकार खातों में आयकर का प्रावधान नहीं किया गया है। परिषद् नियमित तौर पर टीडीएस, जीएसटी एवं अन्य सांवधिक देयताएं जमा कर रहा है।

5 आय और व्ययः चूंकि आय और व्यय लेखा शीर्ष बड़ी संख्या में हैं, समान प्रकृति के व्यय और राजस्व और विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत आने वाले वित्तीय विवरणों की बेहतर प्रस्तुति के लिए आवश्यकतानुसार एक साथ जोड़ा गया है।

6 परिषद ने समूह उपदान नकद संचय (जीजीसीए) पॉलिसी और समूह अवकाश नकदीकरण योजना (जीएलईएस) पॉलिसी के संबंध में वर्ष के दौरान प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है। भारतीय बीमा निगम के पास 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार जीजीसीए पॉलिसी और जीएलईएस पॉलिसी के संबंध में क्रमशः 2,34,33,748/– रुपये एवं 2,22,47,099/– संचित शेष है।

7 विश्वव्यापी कोविड –19 महामारी के प्रकोप और इसके कारण कई देशों में लॉकडाउन ने परिषद की गतिविधियों को भी प्रभावित किया है। प्रबंधन ने वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर कोविड –19 के संभावित प्रभाव का आकलन किया है और और अपेक्षा करता है कि संचालन की निरंतरता या दीर्घकालिक वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव न पड़े।

8 (क) आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या एन–11022/1/2018–एचएफए -III–यूडी (सी. सं. 9035628) दिनांक 14.03.2018 के माध्यम से बीएमटीपीसी निमनलिखित की सूचना दी है:
मंत्रीमंडल ने 20.02.2018 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ–साथ हमारे मंत्रालय के निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमोदित किए हैं:

- वित्त मंत्रालय से परामर्श करके पीएमएवाई (शहरी) परियोजनाओं के लिए चार वर्षों में ऋणदाता एजेंसी अथवा वित्तीय संस्थान के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपये की सीमा तक अतिरिक्त बटजीय संसाधन (ईबीआर) से निधियां जुटाना
- बीएमटीपीसी को भारत सरकार की ओर से ऋण लेना एवं आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की सलाह पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों एवं केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) को पीएमएवाई (शहरी) के लिए संवितरित करना
- भारत सरकार ऋण का परिशोधन करेगी एवं सहमत नियम व शर्तों पर जो वित्त मंत्रालय द्वारा विनिश्चित किए गये हैं, पर चुकौती के दायित्वों की पूर्ति करेगी।

(ख) उपरोक्त को देखते हुए, मूलधन और ब्याज की राशि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आवंटित निधि से पूरी की जाएगी और राशि की प्रभावकारी निश्चितता है, वसूली योग्य अपेक्षित राशि को अलग संपत्ति के रूप में दर्शाया गया है अर्थात गैर–चालू संपत्ति और एनएसएसएफ/हुडको से प्राप्त ऋण तुलन पत्र में दीर्घकालिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

(ग) वर्ष के दौरान, परिषद को भारत सरकार की ओर से एनएसएसएफ से 10,000 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 15,000 करोड़ रुपये) की राशि प्राप्त हुई और पीएमएवाई (यू) योजना के तहत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय नोडल एजेंसियों को 9999.99 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रु.15,000 करोड़) संवितरित की गई। संवितरण का विवरण अनुसूची 16 में दर्शाया गया है।

(घ) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई (शहरी) कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय शहरी आवास कोष (एनयूएचएफ) के तहत लिए गए ऋणों पर ऋणदाताओं को देय मूलधन और ब्याज, परिषद को प्रदान किया जाएगा। मंत्रालय की ओर से उधार लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ ब्याज भुगतान की नियत तारीखों पर प्रदान की जाने वाली रसीदों से किया जाएगा। तदनुसार, ब्याज व्यय/आय को आय और व्यय खाते के माध्यम से दर्शाया गया है लेकिन वित्तीय विवरणों में वर्तमान देयता/चालू आस्ति के रूप में दर्शाया गया है।

(ङ) विभिन्न हल्के आवास परियोजनाओं और राष्ट्रीय शहरी आवास निधि के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त धन पर अर्जित ब्याज मंत्रालय को प्रतिदेय है। तदनुसार इन निधियों पर अर्जित ब्याज को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के देय देनदारी के रूप में दर्शाया गया है (अनुसूची 5–चालू देयताएं और प्रावधान देखें)

9 जहां भी आवश्यक समझा गया आंकड़ों को पुनः व्यवस्थित एवं पुनः समूहित किया गया है एवं उपरोक्त कथोक्त सभी सूचना प्रबंधन द्वारा दी गयी है एवं लेखापरीक्षकों ने उन आंकड़ों पर भरोसा किया है।

10 2021 अनुसूची 1 से 17 अंत में जोड़े गये हैं एवं 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम.एस. शेखोन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 003671N

कृते निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद

ह0	ह0	ह0	ह0
राजीव टंडन (साझीदार)	पंकज गुप्ता	शरद कुमार गुप्ता	डॉ. शैलेश कुमार अग्रवाल
सदस्यता सं. 87343	वित्त अधिकारी	प्रमुख–वित्त (प्रभारी)	कार्यकारी निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24.11.2021

अनुबंध I

संवर्धनात्मक कार्यक्रमों में सहभागिता

I. वर्चुअल प्रदर्शनी

परिषद ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शनी स्थल पर बीएमटीपीसी के विभिन्न क्रियाकलापों को प्रदर्शित करते हुए ''गृह वर्चुअल फेस्ट'' में सहभागिता की। इस प्रदर्शनी का आयोजन एकीकृत हरित पर्यावास मूल्यांकन परिषद (गृह), ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) द्वारा किया गया था जो 21 से 25 जुलाई, 2020 तक चला।

II. वेबिनार/वीडियो कांफ्रेंस/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि

- 12–13 जून, 2020 को आईएफजीई और एसएबीएफ के साथ संयुक्त रूप से आयोजित बांस आवास और निर्माण पर ऑनलाइन प्रशिक्षण।
- छठा स्मार्ट सिटीज इंडिया 2020 एक्सपोः 13 जून, 2020 को कोविड –19 के बाद की दुनिया पर भवन और निर्माण उद्योग की आगे की राह।
- जून, 2020 को टेरी द्वारा वेब–एस अनलॉकिंग सस्टेनेबिलिटीः ''टिकाऊ भवन निर्माण सामग्रीः बाजार, प्रमाणन एवं घूमती अर्थव्यवस्था।''
- 21 जुलाई, 2020 को टेरी द्वारा गृह वर्चुअल प्रदर्शनी सह सम्मेलन।
- 25 जुलाई, 2020 को टाटा और असम इंजीनियरिंग कॉलेज के सहयोग से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए जन आवास पर उभरती निर्माण प्रणाली पर सत्र।
- आत्मानिर्भर भारत पर वेबिनारः 18 अगस्त, 2020 को आवास और निर्माण और विमानन क्षेत्र में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देना।
- 25 अगस्त, 2020 को सीपीडब्ल्यूडी द्वारा आयोजित सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियरों के लिए जन आवास के लिए उभरती निर्माण प्रणालियों पर सत्र।
- 28 अगस्त, 2020 को हिंदुस्तान जिंक द्वारा लाइट गेज स्टील फ्रेमिंग पर वेबिनार।
- आवास विभाग, आंध्र प्रदेश और एपीएसएचसी अमरावती के सहयोग से 31 अगस्त, 2020 को आवास में पूर्वनिर्मित (प्रीकास्ट) निर्माण प्रौद्योगिकी पर वेबिनार।

- प्रधानमंत्री के 10 सूत्रीय एजेंडा (विषय) पर वेबिनारः 14 सितंबर, 2020 को एनआईडीएम और एनडीएमए के साथ संयुक्त रूप से क्षेत्रीय विकास और व्यवसाय के माध्यम से आपदा जोखिम प्रबंधन का आयोजन।

- 27 सितंबर, 2020 को नई दिल्ली में राजभाषा पर कार्यशाला।

- 29 सितंबर, 2020 को विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र (सीएसई) द्वारा जन आवास में थर्मल कंफर्ट को सक्षम बनाने पर सत्र।

- 5 अक्टूबर, 2020 को माननीय राज्य मंत्री (आवासन एवं शहरी कार्य) द्वारा वीसी के माध्यम से विश्व पर्यावास दिवस 2020 का उत्सव का उद्घाटन।

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के तहत यूएनएफसीसीसी का अंतर्राष्ट्रीय मंच 7 अक्टूबर, 2020 को घूमती अर्थव्यवस्था और भवन।

- 21 अक्टूबर, 2020 को एचएसएमआई द्वारा आयोजित विकास मंत्रालय, ब्रुनेई दारुस्सलाम के अधिकारियों के लिए जन आवास के लिए उभरती निर्माण प्रणालियों पर सत्र।

- 24 अक्टूबर, 2020 को अल्ट्राटेक द्वारा आयोजित जन आवास के लिए उभरती निर्माण प्रणालियों पर सत्र।

- 31 अक्टूबर, 2020 को आईआईटी, खड़गपुर में नगर योजना निष्णांत के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए उभरती निर्माण प्रणाली पर विशेष सत्र।

- 5 नवंबर, 2020 को आईपीई ग्लोबल के साथ एफसीडीओ, यूके और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्माण एवं तोड़फोड़ से उत्पन्न (सीएंडडी) कचरा प्रबंधन ज्ञान कार्यशाला।

- 9 नवंबर, 2020 को उत्तर भारत के 10 राज्यों से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एसएलएनए के लिए भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर ई–पाठ्यक्रम पर वेबिनार।

- 11 नवंबर, 2020 को सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एसएलएनए के लिए भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर ई–पाठ्यक्रम पर वेबिनार।

- 20 नवंबर, 2020 को इंस्टीट्यूट फॉर स्टील डेवलपमेंट एंड ग्रोथ द्वारा आयोजित ''भारत में जन आवास के लिए एलजीएसएफ/सीएफएस निर्माण प्रौद्योगिकी'' पर वेबिनार।

- 2 दिसंबर, 2020 को एनएमआईटी, बैंगलोर के लिए भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर ई–पाठ्यक्रम पर वेबिनार।

- 17 दिसंबर, 2020 को सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारियों सहित लद्दाख क्षेत्र के पेशेवरों के लिए सीपीडब्ल्यूडी द्वारा आयोजित ''लद्दाख में शीत मौसम के लिए निर्माण प्रौद्योगिकी'' पर वेबिनार।

- एमिटी द्वारा 18 दिसंबर, 2020 को आयोजित उभरती प्रौद्योगिकी पर पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन।

- 24 दिसंबर, 2020 को भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आईआईएसएफ) के दौरान उभरती आवास प्रौद्योगिकियों पर पैनल चर्चा।

- 26 दिसंबर, 2020 को आईआईटी गुवाहाटी द्वारा लघु अवधि का टीईक्यूआईपी कार्यक्रम।

- 1 जनवरी, 2021 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा रखी गई छह लाइट हाउस परियोजनाओं (एलएचपी) का शिलान्यास समारोह।

- 7 जनवरी, 2021 को हडको–एचएसएमआई द्वारा टिकाऊ और किफायती आवास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

- 11–15 जनवरी, 2021 से सिविल इंजीनियरिंग विभाग, एनआईटी, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश द्वारा ''संरचनात्मक अभियांत्रिकी में प्रगति'' पर लघु अवधि का पाठ्यक्रम।

- हरियाणा हाउसिंग बोर्ड द्वारा अपने इंजीनियरों, अधिकारियों के लिए 22 जनवरी, 2021 को आयोजित नई नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी पर कार्यशाला।

- 5 फरवरी, 2021 को सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी आदि के अर्धसैनिक अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय सीपीडब्ल्यूडी अकादमी गाजियाबाद द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम।

- नवरीति का पहला बैचः 12 से 18 फरवरी, 2021 तक नवोन्मेषी निर्माण प्रौद्योगिकी पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।

- 26 फरवरी, 2021 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और बीएमटीपीसी द्वारा आपदा सुरक्षित ग्रामीण आवास पर वेबिनार।

- 6 मार्च, 2021 को एमएनएनआईटी, प्रयागराज द्वारा प्रयागराज के आसपास के क्षेत्र में आपदानुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा उल्लिखित 10 सूत्रीय एजेंडा पर ''आपदानुकूल समाज'' प्रशिक्षण आवश्यकता''पर ई–कार्यशाला।

- 16 मार्च, 2021 को भारतीय कंक्रीट संस्थान – बैंगलोर चैप्टर द्वारा बैंगलोर द्वारा आयोजित कंक्रीट निर्माण में वैकल्पिक सामग्री और नवोनमेषी प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सह संगोष्ठी।

- नवरीति का दूसरा बैचः 19 से 26 मार्च 2021 तक नवोन्मेषी निर्माण प्रौद्योगिकी पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

- 19 मार्च, 2021 को इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बैंगलोर द्वार #वर्ल्डवुडडे मनाने के लिए ''लकड़ीः टिकाऊ और बहुपयोगी निर्माण सामग्री'' पर ई–संगोष्ठी।

- 24 मार्च, 2021 को प्रदर्शनी भारत द्वारा आयोजित प्रगति मैदान, नई दिल्ली में छठा स्मार्ट सिटीज इंडिया 2021 एक्सपो।

III. तकनीकी समिति/कार्य समूह/ बैठकें आदि

- नई दिल्ली में 29 मई, 2020 को आवासन एवं शहरी कार्य के मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में पीएमएवाई (शहरी) की 58वीं बैठक।

- 23 जून, 2021 को हिंदी के प्रयोग में सुधार के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक।

- 3 जुलाई, 2020 को एनएआरईडीसीओ जीसी की सामान्य परिषद की बैठक।

- 23–24 जुलाई, 2020 को बीआईएस सीईडी की 39वीं बैठक।

- 30 जुलाई, 2020 को सुश्री सुश्री अलका भार्गव, अतिरिक्त सचिव, कृषि और सहकारिता मंत्रालय के साथ ''बांस आधारित प्रौद्योगिकी'' के संबंध में वीसी बैठक।

- 31 जुलाई, 2020 को सम्मेलन हॉल, निर्माण भवन, नई दिल्ली में सचिव (आवासन एवं शहरी कार्य) की अध्यक्षता में प्रवासियों के लिए किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) योजना के संबंध में बैठक।

- 7 अगस्त, 2020 को सचिव, (आवासन एवं शहरी कार्य) की अध्यक्षता में प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 51 वीं बैठक।

- 11 अगस्त, 2020 को नई दिल्ली में संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक, एचएफए की अध्यक्षता में परियोजना निगरानी समिति (पीएमसी) की बैठक।

- 17 अगस्त, 2020 को हरित और टिकाऊ तकनीकी विकल्पों को बढ़ावा देने और अपनाने पर आईजीबीसी की वर्चुअल बैठक

- 11 सितंबर, 2020 को बीएमटीपीसी की राजभाषा कार्यकारी समिति की बैठक

- 16 और 18 सितंबर, 2020 के दौरान एनसीएचएफ, नई दिल्ली द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवास सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम।

- 19 सितंबर, 2020 को टीआईईटी, पटियाला के साथ अनुसंधान प्रस्ताव पर बैठक।

- 27 सितंबर, 2021 को हिंदी के प्रयोग में सुधार के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक।

- 28 सितंबर, 2020 को क्विक बिल्ड पैनल्स के वर्चुअल निरीक्षण के लिए बियर्डशेल के साथ बैठक।

- विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र द्वारा 29 सितंबर, 2020 को जन आवास में थर्मल कंफर्ट को सक्षम बनाने पर ऑनलाइन पैनल चर्चा।

- 7 अक्टूबर, 2020 को यूएनएफसीसीसी के साथ निर्मित पर्यावरण पर बैठक।

- 8 नवंबर, 2020 को एनडीएमए द्वारा दूरदर्शन पर ''आपदा सुरक्षा में घर के मालिक की भूमिका' ''आपदा का सामना'' से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पैनल चर्चा।

- 9 नवंबर, 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी के तहत प्रौद्योगिकी उप–मिशन (टीएसएम) की चौथी बैठक।

- 26 नवंबर, 2020 को डीपीसी एनसीबी कैडर– एनसीसीबीएम के लिए स्थायी चयन समिति (एसएससी –1 स्तर –13–ए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए) की बैठक।

- 10 दिसंबर, 2020 को निर्माण क्षेत्र में स्टील के उपयोग को बढ़ाने पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक।

- 16 दिसंबर, 2020 को सचिव (आवासन एवं शहरी कार्य) और अपर सचिव (विकास) की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से जलवायु परिवर्तन पर कार्यकारी समिति (ईसीसीसी) की 7वीं बैठक।

- 16 जनवरी, 2021 को कार्य–निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणपत्र (पीएसी) के अनुमोदन के उद्देश्य से गठित तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीएसी) की 17वीं बैठक।

- 20 जनवरी, 2021 को सचिव (आवासन एवं शहरी कार्य) की अध्यक्षता में प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 52वीं बैठक।

- 3 फरवरी, 2021 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी के तहत प्रौद्योगिकी उप–मिशन (टीएसएम) की पांचवी बैठक।

- 11 फरवरी, 2021 को नई दिल्ली में सचिव (आवासन एवं शहरी कार्य) द्व ारा नवरीति प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का शुभारंभ।

- 22 फरवरी, 2021 को सचिव (आवासन एवं शहरी कार्य) की अध्यक्षता में प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 53वीं बैठक।

- 25 फरवरी, 2021 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी के तहत प्रौद्योगिकी उप–मिशन (टीएसएम) की छठी बैठक।

- निर्माण क्षेत्र में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने पर संयुक्त कार्य समूह की अनेक बैठकें।

- आवास पर श्वेत पत्र तैयार करने के लिए नागरिक अवसंरचना (आवास) पर इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग (आईएनएई) फोरम द्वारा कार्यकारी समूह की अनेक ऑनलाइन बैठकें।

- निर्माण भवन, नई दिल्ली में एलएचपी के शिलान्यास समारोह के आयोजन के संबंध में अनेक तैयारी बैठकें।

- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की केंद्रीय पूंजी निवेश सब्सिडी योजना (सीसीआईएस), 2007 के तहत सब्सिडी प्रदान करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अनेक बैठकें।

IV. अन्य

- संबंधित संहिता/दिशानिर्देशों, उपलब्ध एफएसआई, निर्माण की लागत और ऐसे परिसरों की परिचालन लागत के अनुसार इन इकाइयों के आकार और विनिर्देशों के आधार पर एआरएचसी के विभिन्न मॉडलों (डॉरमेट्री बेड, एकल कक्ष और दो कक्ष के आवास का संयोजन) के लिए तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता पर कार्य।

- ''राष्ट्रीय ईंट उद्योग मिशन'' के लिए कार्य दल के सदस्य। इंडो जर्मन एनर्जी प्रोग्राम के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), एमओपी ने तकनीकी और उत्पाद के नवोन्मेष के माध्यम से ईंट उद्योग में ऊर्जा दक्षता को सामर्थ्यकारी बनाने के लिए बाजार परिवर्तन कार्यनीति विकसित की है।

- एसपीए, दिल्ली, आईआईटी दिल्ली के छात्रों और अन्य कॉलेजों के छात्रों, पेशेवरों, उद्यमियों को नई और पर्यावरणनुकूल निर्माण सामग्री/प्रौद्योगिकियों पर मार्गदर्शन करना, और विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हुए भवनों के स्थायित्व मानकों (अवशोषित ऊर्जा, थर्मल कंफर्ट, संसाधन संरक्षण और दक्षता) पर मार्गदर्शन करना।

अनुबंध II

प्रस्तुतिकरण सहित प्रस्तुत/प्रकाशित आलेख

- 28 फरवरी, 2020 को हिंदुस्तान जिंक द्वारा लाइट गेज स्टील फ्रेमिंग पर वेबिनार के दौरान लाइट गेज स्टील फ्रेम्ड स्ट्रक्चरल सिस्टम (एलजीएसएफ) पर प्रस्तुतिकरण।
- 12 और 13 जून, 2020 को आईएफजीई और एसएबीएफ के साथ संयुक्त रूप से आयोजित बांस आवास और निर्माण पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के दौरान आवास निर्माण के लिए बांस आधारित प्रौद्योगिकियों पर प्रस्तुतिकरण।
- छठे स्मार्ट सिटीज इंडिया 2020 एक्सपो के दौरान जन आवास के लिए उभरती निर्माण प्रणालियों पर प्रस्तुतिकरणः 13 जून, 2020 को कोविड–19 के बाद की दुनिया के लिए भवन और निर्माण उद्योग की आगे की राह।
- 26 जून, 2020 को टेरी द्वारा वेब–एस अनलॉकिंग सस्टेनेबिलिटीः ''टिकाऊ भवन निर्माण सामग्रीः बाजार, प्रमाणन एवं घूमती अर्थव्यवस्था'' जन अवास के लिए उभरती निर्माण प्रणालियों पर प्रस्तुतिकरण।
- 21 जुलाई, 2020 को टेरी द्वारा गृह वर्चुअल प्रदर्शनी सह सम्मेलन के दौरान जन आवास के लिए उभरती निर्माण प्रणालियों पर प्रस्तुतिकरण।
- 21 जुलाई से 24 जुलाई, 2020 के दौरान टेरी द्वारा आयोजित पैनल चर्चा में ''टिकाऊ निर्माण प्रणालियों के संवर्धन में बीएमटीपीसी की भूमिका'' पर प्रस्तुतिकरण।
- 25 जुलाई, 2020 को टाटा और असम इंजीनियरिंग कॉलेज के सहयोग से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए जन आवास के लिए उभरती निर्माण प्रणाली पर सत्र के दौरान प्रस्तुतिकरण।
- 18 अगस्त, 2020 को आत्मानिर्भर भारतः आवास और निर्माण और विमानन क्षेत्र में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देना पर वेबिनार के दौरान जन आवास के लिए उभरती इस्पात आधारित निर्माण प्रौद्योगिकियों पर प्रस्तुतिकरण।
- 25 अगस्त, 2020 को सीपीडब्ल्यूडी द्वारा आयोजित सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियरों के लिए जन आवास के लिए उभरती निर्माण प्रणालियों के उपयोग पर प्रस्तुतिकरण।

- 16–18 सितंबर, 2020 के दौरान एनसीएचएफ, नई दिल्ली द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवास सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम में ''जन आवास के लिए लागत प्रभावी और उभरती निर्माण प्रणाली'' पर प्रस्तुतिकरण।

- 29 सितंबर, 2020 को विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र (सीएसई) द्वारा जन आवास में थर्मल कंफर्ट को सक्षम करने पर सत्र के दौरान जन आवास के लिए उभरती निर्माण प्रणाली पर प्रस्तुतिकरण।

- 31 सितंबर, 2020 को आवास विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार और एपीएसएचसी अमरावती के सहयोग से आवास में पूर्वनिर्मित (प्रीकास्ट) निर्माण प्रौद्योगिकी पर वेबिनार के दौरान जन आवास के लिए इमर्जिंग कंस्ट्रक्शन सिस्टम पर प्रस्तुतिकरण।

- 7 अक्टूबर, 2020 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के तहत यूएनएफसीसीसी का अंतर्राष्ट्रीय मंच में घूमती अर्थव्यवस्था और भवन के दौरान निर्मित पर्यावरण के टिकाऊ विकास के लिए भारतीय परिप्रेक्ष्य पर प्रस्तुतिकरण।

- 21 अक्टूबर, 2020 को एचएसएमआई द्वारा आयोजित विकास मंत्रालय, ब्रुनेइ दारुस्सलाम के अधिकारियों के लिए जन आवास के लिए उभरती निर्माण प्रणाली पर प्रस्तुतिकरण।

- 24 अक्टूबर, 2020 को अल्ट्राटेक द्वारा आयोजित सामूहिक आवास के लिए उभरती निर्माण प्रणालियों पर प्रस्तुतिकरण।

- 31 अक्टूबर, 2020 को आईआईटी, खड़गपुर में नगर योजना निष्णांत के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए उभरती निर्माण प्रणाली पर प्रस्तुतिकरण।

- 5 नवंबर, 2020 को आईपीई ग्लोबल के साथ एफसीडीओ, यूके और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्माण एवं तोड़फोड़ से उत्पन्न (सीएंडडी) कचरा प्रबंधन ज्ञान कार्यशाला के दौरान निर्माण एवं तोड़फोड़ से उत्पन्न (सीएंडडी) कचरा प्रबंधन – भारतीय परिदृश्य पर प्रस्तुति ।

- 9 नवंबर, 2020 को उत्तर भारत के 10 राज्यों से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एसएलएनए के लिए भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर ई–पाठ्यक्रम पर वेबिनार के दौरान भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र का उपयोग और भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर ई–पाठ्यक्रम के महत्व पर प्रस्तुतिकरण।

- 19 नवंबर, 2020 को सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एसएलएनए के लिए भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर ई–पाठ्यक्रम पर वेबिनार के दौरान भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र का उपयोग और भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर ई–पाठ्यक्रम के महत्व पर प्रस्तुतिकरण।

- 20 नवंबर, 2020 को इंस्टीट्यूट फॉर स्टील डेवलपमेंट एंड ग्रोथ द्वारा आयोजित ''भारत में जन आवास के लिए एलजीएसएफ/सीएफएस निर्माण प्रौद्योगिकी'' पर वेबिनार के दौरान लाइट गेज स्टील फ्रेम्ड स्ट्रक्चरल सिस्टम पर प्रस्तुतिकरण।

- 26 दिसंबर, 2020 को आईआईटी, गुवहाटी द्वारा लघु अवधि टीईक्यूआईपी कार्यक्रम के दौरान किफायती जन आवास के लिए उभरती निर्माण प्रणाली पर प्रस्तुतिकरण।

- 7 दिसंबर, 2020 को सीपीडब्ल्यूडी अधिकारियों सहित लद्दाख क्षेत्र में पेशेवरों के लिए सीपीडब्ल्यूडी द्वारा आयोजित ''लद्दाख में शीत मौसम के लिए निर्माण प्रौद्योगिकी'' पर वेबिनार के दौरान आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और बीएमटीपीसी के प्रयासों पर प्रस्तुतिकरण।

- 2 दिसंबर, 2020 को एनएमआईटी, बैंगलोर के लिए भारत के भेद्यता एटलस पर ई–कोर्स पर वेबिनार के दौरान भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर ई–पाठ्यक्रम पर वेबिनार के दौरान भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र का उपयोग और भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर ई–पाठ्यक्रम के महत्व पर प्रस्तुतिकरण।

- 7–8 जनवरी, 2021 को हडको–एचएसएमआई द्वारा आयोजित टिकाऊ और किफायती आवास पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में ''जन आवास के लिए उभरती प्रौद्योगिकियां'' पर प्रस्तुतिकरण।

- 11 जनवरी, 2021 को एनआईटी हमीरपुर में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में अग्रिम पर लघु पाठ्यक्रम के दौरान उभरती निर्माण प्रणाली पर प्रस्तुतिकरण।

- हरियाणा हाउसिंग बोर्ड द्वारा अपने इंजीनियरों, अधिकारियों आदि के लिए 22 जनवरी, 2021 को आयोजित नई नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी पर कार्यशाला के दौरान ''उभरती प्रौद्योगिकियां''पर प्रस्तुतिकरणकरण।

- 5 फरवरी, 2021 को सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी आदि के अर्धसैनिक अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय सीपीडब्ल्यूडी अकादमी गाजियाबाद द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जन आवास के लिए उभरती निर्माण प्रणाली पर प्रस्तुतिकरण।

- नवरीतिः नवोन्मेषी निर्माण प्रौद्योगिकि पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 12 से 18, फरवरी 2021 तक के पहले बैच के दौरान जन आवास के लिए उभरती निर्माण प्रणालियों पर प्रस्तुतिकरण।

- 26 फरवरी, 2021 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और बीएमटीपीसी द्वारा आयोजित आपदा सुरक्षित ग्रामीण आवास पर वेबिनार के दौरान प्राकृतिक आपदा रोकथाम, आवास के लिए तैयारी और शमन पर प्रस्तुतिकरण।

- 6 मार्च, 2021 को एमएनएनआईटी, प्रयागराज द्वारा प्रयागराज के आसपास के क्षेत्र में आपदानुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा उल्लिखित 10 सूत्रीय एजेंडा पर ''आपदानुकूल समाज'' प्रशिक्षण आवश्यकता'''पर ई–कार्यशाला के दौरान प्रस्तुतिकरण।

- 16 मार्च, 2021 को भारतीय कंक्रीट संस्थान – बैंगलोर चैप्टर द्वारा बैंगलोर द्वारा आयोजित कंक्रीट निर्माण में वैकल्पिक सामग्री और नवोनमेषी प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सह संगोष्ठी के दौरान हल्की आवास परियोजनाओं के माध्यम से जन आवास और प्रौद्योगिकी संक्रमणकाल के लिए उभरती निर्माण प्रणालियों पर प्रस्तुतिकरण।

- नवरीतिः नवोन्मेषी निर्माण प्रौद्योगिकि पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 19 से 26 मार्च, 2021 तक के दूसरे बैच के दौरान जन आवास के लिए उभरती निर्माण प्रणालियों पर प्रस्तुतिकरण।

- एसपीए, नई दिल्ली के ''सामग्री और प्रौद्योगिकी'' विषय पर योजना निष्णांत (आवास) के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए अनेक प्रस्तुतिकरण।

अनुबंध III

वर्ष के दौरान प्रकाशित प्रकाशन

1 विश्व पर्यावास दिवस, 2020 के विषय ''सबके लिए आवासः बेहतर शहरी भविष्य'' पर 'निर्माण सारिका'' न्यूजलैटर का विशेषांक।

2 उभरती निर्माण प्रणालियों पर लघु पुस्तिका।

3 कार्य–प्रदर्शन मूल्यांकन प्रमाणन योजना (पीएसीएस) पर पुस्तिका।

निर्माण सामग्री एवं प्रोद्यौगिकी संवर्द्धन परिषद्
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
कोर 5ए, पहली मंजिल, इंडिया हैबीटेट सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
टेलीफोन नं. 91–11–24636705, 24638097; **फैक्स नं.** 91–11–24642849
ई-मेल: info@bmtpc.org

@bmtpcdelhi bmtpc.mhua www.bmtpc.org